



गोपनीय प्रभारी

झारखण्ड विधान-सभा  
की  
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के  
**नियम**  
**तृतीय संस्करण**  
**2015**



झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय  
राँची



शत्यगेय जयते

झारखण्ड विधान-सभा  
की  
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के

**नियम**  
तृतीय संस्करण  
2015

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय  
राँची

© सर्वाधिकार सुरक्षित  
झारखण्ड विद्यानसभा, राँची ।

प्रथम संस्करण  
दिसम्बर, 2001

द्वितीय संस्करण  
2008

तृतीय संस्करण  
नवम्बर, 2015

प्रकाशक  
झारखण्ड विद्यानसभा सचिवालय, राँची

मुद्रक :  
प्रिंट वेल, राँची  
फोन : 0651-2205802, 9431109476

## प्रस्तावना



। सितम्बर, 2001 से प्रधानी झारखण्ड विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन को नियम 15 वर्षों की अपनी चाला पूरी कर चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अधीन विधान मंडल के सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियम के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस क्रम में दिनांक 21 अगस्त 2001 की झारखण्ड विधान सभा की बैठक में कार्य संचालन के इस नियम को सर्वसम्मत प्रस्ताव के हाथा अंगीकृत किया गया।

संसदीय अवधारणाओं के अधीन रहते हुए विधान सभा की मतिशील कार्य प्रणाली के तहत लोक आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए इस नियमावली में कई उपबंध किये गये हैं। सदन में विधिन अवसरों पर दिये गये अवकासों के संबंध में सरकार द्वारा सभा के आगामी सत्र में कृत कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनिवार्य बनाया गया है। इतनी ही नहीं शून्यकाल पर भी सरकार से उत्तर प्राप्त किये जाते हैं और जिसे संकलित कर सभा फटल पर रखा जाता है जिसकी समीक्षा के लिए झारखण्ड विधान सभा में शून्यकाल समिति है। इन दो प्रावधानों के माध्यम से जनसम्मानों के नियन्त्रण में समिति ज्ञावस्था को कारगर बनाने का विशेष प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का आवधान भी विधान सभा की कार्यप्रणाली का एक मुख्य अंग बन गया है। झारखण्ड विधान सभा में सत्र के दौरान सप्ताह में एक दिन अधे धृते का मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का आवधान किया गया है इसमें विना किसी पूर्ण मूल्यन के सदस्यों द्वारा दिये गये प्रश्न, जिसकी जाह्यता का निर्णय आसन से किया जाता है, का उत्तर तकाल ही मुख्यमंत्री को देना होता है। कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए यह एक उल्कूष्ट प्रावधान कहा जा सकता है।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम का यह तृतीय संस्करण है विगत दो संस्कारणों की मुद्रण त्रृटि को दूर करने का हर सभव प्रयास किया गया है। तथापि रह गयी त्रृटियों की ओर ल्यान आकृष्ट किये जाने को अपेक्षा करता है। भीड़ी यह भी अपेक्षा है कि मानवीय सदस्यमण इन नियमों के आलोक में जनसम्मानों को सभा में सार्थक तरीके से रखेंगे और सामूहिक जलवायदेहों के तहत पूरी सभा जगहित के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी।

अनन्त शुभकामनाओं के साथ

राँची

दिनांक : 09/11/2015

५०३२०११  
(दिनेश उरांव)

## दो शब्द



झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम का तृतीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। नियमबद्ध 2001 से प्रभावी हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों में बीती अवधि में कठिपय संशोधन किये गये हैं। इन संशोधनों को इस संस्करण में समाहित करते हुए पूर्व के संस्करण में मुद्रण सम्बन्धी रह गयी कुछ त्रुटियों को सुधारने की चेष्टा की गयी है। यह संभव है कि इसके बावजूद कुछ त्रुटियाँ रह गयी हों, जिनकी ओर आपके मार्ग-दर्शन की उम्मीद हम करेंगे।

आशा है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के ये नियम संसदीय लोकतंत्र के मौलिक मिठांतों के साकार करने तथा विधायिका की गरिमा को बरकहर रख पाने में सहायक सिद्ध होंगे।

विनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौची

रौची

दिनांक : 09 नवम्बर, 2015

**झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम  
संविधान के अनुच्छेद-208 (1) के अधीन**

नियम	अध्याय-1	पृष्ठ
01	संस्थापन नाम	01
	प्रारंभिक	01
02	परिभाषाएँ	01
	<b>अध्याय-2</b>	
03	सदस्यों को आमंत्रण	04
04	सब का आह्वान और समापन	04
05	सदस्यों को बैठने के क्रम	04
06	शपथ का प्रतिज्ञन	04
07	सदस्यों को नामांकण	04
	<b>अध्याय-3</b>	
08	अध्यक्ष का निर्वाचन	05
09	उपाध्यक्ष का निर्वाचन	06
10	सभापति तत्तिको का नाम निर्देशन	06
11	उपाध्यक्ष या चौतासीन सदस्य की शक्तियाँ	06
	<b>अध्याय-4</b>	
12	सभा को विधिवत बैठकें	07
13	बैठक का प्रारंभ तथा समापन	07
14	बैठकों के दिन	07
15	सभा का स्थगन	08
16	सभा के स्थगन पर निर्वन्धन	08
	<b>अध्याय-5</b>	
17	एन्पाल के अभिभावण यर समय का नियतन	09
18	भर्चा की व्याप्ति	09

19	मंशोधन	09
20	अन्य कार्य जो लिहा जा सकेगा	09
21	सरकार का उत्तर देने का अधिकार	10
22	भाषणों के लिए समय सीमा	10
23	अनुच्छेद-175 (1) के अधीन राज्यपाल का अधिभावण	10
24	राज्यपाल से संदेश	
25	सत्रावसान पर राज्यपाल का अधिभावण	
	<b>अध्याय-6</b>	
26	कार्य विनास	11
27	कार्य का क्रम	11
28	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय का नियन्त्रण	11
29	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की पूर्ववर्तिता	12
30	गैर सरकारी सदस्यों के संकलनों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता	13
31	दिन के अंत में गैर सरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य	13
32	कार्य-सूची	13
	<b>अध्याय-7</b>	
33	प्रश्नों के लिए समय	14
34	प्रश्नों की सूचना	14
35	प्रश्न का वर्ग बदलने की अव्यक्ति की शक्ति	17
36	प्रश्न अस्वीकृत करने की अव्यक्ति की शक्ति	17
37	प्रश्न का विषय-बहस्तु	18
38	प्रश्नों के अपेक्षित विषय	18
39	प्रश्न का रूप और अन्तर्वेस्तु	18
40	प्रश्नों की प्राप्ति का निर्णय	20
41	राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच विवाद सबंधी प्रश्न	20
42	सरकारी विभागों को अल्पमूल्यना और तारीकत प्रश्न की प्रतियों का दिया जाना	21

43	अल्प सूचना और तारीखित प्रश्न के उत्तर के लिए समय	21
44	अनुप्रस्तुक प्रश्न	21
45	प्रश्न सूची	21
46	प्रश्न कैसे पूछे जायेंगे	22
47	अल्पसूचना एवं तारीखित प्रश्नों के लिए और समय	22
48	प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में प्रश्न का उत्तर	23
- 49	उत्तर का अधिक प्रकाशन	23
50	किसी पदाधिकारी के चिरहृ कार्यालय के संबंध में व्यवहन देना	23
51	प्रश्न या उत्तर पर विमर्श का प्रतिबंध	23
52	मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल	23
	अध्याय-8	
	(आधे घंटे जो चर्चा)	
53	प्रश्नोत्तरों से उद्भूत किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा	25
	अध्याय-9	
	(लोक महत्व के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव)	
54	प्रस्ताव करने हेतु अध्यक्ष की सहमति	27
55	सूचना देने की रोति	27
56	प्रस्ताव करने के अधिकार का निर्विवाद	27
57	स्थगन प्रस्ताव करने की अनुमति माँगने की रोति	28
58	प्रस्ताव को सेने का समय	29
59	चर्चा के लिए समय-सीमा	29
	अध्याय-10	
	(विधान)	
60	(क) विधेयकों का पुर; स्थापन तथा पारण	30
60	विधेयकों के पुरस्थापन के उल्लेप्रकाशन	30
61	विधेयकों के पुरस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना 30	
62	सभा में लिखित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक का पुरस्थापन 31	

63	समान विधेयक को सूचना	31
64	विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी पर राज्यपाल की सिफारिश पहुँचाना	31
65	विधेयक का वित्तीय ज्ञापन और विधेयक के धन-खण्ड	31
66	विधायनी शक्ति प्रत्यायेवित करने हेतु विधेयक का ज्ञापन	32
67	विधेयक को पुरस्कारित करने की अनुमति का विरोध	32
68	पुरस्कारन के बाद विधेयक का प्रकाशन- (ख) विधेयकों के पुरस्कारन के बाद प्रस्ताव	32
69	विधेयक के पुरस्कारन के बाद प्रस्ताव	33
70	व्यक्ति जो विधेयक के संबंध में प्रस्ताव कर सकेगा	33
71	विधेयक की विद्वानत की चर्चा- (ग) विधेयक पर प्रबल समिति	33
72	प्रबल समिति की सूचना	34
73	प्रबल समिति की गणपूति	35
74	प्रबल समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित हो सकेंगे	35
75	संशोधन की प्रक्रिया और सामान्य रूप में प्रक्रिया	36
76	समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा परिशोधन की सूचना	36
77	विशेषज्ञ साक्ष्य और विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान	36
78	समिति के विविधों, अधिलेख और कार्यवाही की गोपनीयता	36
79	प्रबल समिति द्वारा प्रतिवेदन	36
80	प्रतिवेदन का नुदृण और प्रकाशन (घ) प्रबल समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया	38
81	अन्य बातों में सामूहिकता उपबन्ध	38
81(1)	प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया	38
82	प्रबल समिति के प्रतिवेदन पर बाद-विवाद की व्यापति	39

(ड) खण्डों जादि में संशोधनों तथा विधेयक पर विचार	
83 संशोधनों की सूचना	39
84 संशोधनों की ग्राहकता की शर्त	40
85 संशोधनों की सूचना के साथ संविधान के अधीन जलवशयक भंगुरी या सिफारिश अनुबद्ध करना	40
86 संशोधनों का विव्यास	41
87 संशोधनों का छाप	41
88 संशोधन प्रस्तुत करने की रीति	41
89 संशोधनों की वापसी	41
90 विधेयकों का खण्डः सभा के सामने रखना	42
91 खण्ड का विलम्बन	42
92 अनुसूचियों पर विचार	42
93 खण्डों और अनुसूचियों पर मतदान	42
94 विधेयक खण्ड एक अधिनियम सूत्र पर प्रस्तावना का नाम (‘व’) विधेयकों का पारण तथा प्रमाणीकरण	43
95 विधेयक का पारण	43
96 वाद-विवाद की व्याप्ति	43
97 विधेयक का प्रमाणीकरण	44
98 राज्यपाल का संदेश	44
99 संशोधनों पर विचार के प्रस्ताव की सूचना	45
100 विचार करने का प्रस्ताव	45
101 वाद-विवाद की व्याप्ति	45
102 संशोधनों पर विचार	45
103 संशोधनों पर विचार की प्रक्रिया	45
104 विधेयक का पुनःपारण	45
105 संशोधनों से सभा को असहमति	45

	(ज) सभा द्वारा पुनः पारित विधेयक का प्रमाणीकरण	
106	सभा द्वारा पुनः पारित विधेयक का प्रमाणीकरण	46
107	गव्यपाल के अध्यादेशों की चर्चा	46
108	अध्यादेशों के सम्बन्ध में विवरण	46
	(इ) विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा हटाना	
109	संशोधन पर वाद-विवाद का स्थगन	47
110	विधेयक को चापरी	47
111	अनुमति के प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा विरोध करनेवाले सदस्य द्वारा व्याख्यातमक चक्रवृ	47
112	विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना	48
113	विधेयकों की पंजी से गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक हटाने के लिये विशेष उपचार	48
	(ज) संचयान में संशोधन का अनुसमर्थन	
114	संचयान में संशोधन का अनुसमर्थन	
	अध्याय-11	
115	याचिकाओं की व्यापति	49
116	याचिका का सामान्य प्रपत्र	49
117	याचिका के हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण	50
118	याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाया जायेगा	50
119	प्रतिहस्ताकर	50
120	याचिका सभा को सम्बोधित की जायेगी	50
121	याचिका का रूप	50
122	याचिका का उपस्थापन	50
123	समिति को निर्देश	50
	अध्याय-12	
	प्रत्यायुक्त विधान	
124	विनियम, नियम आदि का पटल पर रखा जाना	51
125	संशोधन पर चर्चा के लिए समय का नियतन	51

<b>अध्याय-13</b>	
126 संकल्प की गृहना	52
127 संकल्प का रूप	52
128 संकल्प की ग्रहणता	52
129 ग्रहणता का विनिष्ठय	53
130 न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन मामले	53
131 संकल्प का प्रस्तुत किया जाना	53
132 संशोधन	54
133 भाषणों की समय-सीमा	54
134 चर्चा की व्याप्ति	54
135 संकल्प और संशोधन की वापसी	54
136 संकल्प को विभाजित करना	54
137 संकल्प को पुनरुक्ति	55
138 मंजी के पास पारित संकल्प भेजना	55
<b>अध्याय-14</b>	
प्रस्ताव	
139 लोकहित के किसी विषय पर चर्चा	56
140 प्रस्ताव की सूचना	56
141 ग्रहणता की शर्तें	56
142 ग्रहणता का विनिष्ठय	57
143 न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन मामले	57
144 चर्चा के लिये समय का नियन्त्रण	57
145 अध्यक्ष निरिचित समय पर प्रश्न रखेंगा	57
146 भाषणों के लिये समय-सीमा	57
<b>अध्याय-15</b>	
ध्यानकर्त्त्व	
147 ध्यानकर्त्त्व	58

#### अध्याय-16

अविलम्बनीय लोक महात्म के विषय पर चर्चा

148	चर्चा उठाने की सूचना	60
149	ग्राहकता का विविश्चय	60
150	कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा	60
151	भाषणों के लिये समय-सीमा	60

#### अध्याय-17

152	अल्पकालीन चर्चा उठाने की सूचना	61
153	ग्राहकता का विविश्चय	61
154	औपचारिक प्रस्ताव का निर्वन्धन	61
155	समय शीमा का नियतन	61

#### अध्याय-18

मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव और पदत्याग  
करने वाले मंत्री का वक्तव्य

156	प्रस्ताव करने सम्बन्धी प्रक्रिया	62
157	मंत्री का वक्तव्य, जिसने पदत्याग किया हो	63

#### अध्याय-19

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिये संकल्प

158	संकल्प की सूचना	
159	संकल्प को हटाने के लिये सभा की अनुमति	64
160	नियत दिन की कार्यसूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना	65
161	भाषणों के लिये समय-सीमा	65
162	चर्चा की अन्तिमि	

#### अध्याय-20

विशेष छार्च (क) आय-ज्यवक

163	आय-ज्यवक का प्रस्तुतीकरण	66
164	प्रस्तुतीकरण के दिन चर्चा न होना	66

(ब) अनुदानों की माँग

165	अनुदान की माँग	66
166	आय-व्यवक पर सामान्य चर्चा	66
167	अनुदानों को माँगें पर मतदान	67
168	कटीती प्रस्तावों को सूचना	67
169	कटीती प्रस्तावों को ग्रहण की शर्तें	67
170	ग्रहण का विनिश्चय	69
171	लैखानुदान	69
172	अनुपूरक, अपर अतिरिक्त, अपवाद अनुदान या प्रत्यानुदान	69
173	अनुपूरक अनुदान पर चर्चा को व्याप्ति	70
174	सांकेतिक अनुदान	70
	(ग) विनियोग विधेयक	
175	विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया	70
176	विनियोग विधेयक पर चर्चा	71
177	कार्य जो किसी प्रकार के विशेष कार्य के लिये नियम दिन किया जा सकता हो	71
178	विशेष कार्य के निवारने के लिये समय-सीमा	71
	अध्याय-21	
179	राज्यपाल से सभा को सम्बाद	73
180	सभा से राज्यपाल को सम्बाद	73
	अध्याय-22	
	सभा की गोपनीय बैठक	
181	गोपनीय बैठक	74
182	कार्यवाही का वृत्तान्त	74
183	अन्य प्रकरणों में प्रक्रिया	74
184	गोपनीयता का प्रतिवर्ण हटाना	74
185	कार्यवाही या विनिश्चय का प्रकट किया जाना	75

### अध्याय-23

विशेषाधिकार (विशेषाधिकार के प्रश्न)

186	विशेषाधिकार के प्रश्न	76
187	विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना	76
188	ग्राहकों की शर्तें	76
189	प्रश्न उठाने की रीति	76
190	विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना	77
191	विशेषाधिकार समिति को प्रश्न सौंपने की अध्यक्ष की शक्ति	77
192	प्रक्रिया का विविधमन (ख) अध्यक्ष को सदस्य के बदीकरण, निरोध, रिहाई की सूचना दण्डाधिकारी द्वारा सदस्य के बदीकरण, निरोध आदि को बारे में सूचना	77-78
193	सदस्य को रिहाई की अध्यक्ष को सूचना	
194	(ग) सभा के परिसर में बदीकरण और वैध जारीतों के निर्वहन को बारे में प्रक्रिया	
195	सभा के परिसर में बदीकरण	78
196	वैध जारीता का निर्वहन	

### अध्याय-24

197	सभा समिति	79
198	समिति को नियुक्ति	
199	समिति के सदस्यों की पदावधि	79
200	सदस्य का यदत्याग	79
201	समिति का सभापति	79
202	गणपूर्ति	80
203	समिति की बैठकें	80
204	समिति में मतदान	80
205	उपसंमितियों नियुक्त करने की शक्ति	81
206	सभा की बैठक के समय समिति की बैठकें	81

207	बैठकों का स्थान	81
208	साक्ष्य लेने, पत्रों, अभिलेखों मौगले की शक्ति	81
209	अकियों को बुलाने, पत्रों अभिलेखों को मौगले की शक्ति	81
210	साक्षियों को जैव के लिये प्रक्रिया	82
211	समिति की बैठक के दैरण समिति से इतर सदस्यों की उपस्थिति	82
212	पटल पर रखे जाने या प्रकाशित होने से पूर्व कार्यवाहियाँ और प्रतिवेदन गोपनीय होना	82-83
213	विशेष प्रतिवेदन	83
214	समिति का प्रतिवेदन	83
215	उपस्थापन के बहले प्रतिवेदन का शासन की उपलब्ध किया जाना	83
216	प्रतिवेदन का उपस्थापन	84
217	प्रतिवेदन के उपस्थापन के पूर्व मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन	84
218	प्रक्रिया पर सुझाव देने की शक्ति	84
219	विस्तृत नियम बनाने की शक्ति	84
220	अध्यक्ष की निरेश देने की शक्ति	84
221	समितियों का असमाप्त कार्य	85
222	लम्बित कार्य सभा के सञ्जाकसामान पर न्यायगत नहीं होगा	85
223(i)	समिति के मनोनयन की अध्यक्ष की शक्ति	85
223(ii)	मामान्य नियमों का समितियों पर लागू होना	85
	कार्यं पंत्रणा समिति	
224	समिति का गठन	85
225	समिति के कृत्य	85
226	समिति का प्रतिवेदन	86
227	समय के बैठकों का आदेश	86
228	निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों पर निष्ठारा	87
	याचिका समिति	
229	समिति का गठन	87
230	समिति के कृत्य	87

### **प्रत्यावृक्त विद्यान समिति**

231	समिति का गठन	87
232	समिति के कृत्य	88
233	आदेशों का संकलन और प्रकाशन	88
234	आदेशों की जाँच	88
235	प्रतिवेदन	89
236	अध्यक्ष की नियुक्ति देने की शक्ति	89
	<b>लोक-लेखा समिति</b>	
237	समिति का गठन	89
238	समिति का नियंत्रण एवं कार्य	90
	<b>प्राक्कलन समिति</b>	
239	समिति का गठन	91
240	समिति के कृत्य	91
	<b>सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति</b>	
241	समिति का गठन	92
242	समिति के कृत्य	93
	<b>सरकारी आश्वासन समिति</b>	
243	समिति का गठन	93
244	समिति के कृत्य	94
	<b>विशेषाधिकार समिति</b>	
245	समिति का गठन	94
246	समिति का कृत्य	94
247	समिति की बैठकें	95
248	प्रतिवेदन पर विचार	95
249	संशोधन	95

### नियम समिति

250	समिति का गठन एवं कृत्य	96
	सदस्य सुविधा एवं आवास समिति	
251	समिति का गठन एवं कृत्य	96
	पुस्तकालय समिति	
252	समिति का गठन एवं कृत्य	94
	प्रश्न एवं व्यानाकरण समिति	
253	समिति का गठन	97
254	समिति के कृत्य	97
	जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति	
255	समिति का गठन	98
256	समिति के कृत्य	98
	पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति	
257	समिति का गठन	98
258	समिति के कृत्य	99
	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का समिति	
259	समिति का गठन	99
260	समिति के कृत्य	99
	निवेदन समिति	
261	समिति का गठन	99
262	समिति के कृत्य	99
263	सदन में निवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	99
	अल्पसंख्यक, पिछड़ा, कमज़ोर वर्ग, महिला एवं बाल विकास समिति	
264	समिति का गठन	100
265	समिति के कृत्य	100

सामान्य प्रयोजन समिति		
266	समिति का गठन एवं कार्य	100
	अध्याय-25	
	प्रक्रिया के सामान्य नियम	
267	सभा की भाषा	102
	सूचनायें	
268	सदस्यों द्वारा सूचनायें	102
269	सूचनाओं का पहले से प्रकाशन	102
270	सूचनाओं तथा एवं का सदस्यों में परिचालन	103
271	सत्रावसान होने पर लंबित सूचनाओं व्यवगमन	103
272	जन्मुत्र प्रस्ताव, संशोधन, संकल्प सत्रावसान पर अवणगत नहीं होती	103
273	सूचनाओं का अध्यक्ष द्वारा संशोधित किया जाना	103
	प्रस्ताव	
274	प्रस्ताव की पुनरावृत्ति	104
275	प्रस्ताव की वापसी	104
276	प्रस्ताव पर वाद-विवाद का स्थगन	104
277	विलंबकारी प्रस्ताव	104
278	यह प्रस्ताव कि नीति या रिव्यु या वकाल्य या फिसी अन्य विधय पर विचार किया जाए	104
	संशोधन	
279	संशोधन	105
280	संशोधनों की सूचना	105
	सदस्यों द्वारा पालनीय नियम	
281	बोलते समय सदस्य का गहड़ा होना, औंचित्य प्रश्न के उपस्थापन पर बैठ जाना	105
282	अध्यक्ष के छहड़े होने पर प्रक्रिया	105
283	सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पालनीय नियम	106

284	बौलते समय यालनीय नियम	106
285	किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया	107
286	प्रणालों का अध्यक्ष के मार्केट पूछा जाना	108
287	असंगति या पुनरुत्थान	108
288	वैयक्तिक स्पष्टीकरण	108
	भाषणों का छम और उत्तर देने का अधिकार	
289	भाषणों का छम और उत्तर देने का अधिकार समापन	108
290	समापन	109
291	बाद-विवाद परिवीर्मा विनिश्चय के लिए प्रश्न	109
292	सभा का विनिश्चय प्राप्त करने की प्रक्रिया	110
293	प्रस्तावना या प्रश्न का रखा जाना विभाजन	110
294	विभाजन	
295	मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य उद्घृत पत्रों का पटल पर रखा जाना	110
296	उद्घृत पत्रों का पटल पर रखा जाना मंत्री को दिये गये परामर्श या राय के ओत का मंत्री द्वारा प्रकट किये जाने पर प्रक्रिया	
298	पटल पर रखे गए पत्रों के साथ अवहार सदस्यों का बाहर चला जाना तथा निलंबन	
299	सदस्य का बाहर चला जाना	111
300	सदस्य का निलंबन बैठक का निलंबन	111
301	सदन को स्थगित करने की अध्यक्ष की शक्ति	112

	<b>औचित्य प्रश्न</b>	
302	औचित्य प्रश्न और उस पर विनिश्चय	112
	<b>शून्यकाल</b>	
303	शून्यकाल की सूचनाये	113
304	प्रक्रिया	113
	<b>व्यवस्था बनाये रखना</b>	
305	अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और विनिश्चयों का प्रबंधन करेगा	114
	<b>कार्यवाहियों का अधिनेता</b>	
306	सभा की कार्यवाहियों का अधिनेता	114
307	शब्दों का विलोचन	115
308	भाषण आदि को प्रमाणित प्रतिलिपि देना	115
	<b>पत्रों की अभिरक्षा</b>	
309	पत्रों की अभिरक्षा	116
	<b>सभा-ध्वनि</b>	
310	सभा के ध्वनि के उपयोग पर निर्भन्धन	116
	<b>अजनबियों का प्रयेश</b>	
311	अजनबियों का प्रयेश	116
312	अजनबियों का माहर चलत जाना	116
313	अजनबियों को हटाया जाना या अभिरक्षा में लेना	
	<b>नियमों का निलम्बन</b>	
314	नियमों का निलम्बन	117
	<b>अवशिष्ट शक्तियाँ और स्वायी आदेश</b>	
315	अवशिष्ट शक्तियाँ	117
	सभा के स्थान का त्याग तथा उमसी रिविल और	
	सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	
316	सभा से स्थानों का त्याग	118

317	सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा	119
318	लूटी के असमान भाग का व्यवगमन	120
319	सभा में स्थानों का रिकॉर्ड होना	120
	<b>अनुसूचियाँ</b>	
(क)	प्रथम अनुसूची-साचिका का प्रपाद	121
(ख)	द्वितीय अनुसूची-सदस्य के बंदीकरण, निरोध, दोष मिल्डि, रिहाई की सूचना	
	<b>अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्वार्थी आदेश</b>	
	<b>अध्याय-1</b>	
1.	सभा के समस्या के विभिन्न वर्गों को सापेक्ष पूर्ववर्तिता	124
	<b>अध्याय-2</b>	
2	शालाका	
3	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शालाका	126
4	शालाका परिणाम	
5	शालाका के पश्चात् पुरास्थापित विधेयकों की कार्यवाही	
6	शालाका की सूचना	126
	<b>अध्याय-3</b>	
	स्थगन प्रस्ताव, व्यापाकर्णण, नियम 139, 148 तथा 303 के अधीन सूचनायें	
7	स्थगन/ध्यावाकर्णण एवं नियम 303 की सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रक्रिया	
7(4)	स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर संख्या-सीमा	127
7(5)	सूचनाओं की संख्या सीमा	127
	<b>अध्याय-4</b>	
	<b>विधान</b>	
8	सरकारी विधेयकों को पुरास्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना	129

9	विधेयक पुरस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव का कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाना	129
10	उन सदस्यों के नामों का एक साथ रखा जाना जिन्होंने एक से गैर-सत्कारी विधेयकों की सूचनाएं दी हो	129
11	विधेयकों के पुरस्थापन के लिए अधिकार का दिया जाना	
12	पुरस्थापन के बाद विधेयक को आगे चलाने के लिए, दूसरे सदस्य को अधिकार दिया जाना	130
13	विधेयकों को विभिन्न प्रकारों में शुद्ध करने की प्रक्रिया	130
14	अन्तराखण्ड में प्राप्त विधेयकों को पुरस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्तावों के अतिरिक्त विधेयकों के संबंध में अन्य प्रस्तावों की सूचनाओं के बारे में कार्यवाही	131
15	विनियोग विधेयक की प्रक्रिया	131
	अध्याय-5	
16	नियम के अधीन प्राप्त याचिकाओं का साधारण रूप	132
17	दोषपूर्ण याचिकाओं का चापस किया जाना	132
18	याचिकाओं को प्राप्त्यक्षता के आधार	133
	अध्याय-6	
	सभा समितियाँ	
	(क) सभा समितियों पर लागू होने वाले सामान्य आदेश	
19	समिति में सभा-समिति का सम्मिलित होना	134
20	सभा-समितियों पर सामान्य निर्दश लागू होना	134
21	समिति को बैठक में प्रक्रिया	134
22	सभापति द्वारा मतदान के लिये प्रश्न रखा जाना	134
23	किसी प्रश्न पर पुनर्विचार के इच्छुक सदस्य द्वारा सभापति की अनुमति लेना	134
24	समिति के कार्यवाही गोपनीय होगी	135
25	उप-समिति की नियुक्ति	135
	(1) समिक्षण का घोषण	
	(2) समिक्षण का कृतया जाना	135
	(3) गोप्य के साथ साझा	

27	साक्षियों का साक्ष नार्वेजिनिक समझा जाना	136
28	साक्ष के दीर्घ पालनीय नियम	136
29	समिति के समक्ष सरकारी अधिकारियों का साक्ष	137
30	साक्षियों द्वारा किये गये ज्ञापनों पर विचार	137
31	साक्षियों से प्रश्नों का पूछा जाना	137
32	समिति के विचारणीय विषयों के बारे में संदेश सचिव के नाम से भेजा जाना	138
33	समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में से असंबद्ध शब्दों/वाक्यों या अभियुक्तियों का निकाला जाना	138
34	राजदान: कार्यवाही	138
35	बैठकों की कार्यवाही का सारांश	138
36	समिति के प्रतिवेदन	139
37	प्रतिवेदन में साक्ष का उल्लेख	139
38	नियम 217 के अधीन समिति के प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना	139
39	समिति/उपसमिति के सभापति/संयोजक को प्रतिवेदन में अध्यक्ष गलतियों अथवा तथ्य सम्बन्धी विषयों को सुधार सकने की शक्ति	140
40	प्रतिवेदन का मुद्रण तथा परिचालन	141
41	समिति की सिफारियों पर की गई कार्यवाही	141
42	विवीय समितियों के सभापति या सदस्यों की सरकारी समितियों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति	141-142
43	सरकारी समिति के सदस्यों की विस्तृय समितियों के सभापति या सदस्यों के रूप में नियुक्ति	142
(ख)	विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियाँ	
44	प्रवर समितियों को ऐसे गए ज्ञापन/अध्यावेदन	143
45	विधेयक पर सामान्य चर्चा नहीं होगी	143
46	प्रवर समिति के बैठक में संशोधन प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया	143

47	विधेयक पर जावड़ा: चर्चा	143
48	प्रवर समिति के काम में प्रश्नों की सूचना अध्यक्ष को देना	143
49	प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाना	144
50	विधेयक पर जापन प्रस्तुत करना	144
51	विधेयकों सम्बन्धी याचिकाएं, विधेयक सम्बन्धी प्रवर समितियों को निर्दिष्ट समझा जाना	144
52	याचिकाओं इत्यादि पर दी गई कार्यवाही को प्रवर समिति के प्रतिवेदन में दर्शाया जाना	144
53	प्रवर-समिति के प्रतिवेदन का प्रतिरूप	144
54	प्रवर-समिति के प्रतिवेदन पर विपक्ष टिप्पणी	145
55	विज्ञा तिर्थि की विभासि टिप्पणी	145
56	समिति की बैठकों से अनुष्ठानित सदस्य का विभासि टिप्पण	145
57	प्रतिवेदन पर विचार किए जाने तथा उसके स्वीकार हो जाने के प्रश्नात् सदस्य द्वारा विभासि टिप्पण दिया जाना	145
58	प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का मुद्रण	
	(ग) याचिका समिति	
59	याचिका समिति	146
60	याचिकाओं के रूप में अप्रस्तुत आवेदनों पर विचार किया जाना	146
61	प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद याचिकाकार को सूचित किया जाना	147
	(घ) प्राक्कलन समिति	
62	विभागों के अनुमानों के परीक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया	147
63	समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन	151
	(ङ) प्रणालुक विधान समिति	
64	समिति का क्षेत्र	152
65	विभागों अध्यक्ष अन्य प्राधिकारियों द्वारा सामग्री का दिया जाना	152
66	आदेशों का परीक्षण	152
67	आदेश के घटह पर रखे जाने के प्रश्नात् विभाग द्वारा अदेश से सम्बन्धित साहित्य का प्रदान	153

68	परीक्षण की प्रक्रिया	154
69	ज्ञापनों का परिचयन	154
70	प्रतिवेदन के साथ अन्य दस्तावेजों का उपस्थापन	154
71	समिति की सिफारिश (च) सरकारी आश्वासन समिति	154
72	आश्वासन का कार्यव्ययन (छ) सरकार द्वारा गठित समितियों तथा अन्य निकाय जिसमें विधान सभा का प्रतिनिधित्व होता है-	155
73	समिति तथा अन्य निकायों के लिए नियांचन विभाग में विधान सभा का प्रतिनिधित्व होता है	155
	अध्याय-7	
74	विधान सभा के स्थानों का त्वाग और रिक्षा सदन के स्थानों का त्वाग अध्याय-8	156
	(क) उस सदस्य की सूचना के बारे में कार्यवाही जो बाद में मंजी नियुक्त हो जाए।	157
75	उस सदस्य की सूचनाओं के बारे में कार्यवाही जो बाद में मंजी नियुक्त हो जाए	157
76	सूचनाएँ रिये जाने के लिए समय-सीमा (ख) विधायक दल/विधायक समूह को मान्यता	157
77	विधायक दल/विधायक समूह को मान्यता देने की प्रक्रिया (ग) (I) सभा-भवन का परिसर	157
78	सभा भवन का परिसर	158
79	सुरक्षा अधिकारी का उत्तराधिकार	158
80	विधान सभा के समिति-कक्ष का उपयोग (II) विधान सभा परिसर में दर्शक के आदेश से प्रवेश यत्र जारी किया जाना	159
81	विधान सभा परिसर में समिति के उद्देश से प्रवेश पत्र जारी किया जाना	160

82	परिसर में प्रवेश-पत्र भारक की तलाशी	160
	(घ) विभाजन द्वारा भवित्व	
83	विभाजन द्वारा भवित्व की प्रक्रिया	161
	(ड) मंत्री अथवा सदस्यों के बकल्यों में गलती या अपर्याप्त बतलाना	
84	मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन में दिए गए बकल्य में कोई गलती या उपर्याप्तता बतलाने के लिए प्रक्रिया	162
	(च) पत्रों का पटल पर रखा जाना	
85	कार्य सूची में प्रतिविटि	162
86	गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पटल पर रखा जाना	163
87	गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पटल पर रखने की प्रक्रिया	163
	<b>अध्याय-9</b>	
	विधान सभा की विभिन्न दीर्घियों में दर्शकों का प्रवेश	
	विनियमित करने हेतु विनियम	
88-93	दीर्घियों के प्रकार	164
94-100	सामान्य दर्शक दीर्घि	165
101-103	अधिकारी दीर्घि	166
104	पत्रकार दीर्घि	166
105	पत्रकार दीर्घि समिति	167
106	गठन एवं कार्यकाल	167
107	बैठक तथा कृत्य	167
108	पत्रकार दीर्घि में प्रवेश प्रक्रिया	168
109-110	दीर्घि सम्बन्धी सामान्य विनियम	169
	<b>परिशिष्ट</b>	
1.	परिशिष्ट (1) याचिका सम्बन्धी सूचना का प्रारूप	173
2.	परिशिष्ट (2) प्रत्यर समिति के प्रतिवर्द्देन की प्रारंभिक प्रक्रियाएँ	174
3.	परिशिष्ट (3) विशिष्ट दर्शक दीर्घि में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र	176
4.	परिशिष्ट (4) सामान्य दर्शक दीर्घि में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र	178
5.	परिशिष्ट (5) पत्रकार दीर्घि में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र	179

अध्याय-।

### प्रारंभिक

- |                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. दो नियम "झारखण्ड विधानसभा" के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम कहलायेंगे।                                                           | सहित नाम  |
| 2. इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-                                                                                  | परिभाषाएँ |
| क. 'प्राज्ञ' का तात्पर्य सभा के समाचार पत्र से है, जिसमें-                                                                               |           |
| (क) सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त अधिवेश्य,                                                                             |           |
| (ख) सभा के कार्य को बारे में या उससे संबंधित किसी विषय पर या अन्य विषय पर, जो अध्यात्म की राय में उसमें सम्मिलित किया जा सके, जानकारी और |           |
| (ग) संसदीय सभितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट हो।                                                                                   |           |
| ख. "संविधान" का तात्पर्य भारत की संविधान से है।                                                                                          |           |
| ग. "विधम" का तात्पर्य विधानसभा के नियम से है।                                                                                            |           |
| घ. "विधानसभा" का तात्पर्य झारखण्ड विधानसभा से है।                                                                                        |           |
| छ. "पटल" का तात्पर्य सभा के पटल से है।                                                                                                   |           |
| च. "सदस्य" का तात्पर्य विधानसभा के सदस्य से है।                                                                                          |           |
| छ. "गैर-सरकारी सदस्य" का तात्पर्य भी या संसदीय सचिव को छोड़कर हिस्सी अन्य सदस्य से है।                                                   |           |
| ज. "मंत्री" का तात्पर्य महिलाएँ एवं या संसदीय सचिव को या संसदीय सचिव से है।                                                              |           |
| झ. "वित्त मंत्री" का तात्पर्य वित्त भारताधिक मंत्री से है, या किसी ऐसे अन्य मंत्री से है जिसे वह इन नियमों के अधीन उसे सौंपा             |           |

हुआ कृत्य प्रत्यायुक्त करें।

- अ. "सभा नेता" का तात्पर्य मुख्यमंत्री से है और उसके अंतर्गत है- कोई भी एक विधायक सभा नेता को सीधे हुए कृत्य प्रत्यायुक्त करें।
- ब. "सचिव" का तात्पर्य विधानसभा के सचिव से है, उसके अंतर्गत कोई भी एक अधिकारी है जो उस सभय सचिव के कर्तव्यों का प्रलेन कर रहा हो।
- द. "सभा" का तात्पर्य विधानसभा से है।
- इ. "सभा कक्ष (लाबी)" का तात्पर्य उन बन्द वीथियों से है, जो सभा-वेश से विच्छूल सलग्न दाहिनी तरफ चाहि ओर है।
- ई. "सभा के परिसर" का तात्पर्य सभा-वेश, सभा कक्ष, दोषज्ञ और उनके विलाकर ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनका अध्ययन सभय-सभय पर उल्लेख करें।
- ए. "विधानसभा सचिवालय" का अर्थ यही है कि विधानसभा सचिवालय से है और इसके अंतर्गत तात्पर्य प्रकृत अध्यक्ष के प्राप्तिकार के अंतर्गत स्वाधित गौची से बाहर कोई कैम्प अंडिक्स आता है।
- ऐ. "सभा पत्र" का तात्पर्य झालांड राजपत्र से है।
- ए. "सभा समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जिसे सभा नियुक्त या नियोजित करे या अध्यक्ष नाम-निर्देशित करे और जो अध्यक्ष के निर्देश के अंतर्गत काम करे और अपना प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को प्रस्तुत करे।
- द. "सरकारी उष्णकम" से अभिषेक है कम्पनी अधिनियम, 1956 (कमांड. 1 ब्र. 1956) की भाग 617 के अर्थ के अंतर्गत कोई सरकारी कामनी और उसकी अंतर्गत आता है कोई नियम या कोई अन्य कानूनी विकाग चाहे वह किसी भी नाम से जात हो जो ज्ञात्येक दशा में, उन्ह सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो।

खण्ड-1

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा  
कार्य सचालन के नियम  
(संविधान के अनुच्छेद 208 के खण्ड (1) के अधीन)  
(दिनांक 1 सितम्बर, 2001 से प्रभावी)

५. "प्रस्ताव का तात्पर्य किसी प्रमाणपक्ष से है, जो सप्त के विचारणे प्रनुत जी जाए और उसमें प्रस्ताव का संशोधन भी सम्मिलित है।
६. "भारताधिक गदरव" का तात्पर्य उस सरलय से है, जो विधेयक या अन्य कार्य का प्रचारन करे और किसी सरकारी विधेयक या अन्य कार्य के बारे में किसी भी मंजी से है।
२. (i) सीविधान और उस नियमावली में प्रमुख राज तथा प्रदूषकों के अर्थ, जब-तक इसमें अन्यथा अपेक्षित न हों, वहीं होये जो सीविधान में दिए गये हैं।
- (ii) यदि इन नियमों के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो अध्यक्ष का विविहय अंतिम होगा।

## अध्याय-2

**सदस्यों को आमंत्रण, उनका बैठना, शपथ या  
प्रतिज्ञान और सदस्यों की नामावली**

**आमंत्रण**

3. जब सर्विधान के अनुच्छेद 174 (1) के अधीन सभा आहूत  
की जान तब सचिव, सभा के लिए तिथि, स्थान का घलाउळ करते हुए  
प्रत्येक सदस्य को आहूत रह भेजेगा;

परन्तु जब सभा अवृ-सूचना पर या आगात् रूप से चुलाया जाये  
तब सभा को तिथि, समय और स्थान का घलाउळ राजनत्र और  
समाचार-खबों में किया जा सकेगा और सदस्यों को तार या फैक्स या  
अन्य यापनाओं से जानकारी नी जा सकेगी।

**सभा**

4. सभा का सभा सर्विधान के अनुच्छेद 174 (1) के अधीन  
राज्यपाल के आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि को प्रारंभ होगा और सर्विधान  
के अनुच्छेद 174 (2) (क) के अधीन राज्यपाल के सभा का सत्रावसान  
करने के आदेश की तिथि को समाप्त होगा;

परन्तु यह कि कार्य उस समय समाप्त किया जा सकेगा, जो सभा  
के नेता के याचनार्थी से बहु अध्यक्ष द्वारा उस सभा के लिए नियत सभा  
की अनियम बैठक के लिए नियमित किया जाये।

**सदस्यों के  
बैठने का त्रैम  
शपथ या  
प्रतिज्ञान**

5. सदस्य ऐसे त्रैम में बैठेंगे जो कि अध्यक्ष प्रधानित करे।

6. जो सदस्य सर्विधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार मैं पहले  
ही शपथ न ले चुका हो या प्रतिज्ञान न कर चुका हो वह सचिव को  
लिखित रूप में पूर्ण सूचना देकर किसी भी दिन सभा की बैठक के  
प्रारंभ में अध्यक्ष सभा की बैठक के किसी अन्य समय पर, जैसा कि  
अध्यक्ष नियत दे, ऐसा कर सकता है।

**सदस्यों की  
नामावली**

7. सभा के सदस्यों की एक नामावली होगी जिस पर प्रत्येक  
सदस्य अपने स्थान पर बैठने से पहले, सचिव को सामने हस्ताक्षर  
करेगा।

## अध्याप-३

**अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सधारणि  
तालिका का नाम-निर्वेशन**

8. (1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि गुरुवार का निरिचित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेंगा।

(2) इस प्रकार विषय तिथि को पूर्ण, दिन को मध्याह्न से बहले कोई भी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाए सचिव को सचेतित तिरिचित रूप में सूचना दे सकेंगा और उस सूचना का अनुमोदन एक लीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, विसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में काम करने को सहमत है;

परन्तु कोई सदस्य अपना सर्वोक्तु का नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न उसका अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा।

(3) कार्य सूची में विस सदस्य के नाम पर कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत लगा विधिवत् अनुमोदित हो गये हों, वे एक-एक करके उसी बाय में रखे जायेंगे, विस बाय में कि वे प्रस्तुत किए गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विधाजन द्वारा विनिरिचित किए जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जावे तो यीठासीन अर्थि बाय के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सभा का अध्यक्ष नहीं रहता है।

9. (1) उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो अध्यक्ष निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना देंगे।

**उपाध्यक्ष का  
निर्वाचन**

(2) विषय 8 के उपनियम (2) से (4) तक के उपाध्यक्ष मध्यधी निर्देशों को स्वाम में उपाध्यक्ष सचिवी निर्देश प्रस्तुतित करने पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए लागू हैं।

10. (1) यापारिषदि प्रत्येक सत्र की प्रारंभ में या समय-समय पर अध्यक्ष नाम के सदस्यों में से अधिक से अधिक पांच सभापतियों की एक तालिका नाम-निर्देशित करेगा, जिनमें से कोई एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपारिषदि में सभा में पीठासीन हो सकेगा।

**सभापति  
तालिका**

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित सभापति तालिका के सदस्य नई सभापति तालिका नाम-निर्देशित की जाने तक पद भारण करें।

**उपाध्यक्ष या  
सभा की  
वैठक में  
पीठासीन  
अन्य सदस्य  
की शर्तियाँ**

11. उपाध्यक्ष या या सचिवान अध्यक्ष इन नियमों के अधीन सभा की वैठक में पीठासीन होने के लिए सहम किसी अन्य सदस्य को, जब वह इस प्रकार पीठासीन हो, वही शक्ति होगी जो पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती है और इन परिस्थितियों में अध्यक्ष के प्रति यब निर्देश इस प्रकार पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।

## अध्याय-४

## सभा की बैठकें

12. सभा की बैठकें तभी विधिवत् गठित होनी चाहकि उसमें अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य पीड़ितों हो जो संविधान अधिका इन नियमों के अधीन सभा की बैठक में पीड़ितों होने के लिए सहम हो।

13. जब तक यि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, सभा की बैठक प्रतिदिन साधारणतया 11.00 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी और 4.00 बजे अपराह्न में समाप्त होगी, किसी एक घन्टे का मध्याह्न भोजनालयका छोड़ा जाए 1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक होगा:

परन्तु शुक्रवार को दिन वह मध्याह्न भोजनालयका 12.30 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक होगा;

परन्तु यह और भी कि यह सभा आठ ते उसकी बैठक यामिनीति किसी भी दिन या किन्हीं भी दिनों में 11.00 बजे पूर्वाह्न के पूर्व या मध्याह्न भोजनालयका के समय में या अपराह्न 4.00 बजे के पश्चात् भी हो सकती या उस समय के पूर्व स्थगित हो सकती और उस दिन या उन दिनों बैठक सभा द्वारा इस प्रकार निर्धारित समय पर समाप्त होगी।

14. सभा की बैठक सत्र के दौरान केवल ऐसे दिनों को सोबतर जो द्वाराखण्ड सरकार द्वारा या सभा द्वारा चुनी दी दिन धोषित किया गया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार और शुक्रवार को होगी;

परन्तु सभा की बैठक किसी भी शविवार को या अन्य किसी चूटी के दिन भी हो सकती, चाहे आह्वान यह में इसका उल्लेख हो या सभा इस आशय का विचारित्व करे या कार्य मंत्रणा संभिति इस आशय की विकारिता करे जो सभा द्वारा अनुमतिरित हो।

सभा की  
बैठकें कब  
विधिवत्  
गठित होगी;

बैठक का  
प्रारंभ तथा  
समाप्ति

सभा की  
बैठकें

**सभा का  
स्थगन**

15. नियम 16 तक 301 के उपर्योग को अधीन अध्यक्ष इन विधानों के अधीन या सभा द्वारा समय-समय पर विधान समाप्त को समय उसी सत्र में अगली बैठक तक के लिए या अनिवार्यत काल के लिए सभा को स्थगित कर सकता;

परन्तु अध्यक्ष सभा के समझ वाले हिस्ति पर विचार करते हुए सभा का मत प्राप्त करने पर सभा को उसी दिन बाद के किसी समय के लिए स्थगित कर सकता;

परन्तु यह और कि सभा को सभा के भेत्र द्वारा प्रस्तुत और सभा द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को अतिरिक्त, सत्र के लिए नियत सभा को अतिम बैठक के बाले किसी दिन, अनिवार्यत काल के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि सभा को नेता के प्रस्ताव पर उस दिन या तिथि विशेष से पूर्व जब तक के लिए सभा की बैठक स्थगित की गई हो या सभा के अनिवार्यतकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय सभा की बैठक बुला सकेगा।

**सभा के  
स्थगन पर  
निर्वाचन**

16. नियम 15 में अंतर्विष्ट किसी बाल के होते हुए भी, जहाँ संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (३) के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के आकाल की सुविधा सभा के सभ द्वारा लिए अतिम बैठक के दिन से कम से कम चौथे दिन पूर्व प्राप्त हुई हो और यदि सभा द्वारा उस संकलन का निपटारा न किया गया हो, तो बहास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीड़ासन व्यक्ति सभा द्वारा रखे गये और उसके द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को हिस्ति की ओरपर अन्यथा काय से सभा को-

(1) संकलन की सूचना प्राप्त होने के दिन से 15 दिन के बाद की अवधि के लिए, तथा

(2) जहाँ नियम 159 के उपर्योग (2) के अधीन संकलन प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त कर दी गई हो, वह उस दिन से, विस दिव ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो, 10 दिन से अधिक की अवधि के लिए स्थगित नहीं करेगा।

## अध्याय-5

## राज्यपाल का अधिभाषण और सभा को संदेश

17. अगले, सभिभान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन सभा के सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल के अधिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सभा नेता के पठापरी से समव नियत करेगा।

18. ऐसे दिन या दिनों में या किसी दिन के बाग में सभा किसी सदस्य द्वारा प्रश्नकृत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुसूचित धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे अधिभाषण में निर्दिष्ट विषय को चर्चा करने के लिए सहायता होगी।

19. (1) ऐसे प्रस्ताव पर ऐसी रूप में संशोधन प्रस्तुत किए जा संशोधन सकेंगे जिनमें अध्यक्ष उचित समझी।

(2) ऐसे प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य किसी संशोधन की मूद्दना ऐसे समय के दूर्भास दे सकेगा जैसा अध्यक्ष नियत करे।

20. प्रथम दिन प्रभन्नों व औपचारिक कार्यों को छोड़कर, अधिभाषण पर चाह-विचाद को अन्य सभी कार्यों से पूर्ववर्तित मालिनी किन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दिन राज्यपाल के अधिभाषण पर चर्चा के लिए नियत किया जा चुका है, विन कार्यों को लिया जा सकेगा:-

(क) सभा या उसके सदस्यों के किसी विशेषधिकार के खंग का प्रयोग,

(ख) अत्यावश्यक सोहङ महत्व के किसी विषय पर विमर्श के लिए सभा के कार्य-स्थान का प्रस्ताव,

(ग) कोई अत्यावश्यक सरकारी विधेयक,

(घ) नियत दिन को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य।

अधिभाषण  
पर चर्चा के  
लिए सभा  
का नियतन  
चर्चा की  
व्याप्ति

अध्यक्ष जो  
लिया जा  
सकेगा

**सरकार का  
उत्तर देने का  
अधिकार**

**भाषणों के  
नियम समय-  
सीमा**

**संविधान के  
अनुच्छेद  
175 (1) के  
अंतर्गत  
राज्यपाल का  
अधिभाषण**

**राज्यपाल से  
संदेश**

**संविधान  
पर राज्यपाल  
का  
अधिभाषण**

21. सरकार की ओर से मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री को, उसे उसने वर्चों में बहले भाग लिया हो या नहीं, वर्चों के अन्त में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा।

22. असम्भव, प्रसारण पर समान्य वर्चों के लिए और सूचना लिए गये संशोधनों में से प्रत्येक पर विचार करने के लिए यदि वह टोक समझे, समय-सीमा विहित कर सकेगा।

23. संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल के अधिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की वर्चों के लिए अध्यक्ष समय नियत कर सकेगा।

24. जब अध्यक्ष को सभा के लिए संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल से संदेश मिले तो वह सभा को संदेश पढ़कर सुनाएगा और संदेश में आवश्यक निर्देश देगा। ऐसे निर्देश देने में अध्यक्ष को उम्र सीमा तक नियमों को निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी जिस सीमा तक कि आवश्यक हो।

25. जब राज्यपाल, सभा का संवादसामन करे तो वह 'प्रधानमंत्रि सभा को समझे अधिभाषण दे सकेगा।

## अध्याय-6

## कार्य-विन्यास तथा कार्य-सूची

26. सभा नेता से परामर्श करने के बाद अध्यक्ष सरकारी कार्य-  
और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य सम्पादन के लिए उतने दिन नियत  
करेगा जितने कि आवश्यक हों।

27. सरकारी कार्य के सम्पादन के लिये नियत किये गये दिनों  
में उस कार्य को पूर्ववर्तित मिलेगी और सचिव उस कार्य का विन्यास  
ऐसे ज्ञाम में बारेत जैसा कि अध्यक्ष सभा नेता से परामर्श करने के  
बाद निर्धारित करे;

परन्तु विस दिन यह कार्य निपटारे के लिए रखा गया हो तसे  
दिन कार्य को ऐसे ज्ञाम में तब-तक परिवर्तित नहीं किया जाएगा तब-तक  
कि अध्यक्ष को समाप्तान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन को लिये पर्याप्त  
आधार है;

परन्तु यह और भी ही कि जो सरकारी कार्य दिन के अन्त में चलनीचैन  
हो वह उस वर्ग के कार्य के लिए नियत अगले दिन के लिए रखा  
जायेगा और उस दिन को लिए रखे गये अन्य सब कार्यों पर उसे  
पूर्ववर्तित मिलेगी जब तक कि अध्यक्ष पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन  
अथवा अन्य प्रकार से अन्य निर्देश न दे।

28. शुक्रवार की बैठक के अन्तिम दो घण्टे गैर-सरकारी सदस्यों  
के कार्य के सम्पादन के लिए नियत किए जायेंगे;

परन्तु अध्यक्ष विन-विन कार्यों के ऐसे कार्य के निपटाने के  
लिए विन-विन शुक्रवार नियत कर सकता और किसी वर्ग विशेष  
के कार्य के लिए इस प्रकार नियत शुक्रवारों को उस वर्ग के कार्य  
के लिये पूर्ववर्तित मिलेगी;

परन्तु यह और भी हि कि अध्यक्ष, सभा नेता को परामर्श से  
गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे कार्य के सम्पादन के लिए शुक्रवार के  
अतिरिक्त कोई और दिन भी नियत कर सकेंगा;

परन्तु यह और भी कि यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये सशाह में किसी अन्य दिन ये घने नियम कर दिये जायें।

**गैर-सरकारी  
सदस्यों/  
विधेयकों की  
पूर्ववर्तिता**

29. (1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को नियमाने के लिए विधायिका किये गये दिन ऐसे विधेयकों को निम्नलिखित ढंग में सापेक्ष पूर्ववर्तिता मिलेगी, अर्थात्;

(क) वे विधेयक जिनके संबंध में प्रस्ताव हो कि विधेयक को पुरस्कारित करने की अनुमति दी जाये,

(ख) वे विधेयक जो गुरुवारात द्वारा सचिवान के अनुच्छेद 200 या 2001 के अधीन संदर्भ के साथ संटोषाये गये हों,

(ग) वे विधेयक जिनके संबंध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो कि विधेयक पर विचार किया जाये,

(घ) वे विधेयक जिनके संबंध में किसी प्रवार समिति का प्रतिवेदन उपलब्धित किया जा सका हो,

(ङ) वे विधेयक जो राय जानने के लिये परिचालित किये गये हों,

(च) वे विधेयक जो पुरस्कारित किये गये हों और जिनके संबंध में कोई अंतिम प्रस्ताव न किया गया हो अथवा स्वीकृत न हुआ हो, और

(ङ) अन्य विधेयक।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) को सोड़कर एक ही खण्ड के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता शालाका द्वारा तथा ऐसे दिन और ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे नियमित की जायेगी;

परन्तु उपनियम (1) के खण्ड (च) के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों का विनाश उनके पुरस्कारित की तिथि के छंगों के अनुसार समय में किया जायेगा और (ख) से (छ) इनमें से क्रमेक समूह के अन्तर्गत सापेक्ष पूर्ववर्तिता शालाका द्वारा निर्भरित की जायेगी;

परन्तु यह और भी कि उपनियम (1) के सांग (क) के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कार्य-मूली में उस क्रम में दर्ज किया जायेगा किस क्रम में ऐसे प्रश्नों की सूचनाएँ जाना हुई हो।

30. उन संकलणों को सापेक्ष पूर्ववर्तीता विनको सूचनाएँ गैर-सरकारी सदस्यों के संकालणों की सापेक्ष पूर्ववर्तीता।

31. गैर-सरकारी सदस्यों के बे समस्त कार्य जो किसी दिन, के लिए नियमानुसार गये हैं और उस दिन व नियम सके हों उभी सत्र में उस कार्य के कार्य के लिए विस्तरे अनुमति दे जाती हो उपलब्ध होने वाले आगले दिन पर्याप्त या उस सत्र के ऐसे दिन पर्याप्त, हो उस प्रकार उपलब्ध हो, रख दिये जायेंगे, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे;

परन्तु ऐसे कार्य, जो उस दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, उस कार्य के लिए नियम अगले दिन रख दिया जायेगा और उसे उस दिन के लिए रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तीता मिलेगी।

32. (1) सचिव प्रत्येक दिन के लिए एक कार्य-मूली तैयार करेगा और उसकी एक प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपचारित अवस्था को छोड़कर, अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्य विस्तरे लिए सूचना जर्नलिंग हो, अध्यक्ष की अनुमति के बिना उस कार्य के बारे के लिए अपेक्षित सूचना की कालान्तरी अपार्टिंग होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिए नहीं रखा जायेगा।

(3) इन नियमों में अन्यथा उपचारित अवस्था को छोड़कर कोई कार्य विस्तरे लिए सूचना जर्नलिंग हो, अध्यक्ष की अनुमति के बिना उस कार्य के बारे के लिए अपेक्षित सूचना की कालान्तरी अपार्टिंग होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिए नहीं रखा जायेगा।

(4) नियम 31 के प्रत्यक्ष के अधीन अवशिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों के संकलणों से छोड़कर किसी भी दिन की कार्य-मूली में तीन अवस्था अध्यक्ष की अनुमति से लैन से अधिक हिन्दू पांच से अधिक संकलण मिलाया किए जायेंगे।

## अध्ययन-7

## प्रश्न

- प्रश्नों  
के लिए समय**      33. जब तक अध्यात्म अनुवाद निर्देश दे प्रत्येक बैठक का पहला घटना प्रश्न पूछने और उसके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।
- प्रश्नों  
की सूचना**      34. (1) जो सदस्य प्रश्न पूछता चाहते हैं, विस कोटि का प्रश्न हो, उसकी प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी लिखित सूचना सचिव को देंगे।
- (2) प्रश्नों की गोपनीयता होगी, यथा-
- (क) अल्प सूचित प्रश्न,
- (ख) लार्याकित प्रश्न, यथा
- (ग) अलार्याकित प्रश्न।
- (3) सूचना की अवधि - सज आहुत होने के बाद, जब तक अध्यात्म अनुवाद न दे, प्रश्न के लिए काम से कम 7 दिनों और अधिक से अधिक 14 दिनों की पूर्ण सूचना अपलब्ध होगी।
- (4) सूचना का रूप - प्रश्न की सूचना सचिव को लिखित रूप में दी जायेगी और उसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा:-
- (क) प्रश्न विस पर्वी को संबोधित होगा उसके विभाग या नाम,
- (ख) जब किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों ने हमलाकार किए हों तो वह सूचना बैंका प्रधान हमलाकारकर्ता के नाम पर दी जायेगी,
- (ग) प्रश्नों के छान्नुक्रम में विभाग के लिए निरिचित तिथियों में से किसी तिथि के लिए प्रश्न संबोधित किया जा सकता।
- (5) अल्प-सूचित प्रश्न - (क) जो सदस्य अल्प सूचित प्रश्न पूछता चाहते हैं उन्हें विस बैंक में पूछता चाहते हैं, उसकी लिखित

सूचना 7 दिन पूर्व संधिय को रहें:

परन्तु ऐसा कोई प्रश्न उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में वब तक नहीं रखा जायेगा वब तक कि संवित के द्वारा ऐसे प्रश्न की सूचना उस मंत्री को जिसे वह संबोधित हो, रिए हुए 4 दिन व बीत गये हों।

(ख) अल्प-मूर्चित प्रश्न अत्याकरणक लोक महात्म के किसी विधिवादी विषय पर ही पूछा जा सकेगा, और ऐसे प्रश्न का उत्तर सभा में भौतिक रूप से दिया जा सकेगा।

(ग) सदस्य जिस विषय पर अल्प मूर्चित प्रश्न पूछना चाहते हैं वे उसकी सूचना के साथ प्रश्न उठाने को अविलम्बीकरण के संबंध में एक संतोष भी प्रस्तुत करें।

(घ) यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि अल्प मूर्चित प्रश्न अत्यन्त लोक महात्म का एवं अविलम्बीय प्रकार का है तो वह 7 दिनों से कम की सूचना पर भी उसे दाहत्य कर सकते हैं तथा संबोधित व्यक्ति को भौतिक उत्तर देने के लिए विधिवादीत कर सकते हैं।

(इ) अल्प मूर्चित प्रश्नों के उत्तर उसी विधि को विशिष्ट रूप से सभा में रिए जायेंगे, जिस विधि की कार्य-सूची पर सम्मिलित होंगे;

परन्तु विशेष परिस्थिति में समय की मांग किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा इन्हें अधिक से अधिक एक वार अगली विधि के लिए स्वीकृति किया जा सकेगा।

(फ) तारांकित प्रश्न- (क) तारांकित प्रश्नों की सूचना का प्रभेद लगाकर अध्यक्ष तारांकित लिखकर प्रकट किया जायेगा,

(ख) लोक महात्म के किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए तारांकित प्रश्न पूछा जा सकेगा,

(ग) जो सदस्य तारांकित प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे जिस वैठक में इसे पूछना चाहते हैं, उसके कम से कम चौदह दिन पूर्व इसकी

सूचना संचित को दें।

(घ) स्थीकृत ताराकित प्रश्न विस तिथि की कार्य मूली में सम्प्रसित हों, इसका द्वारा निर्धारित काम में प्रथम बौम प्रश्नों के लिखित उत्तर उत्तर तिथि को बैठक अवधि होने के काम से कम एक महा पूर्व विधान यथा परिसर स्थित सदस्यों को कागजात रखने हेतु निर्धारित स्थान पर रख रिए जायेंगे तथा इनकी पांच-पाँच अतिरिक्त प्रतिच्छा संचित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(इ) संचित को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पांच प्रतिच्छा में से एक प्रति प्रश्नकार्ता सदस्य को विशेष सभा संचिकालय द्वारा वया-शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी, तथा

(फ) मीमिक उत्तर को लिए स्थीकृत ताराकित प्रश्न अधिक से अधिक एक बार, सरकार द्वारा सभ्य को बांग किए जाने पर, अध्यक्ष द्वारा अगली तिथि के लिए स्थगित किया जा सकेगा।

(ग) अताराकित प्रश्न :- (क) जिन प्रश्नों को लिए विस्तृत उत्तर या सारिग्यकी जानकारी या प्रतिवेदन आवश्यक हो अथवा विसका लिखित उत्तर मांगा जाए, उसको सूचना अताराकित रूप में भाने जायेगी,

(ख) पदि कोई सदस्य अपने प्रश्न की सूचना में अल्प सूचित प्रश्न अथवा ताराकित प्रश्न नहीं हिलाता है अथवा उपर्युक्त का तात्पर्य नहीं सांगता है तो वह प्रश्न अताराकित प्रश्न समझा जायेगा,

(ग) जो अल्प सूचित या ताराकित प्रश्न सभा में अनुमति हो ये अनागत प्रश्न अताराकित भाने जायेंगे,

(घ) अध्यक्ष को यह शक्ति होगी कि सञ्चाचार में यूँहे गये किसी अल्प सूचित अथवा ताराकित प्रश्न की अताराकित प्रश्न के रूप में स्थीकार करें।

(ङ) सत्रारंभ की अधिसूचना के पूर्व और सञ्चाचारान की अधिसूचना के पश्चात् कार्य सदस्य सभाह में अधिक से अधिक दो अताराकित प्रश्नों मीड सूचना दे रहकरें, तथा

(च) अताराकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सूचना की तिथि से

अधिक से अधिक एक माह के अन्दर सरकार द्वारा प्रश्नकार्ता सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को भेजा जाने आवश्यक होता तथा उसकी मुहिंत्र प्रतिपादा विधान सभा सचिवालय द्वारा सभा-पटल पर उपस्थित की जायेगी।

(8) सदन में तारीखित प्रश्नों के भौतिक उत्तर दिए जायेंगे और यदि उनके लिखित उत्तर भी ऐसे समय प्राप्त हो जायें तिससे नियम 45 के अधीन किसी दिन के लिए तैयार की जाने वाले प्रश्न सूची में उन्हें सम्बोधित किया जा सके, तब इन लिखित उत्तरों को संबोधित प्रश्न के साथ मुहिंत्र करकर सदस्यों को चरिचालित कर दिया जायेगा।

(9) किसी दिन के लिए एक सदस्य के दो तारीखित प्रश्नों अधिका वो अल्प मुहिंत्र प्रश्नों अधिका एक तारीखित प्रश्न और एक अल्प मुहिंत्र प्रश्न से अधिक की सूचना नहीं होती होगी:

परन्तु जब कोई प्रश्न मुहिंत्र कर दिया जाता है या भौतिक उत्तर के लिए किसी अल्प दिन की प्रश्न सूची में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो एक सदस्य के नाम में वो से अधिक प्रश्न भी शामिल किए जा सकेंगे।

35. अध्यक्ष किसी अल्प मुहिंत्र प्रश्न को तारीखित प्रश्न या अलाराइट प्रश्न के रूप में अधिका तारीखित प्रश्न को अलाराइट प्रश्न के रूप में बदल सकते।

प्रश्न का यर्ग  
बदलने की  
अच्छह की  
शक्ति

36. अध्यक्ष सूचना की अधिपि को भौतिक किसी प्रश्न या उसके किसी भाग को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकते हैं कि इसका संबंध ऐसे विषय से है जिससे मुख्यतः उन्हें सरकार का सहोकार नहीं है और यदि वे ऐसा करते तो वह प्रश्न या उसका भाग प्रश्न सूची में न रखा जाएगा और संबंध सदस्य को इसकी जानकारी नहीं जायेगी।

प्रश्न  
अस्वीकृत  
करने की  
अध्यक्ष की  
शक्ति

37. लोक-हित के किसी ऐसे नियन्त्रण और विशिष्ट विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न किया जा सकेगा जो राज्य सरकार या संबोधित सदस्य के विशेष संज्ञान में हो।

प्रश्न की  
विषय-वस्तु

परन्तु योग के किसी भाग में शोशाधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के नामांकीण के अपने न्यायिक कृत्यों के प्रयोग में आवश्यकता के प्रति किसी प्रसन्न में विरेण्य न किया जायेगा।

प्रश्नों के  
अधिकृत  
विषय

38. (1) यदी भी संबोधित प्रसन्न ऐसे लोक कार्य के बारे में होना चाहिए जिससे वे आधिकारिक तौर पर संबद्ध हो अथवा ऐसे प्रशासनिक विषय पर होना चाहिए जिसके लिये वे उत्तरदायी हों।

(2) गैर-सरकारी सदस्य को संबोधित प्रसन्न किसी ऐसे विषेषज्ञ संकाल्प या गवाहकार्य से संबोधित अन्य विषय के बारे में होना चाहिए जिसके लिये वे सदस्य उत्तरदायी हों।

प्रश्नों का सम्पूर्ण  
और अनन्वेष्ट

39. प्रसन्न की ग्राहित विनाकित शर्तों के अधीन होगी-

(1) इसमें संबोधित भाँती का आधिकारिक घटनाम अथवा यदि प्रसन्न गैर सरकारी सदस्य को संबोधित हो तो उन सदस्य का नाम डिलिखित रहेगा;

(2) इसमें ऐसा कोई नाम का कोई विवरण न रहेगा जो प्रसन्न को औधाराम्य बनाने के लिये निरानन आवश्यक न हो;

(3) यदि इसमें कोई विवरण हो तो उसकी परिषुद्धता के लिये सदस्य उत्तरदायी होगा।

(4) इसमें उक्त, अनुभव, अक्षेत्र, कठाल, ल्योग या मान-हानिकर कथन न रहेगा;

(5) इसमें कोई राय प्रणाल करने की या किसी प्रकलिप्त प्रतिपादन के इस की मांग न की जायेगी;

(6) यह आधिकारिक या सार्वजनिक हैमियत से विन ईमियत में किसी के चारित्र या अवरण के बारे में न पूछ जायेगा;

(7) प्रसन्न किसी भी दस्ता में 150 शब्दों से अधिक का नहीं होगा तथा टीकित अथवा हस्तालिपि में पृष्ठ के केवल एक की ओर होगा;

(8) इसमें परम्पर असम्बद्ध अनेक विषय न रहेंगे;

(9) यह उन विषयों से संबंधित न होगा जो अध्यात्म के ध्यानाधिकार के भीतर हों;

(10) इनमें ग्रामाचार-पत्रों का निर्देश नाम से किसी जा सकेगा, किन्तु यह न पूल जायेगा कि समाचार-बाज़ में दिला गया कोई वक़्तव्य यही है कि चाही, किन्तु यह भी कि यदि प्रश्नकर्ता सदस्य उपर्युक्त शर्त (3) को आवश्यकताएँ पूरी करे और प्रश्न को स्वतः पूर्ण बनायें, तो ऐसे वक़्तव्य की ओर आकृष्ट कर सकेंगे;

(11) इसमें ऐसी जानकारी न मानी जायेगी जो सदस्यों के लिये मुख्य लेखों में दी गई थी;

(12) इसमें प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उठाये गये विषय के संबंध में किसी जाम कार्रवाही के लिये सालः न हो तो सुझाव होगा न अनुरोध;

(13) जहाँ सिद्धांत की जात हो उसे छोड़कर यह किसी व्यक्तिगत व्यापक से संबंधित न होना चाहिए;

(14) इसमें नीति संबंधी ऐसे व्यापक प्रश्न न उठाये जायेंगे जो प्रश्न के उत्तर की सीमाओं के भीतर न आ सकें;

(15) इसमें ऐसे प्रश्न मारतः दुहराये न जायेंगे जिनके उत्तर सभा में दिये जा चुके हों;

(16) इसमें अगहतपूर्ण विषयों की जानकारी न मानी जायेगी;

(17) इसका संबंध उस विषय से नहीं होगा जिससे मुख्यतः स्थानीय प्राधिकार का स्तरोकार है, जबकि कि उसमें सरकार द्वारा कुछ उस्तुतियाँ न हुआ हो या हस्तशेष के लिये उचित आधार न हो;

(18) इसमें ऐसे विषयों भी लिये जानकारी न मानी जायेगी जो स्वभावतः गोपनीय हों, जैसे भविष्यात्मक के विषयीं, अधिका गण्यपात्र को ऐसे विषय पर दो नई सलाह दियाके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त न करने का संवैधानिक, परिविष्ट या प्रारंभिक उपबन्ध हो;

(19) इसमें किसी ऐसे विषय की जानकारी न मानी जायेगी

जो भारत के किसी भाग में सेवाप्रिकार रखने वाले न्यायालय के निर्णयाधीन हों, और न्यायिक या न्यायिक काल्पनिकरण का निर्णयित प्राधिकार के सामने अधिका किसी विषय को जीव या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी जीवों या जीव न्यायालय के सामने लालित विषयों के बारे में साधारणता; व पूछ जायेग, किन्तु जीव की प्रक्रिया, वस्तु-विषय या प्रक्रम से संबंधित किसी वात का निर्देश किया जा सकेगा, यदि इससे उस न्यायप्रिकारल, आयोग या जीव न्यायालय द्वारा इस विषय के विचार पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना न हो;

(20) इसके द्वारा परिचित या स्वायत्त निकालों से संबंधित किसी विषय की जानकारी न भागी जायेगी जब तक कि इसमें कोई वीहि का विषय निहित न हो या विवाहक लिये गए उत्तरदाती न हो, अधिका विस्का संबंध मरीं के किसी कार्य से न हो अथवा विस्मये पर्याप्त लोक-महत्व का कोई प्रश्न न उठता हो।

(21) कोई प्रश्न उस वाट-विवाह को निर्देश न करेगा जो चालू भवति में हो चुका है अथवा उसमें किसी ऐसे उत्तर का भी निर्देश न होगा जो चालू सत्र में दिया जा चुका है;

(22) किसी भविति की कार्यवाही के संबंध में, विस्का प्रतिवेदन समिति द्वारा सदन के समझ न रखा गया हो, प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा।

#### प्रश्नों की गाहता का निर्णय अध्यक्ष करेंगे

40. अध्यक्ष संगत विषयों के उपलब्धों को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न की गाहता का निर्णय करेंगे और किसी प्रश्न को अवश्यीकृत कर सकते हैं, यदि उनकी यह तो कि वह इन उपलब्धों के प्रतिकृत है अथवा प्रश्न करने के अधिकार को दुरुपयोग है अथवा सचा की प्रक्रिया में वाभा या विपरीत प्रभाव दालने के उद्देश्य से किया गया है;

परन्तु अध्यक्ष स्वीकृतेक से किसी प्रश्न को नियमों को अनुचूल बनाने के लिये सारोपित कर सकते हैं।

#### गवर्नर सरकार और भारत

41. जिन विषयों पर गवर्नर सरकार और भारत सरकार के बीच विवाद हो या रहा हो, उनके बारे में तथ्यों, विषयों के सिवा और कोई

प्रश्न न पूछ जायेगा और उत्तर भी तथ्यकथन तह सीमित रहेगा।

42. सचिव संबद्ध सरकारी विभाग को हरेक अल्प-सूचित प्रश्न की प्रति समधारणः उत्तर के लिये नियत लिखि से कम से कम पूरे चार दिन पहले उपलब्ध करायेंगे। वे संबद्ध सरकारी विभाग को ताराकित प्रश्न की प्रति उत्तर के लिये नियत लिखि से कम से कम पूरे दस दिन पहले उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के  
बीच विवाद  
संबद्धी प्रश्न  
सरकारी  
विभागों को  
अल्प-सूचित  
और ताराकित  
प्रश्न की  
प्रतियों का  
दिया जाना

43. अल्प सूचित प्रश्न और ताराकित प्रश्न के उत्तर के लिये समय विभिन्न दिनों को चक्रानुक्रम में सरकारी विभाग या विभागों को दिया जायेगा, जैसा कि अधिक समय-समय पर उपर्युक्त करें और ऐसे प्रश्न तदनुसार प्रश्न-सूची में रखे जायेंगे।

अल्प-सूचित  
प्रश्न और  
ताराकित  
प्रश्न के उत्तर  
के लिए  
समय

44. जिस तथा के संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो उसे और अपर्याप्त कराने के लिये कोई सारांश किसी अल्प-सूचित प्रश्न के गोदानक उत्तर पर अधिका किसी ताराकित प्रश्न के गोदानक एवं लिखित उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।

अनुपूरक  
प्रश्न

45. परन्तु देशे प्रश्न जिस सारस्वत के बाय पर ही वे ही सभसे पहले अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।

अपरंतु, अधिक कोई अनुपूरक प्रश्न अवशीकृत कर देंगे, यदि उनकी राय में उससे नियमों का अतिरिक्तन होता ही अधिक चार मुख्य प्रश्न के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पर्याप्त या उचित संख्या में पूछे जा सकें हों,

अपरंतु, उन प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में, जिन्हें इन नियमों के अनुसार सभा के पटल पर रखा गया हो, कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ जाएगा।

## प्रश्न सूची

45. (1) (क) जो उत्तर अस्वीकृत न हुए हों वे निम्न दिन की प्रश्न सूची में निम्न रीति से प्रविष्ट किये जायेगें;

अल्प सूचित प्रश्न की दशा में यह उस लिखि की सूची में प्रविष्ट किया जाएगा परन्तु यदि समय की कमी हो तो वह प्रश्न इस प्रकार प्रविष्ट न भी किया जा सकेगा।

(ख) ताराकित प्रश्न की दशा में वह उस लिखि की सूची में प्रविष्ट किया जाएगा जिस लिखि को सदस्य उत्तर पाना चाहते हों, वशां कि वह दिन प्रधारी भंडी द्वारा ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के लिए पूछ निश्चित हो।

(2) किसी दिन के लिये रुक्ष या अल्प सूचित प्रश्नों और ताराकित प्रश्नों के अंतिम विवरण यो मुद्रित या चक्रतिवित (माइक्रोस्टेटिक) प्रतियों काह घण्टे पूर्व सदस्यों के बीच परिचारित की जायेगी।

(3) यदि किसी दिन की सूची में मौखिक उत्तर के लिये प्रविष्ट अल्प सूचित प्रश्न की बाती उस दिन प्रश्नोत्तर के लिये उपलब्ध समय के भीतर न आ सके, तो जिस भंडी को वह प्रश्न संबोधित हो वे उस प्रश्न का निश्चित उत्तर अविलम्ब समा के पाल पर रख देंगे। ऐसे प्रश्न का मौखिक उत्तर अपेक्षित न होगा और उसकी संवध में कोई अनुप्रक्रम प्रश्न न पूछा जाएगा।

## प्रश्न कैसे पूछे जायेगे?

46. (1) प्रश्नोत्तर के लिये उपलब्ध समय में प्रश्न उस क्रम से पूछे जायेंगे जिस क्रम से वे सूची में आए हों, किन्तु अल्प सूचित प्रश्न सबसे रहाएं पूछे जायेंगे।

(2) उच नियम (1) के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से प्रश्न पूछे और उत्तर दिये जायेंगे जो अध्यात्म स्वविवेक से अवधारित करें।

## अल्प सूचित एवं ताराकित प्रश्न के लिये और समय

47. यदि किसी अल्प सूचित प्रश्न अथवा ताराकित प्रश्न का उत्तर निर्धारित लिखि पर उत्तर न हो तो विस दिन सदस्य ने चाहा हो, तो प्रधारी भंडी सभा में कारनों को बताते हुए और समय भाग सकेंगे और अध्यात्म उत्तर अनुष्ठित हो सकेंगे।

48. (1) यदि किसी प्रश्न के लिये पुकार होने के समय वे सदस्य विवरके नाम पर प्रश्न हो, अनुपस्थित हो तो उनके द्वारा प्राप्तिकृत अध्यक्ष यदि अध्यक्ष की अनुमति हो तो इस प्रकार प्राप्तिकृत हुए, जिनकी चीजोंही अन्य सदस्य उस प्रश्न को पूछ सकेंगे।

प्रश्नकर्ता की  
अनुपस्थिति  
प्रश्न का  
उत्तर

(2) वे पूछे गये प्रश्नों के उत्तर- अध्यक्ष, यही को अनुरोध पर निरेक्षा दे सकते हों जो पुकारे गये प्रश्न वा उनके भाग का उत्तर लोकहित के आधार पर दिया जा सकता जाता है वह प्रश्न पूछा न गया हो या जिस सदस्य के नाम पर हो, वे अनुपस्थित हों।

(3) जब ऐसे सभी प्रश्नों के लिये पुकार हो जाए जिसके उत्तर जाने गये हों तब अध्यक्ष समय रहने पर, फिर उस प्रश्न के लिये पुकार याकोंगे जो उस सदस्य की अवलोकनस्थिति के कारण पूछा न गया हो, जिनके नाम पर वह प्रश्न है।

49. जिन प्रश्नों के उत्तर योग्यता सभा में देना चाहते हैं वे अप्रौढ़ोत्तर का अधिग्रहण करते हुए उत्तर बसतुतः सभा में जहाँ देते हैं वा उन्हें परत पर यहाँ रखते हैं तब तक वे उत्तर प्रकाशनार्थ मुक्त नहीं किये जायेंगे।

प्रश्नोत्तर का  
अधिग्रहण  
प्रकाशन

50. जब किसी प्रश्न के उत्तर में विभाग के प्रभारी मंत्री अपने विभाग के किसी प्रधानमंत्री के विलम्ब कार्रवाई करने का वचन दे, तब कार्रवाई का प्रतिवेदन ऐसे अधिकारकों के बारे विवारीज सभा के पठन पर रखा दिया जायेगा।

किसी  
प्रधानमंत्री  
के विलम्ब  
कार्रवाई करने  
के संबंध में  
वचन देना  
प्रश्न या उत्तर  
पर विभागी का  
प्रतिबंध

51. विधय 43 में उपर्युक्त विवरित को छोड़कर किसी प्रश्न या किसी प्रश्न पर ऐसे गये उत्तर के संबंध में किसी विधायी के लिए अनुद्घान न दी जायेंगी।

प्रधानमंत्री से  
संबंधित  
प्रश्नकाल

52. (1) मुख्यमंत्री प्रश्नकाल प्रत्येक सोमवार को आधे पट्टे का होगा तथा सामान्य प्रश्नकाल की समाप्ति के तुरन्त पर चार अंश होंगे।

(2) प्रश्न अध्यक्ष की अनुमति से भौतिक रूप से सोधे मुख्यमंत्री से पूछे जा सकेंगे,

(3) प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम पांच मिनट का समय

होगा, ऐसिन यदि अध्यक्ष चाहे तो किसी प्रश्न विशेष को महात्मा को देखते हुए सभा में बृद्धि कर सकेगा।

(4) भवन्यों द्वारा अधिकातम एक ही यूक्र प्रश्न गूँज जा सकेगा,

(5) प्रश्न उन विषयों से संबंधित होंगे जिनके संबंध में जूरे में भी संबंधित विषय के मरी द्वारा सभा में किसी प्रकरण में उत्तर दिया जा सका हो,

(6) प्रश्न भीतिगत विषयों से संबंधित होंगे,

(7) प्रश्नों की ग्राहकता के संबंध में अध्यक्ष का विनियन अलिम होगा,

(8) यदि किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यमंत्री नियत दिन को महान्-सभा में उपस्थित न हो तो अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि इस प्रश्नकाल को स्थगित करके उसी सभाह के किसी अन्य दिन इसे से सकेगा,

(9) यदि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गये उत्तर के संबंध में भविष्य ये उसे यह जात होता है कि कोई अंगदों की तुष्टि रह गई है और गलत अंकड़े दे दिए गये हैं तो सामान्य प्रश्नों के उत्तर में मरोधन की ओर प्रक्रिया निर्धारित है उसको अपनाते हुए मुख्यमंत्री भी दिए गये और उत्तर में सशोधन कर सकेगा।

(10) इस विशेष प्रश्नोत्तर काल पर आधे घण्टे की चर्चा तथा प्रश्न एवं ध्यानाकरण समिति/वार्षि हेतु प्रकरण मीपने की मांग की अनुमति नहीं होगी, किन्तु इन प्रश्नोत्तर से आशयस्थ बनने पर उस पर अधेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

## लक्षण-४

## आधे घन्टे की चर्चा

53. (1) यदि प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय की दौरान पर्याप्त लोक महाल की कोई चात खिली प्रश्न के मैत्रिक या लिंगित उत्तर का विषय उत्पन्न हो जाए, तो अध्यक्ष उत्तर दिन पहले सूचना देने वाले वह अवधारित करें, सलाह में दो दिन, अर्थात् बुध वार एवं बृहस्पतिवार को उस पर चर्चा की जनुर्भिति दे सकेगा और ऐसी चर्चा को लिए अपग्रह 3.30 बजे से अपग्रह 4.00 बजे तक की समाप्तिविधि उपलब्ध रहेगी:

परन्तु यदि उस दिन के लिए नियत अन्य कार्य अपग्रह 3.30 बजे से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो कार्य की समाप्ति के समय से ही आधे घन्टे की अवधिअवधि रहेगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष इसके लिए बुधवार या बृहस्पतिवार के बदले कोई अन्य दिन भी विषय कर सकेगा, यदि उनकी रात में ऐसा कारना आवश्यक या सुविधाजनक हो.

(2)ऐसा कोई विषय उठाने के इन्हींक मादर्य विस दिन वह विषय उठाने चाहते हों उससे तीन दिन पहले सचिव को लिखित सूचना देंगे और उसमें उल्लेख करेंगे कि वे कौन सी चात या बातें उठाना चाहते हैं, किन्तु सूचनावधि संबंधी अवेद्धा में छूट देना अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर रहेगा:

परन्तु सूचना के माध्यमान्वयक टिप्पणी होंगी जिसे उस विषय पर चर्चा उठाने के कारण लिए जाएग़;

परन्तु यह और भी सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य मादर्यों द्वारा हठात्कर करके किया जायेग़;

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष संबंधित मंत्री को सम्मति से सूचना की कालावधि संबंधी आवश्यकता को हटा सकेगा।

(3) अध्यात्म विभिन्नित करेगा कि विषय चर्चा के लिए रखे जाने की लिए पर्याप्त सोक महत्व का है या नहीं और किसी ऐसी सूचना को अग्राह्य कर सकेगा जिसका उद्देश्य उसकी रात में सकार की नीति में घरिष्ठान करना हो।

(4) यदि ऐसे वो ऐसे अधिक सूचनाएँ प्राप्त हुई हों और अध्यात्म द्वारा प्राप्त कर सी गई हों तो सचिव वो सूचनाएँ निकालने के लिए इलाका द्वारा निर्णय करेगा और सूचनाएँ उस क्रम में रखी जावेगी जिस समय-क्रम में वे प्राप्त हुई हों।

परन्तु यदि किसी विशेष दिन चर्चा के लिए रखा गया छोड़ विषय उस दिन न निपटना चाहे तो वह किसी अधोतर दिन के लिए तब तक नहीं रखा जायेगा जब-तक कि सदस्य ऐसा न चाहे और उस अवधि में उसे आगामी प्राप्त दिन के लिए इलाका में सम्बिलित कर लिया जायेगा।

(5) सभा के सामने वो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और वह माध्यम होगा। जिस सदस्य में सूचना दी हो वह सम्बिलित विषय दे सकेगा और संबंधित मंजी संहेष में उत्तर देगा। जिस सदस्य में अध्यात्म को पढ़ाले दे सूचित कर दिया हो उसे किसी ताजे विषय के अधोतर विशेषीकरण के प्रचोरन से प्राप्त गृहने की अनुमति दी जा सकती।

## अध्याय-१

**लोक महत्व के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव**

54. उन नियमों के उपर्युक्तों को अधीन रहते हुए, अधिलंबनीय प्रस्ताव करने  
लोक महत्व के विषयों परिवर्तन विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा हेतु अध्यक्ष  
के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया की सहमति  
जा सकेगा।

55. नवन प्रस्ताव की सूचना तथा दिन अधिक प्रस्ताव करने सूचना देने  
का विचार हो, बैठक आरंभ होने के काम से काम दो घण्टे पूर्ण विषय  
को अधिका ठसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को लोक प्रतिवेदन में दी  
जायेगी, जो विवलिखित में से प्रत्येक के लिए होती है:

- (क) अध्यक्ष,
- (ख) संबंधित मंत्री, और
- (ग) सचिव।

56. अधिलंबनीय सोक महत्व के विषयों परिवर्तन विषय पर प्रस्ताव करने  
चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार  
विवलिखित विवरणों के अधीन होता है:

- (1) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया  
जायेगा,
- (2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं  
होती,
- (3) प्रस्ताव हाल ही में पटित विभिन्न विषय तक संबंधित  
होता,
- (4) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रबन्ध नहीं ढाया जायेगा,
- (5) प्रस्ताव में उस विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी,

विस पर उस सत्र में चर्चा की जा चुकी हो,

(6) प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वांश न की जायेगी जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो या निर्धारित करने के लिए पूर्वांश के अधार पर चर्चा नियत चाहा है या नहीं, अध्यक्ष उचित समय के भीतर पूर्वांशित विषय के सभा के सम्बन्ध आने की सम्भालता का ध्यान रखेगा,

(7) प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो प्रदेश के किसी भाग में शोधाधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णय के अंतर्गत हो,

(8) प्रस्ताव में कोई इसन नहीं उठाया जायेगा जो संविधान या इन नियमों के अंतर्गत समियक को लिखित सूचना देकर आलग आम प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता है, और

(9) साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए ही जो किसी न्यायिक या अट्ट-न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविधित न्यायाधिकारण या संविधित प्राधिकारी के या किसी विषय की ओर या अनुसंधान करने के लिए, नियुक्त किसी जायेग या जौच न्यायालय के सम्बन्ध लिखित हो;

परन्तु अध्यक्ष आपने संविधेक से ऐसे विषय की सभा में उठाने का अनुमति दे सकता जो जौच की प्रक्रिया या विषय या उद्देश संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का सममान हो जाए कि इससे संविधित न्यायाधिकारण, संविधित प्राधिकारी, या आयोग या जौच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

स्वयम् प्रस्ताव  
करने की  
अनुमति  
मांगने की  
रीति

57. (1) यदि अध्यक्ष नियम 54 के अधीन समझता है और यह निर्णय दे कि वर्ष के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल है तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्वयम् का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा:

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 54 के अधीन अपनी समझता है

से इकार कर दिया हो या उम्मीद तभी ही कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव को मूँछना पड़कर सुना सकेगा और सम्भित देने से इकार करता या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा।

परन्तु यह और भी कि जब अध्यक्ष को उसमें वर्णित विषय के संबंध में पूरी जानकारी न हो तो वह अपनी सम्भित देने से या इकार करने के पहले उस प्रस्ताव को सुनना को पढ़ेगा और भीड़ और संबंधित सदस्यों को तथ्यों के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य सुनेगा और तब प्रस्ताव की छाड़ाता के संबंध में अपना विचार देगा।

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपसि को जाए तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दिए जाने के पहले में ही अपने स्थानों पर रहने होने के लिए कहेगा और यदि तदनुसार उन्हें होने वाले सदस्यों की संख्या तासमय गणपूर्ति के लिए सदस्यों को आवश्यक संख्या से कम न हो तो अध्यक्ष घृणित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि पूर्णांक संख्या से कम सदस्य रहने हों तो अध्यक्ष, सदस्य को घृणित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है।

58. प्रस्ताव अपराह्न 2-30 बजे या यदि सभा नेता से परामर्श करने के पश्चात् अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय, जबकि उस दिन का कार्य समाप्त हो जाए, लिया जायेगा। प्रस्ताव को लेने को समय

59. (1) जिस समय से स्वगत प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो, उससे ढंग बन्टे की सम्यावधि बीत जाने पर, यदि चार-विचाद पहले ही समाप्त न हो पूका हो, तो वह अपने-आप ही समाप्त (स्वप्नें समाप्त) हो जायेगा और तत्प्रचालक कोई प्रश्न न रखा जा सकेगा। चर्चा के लिए समय-सीमा

(2) चार विचाद में कोई भी भागण अध्यक्ष की अनुमति के बिना 15 मिनट से अधिक अवधि आवधि का न होगा।

## अध्याय-10

## विधान

## (क) विधेयकों का प्रकाशन तथा पुरःस्थापन

विधेयकों के  
पुरःस्थापन के  
पहले  
प्रकाशन

60. अध्याय से ग्राह्यता किए जाने पर, वह विदेय विधेयक को उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण, विभागी लक्षि के ब्राह्मणोंनन संबंधी ज्ञापन और उससे संबंधित विशेषज्ञान महित ग्रन्थपत्र में प्रकाशन का अनुरूप वे सकेगा, यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव नहीं रखा गया हो, उस अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा।

विधेयक को  
पुरःस्थापित  
करने की  
अनुमति के  
प्रस्ताव की  
सूचना

61. (1) मंडी के अधिकारिक कोई सदस्य, जो विदेय विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता हो अनन्दे इस अधिकार्य को सूचना रेखा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण, विस्तृत प्रत्येक वार्ता होने, खेजेगा:

परन्तु अध्याय, यदि वह टीक समझे, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनर्गठित कर सकेगा।

(2) यदि विधेयक, ऐसा विधेयक हो, जो सिकारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य सूचना के साथ देसी मंडूरी या सिकारिश अनुबद्ध करेगा और सूचना तथा तक यान्य नहीं होगी जब तक इस अन्येका का पालन न हो जाए।

(3) ऐस नियम के अधीन विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना देने की अवधि सात दिन की होगी जब तक अभ्यक्त अल्पता: सूचना पर प्रस्ताव करने की अवस्था अनुमति न हो।

(4) इस नियम के अधीन विधेयक को पुरात्मापित करने की अनुमति के लिए, प्रस्ताव को सूचना की कालाकारी गैर सरकारी विधेयक के लिए पूरे दीव दिन की होगी, यदि अध्यक्ष इसमें अल्पतः मूचन पर उत्साह बढ़ाने की अन्यथा अनुमति न दे।

(5) अध्यक्ष किसी विधेयक की सूचना अहोकार कर सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उल्लंघन (2) या नियम 65 या 66 की अपेक्षाओं का गलत बहुत किया गया हो।

62. कोई विधेयक, जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित ही बहुत की पूर्वांश में चिस पर कि वह निर्भृत है, सभा में पुरात्मापित किया जा सकता:

परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार के लिए जाने तथा पारित किए जाने के लिए केवल तबीं लिया जायेगा, जबकि पहला विधेयक सदन/सभा द्वारा पारित किया जा सकता हो और उन्मत्ता/राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा सकती हो।

63. जब कोई विधेयक सभा में लम्बित हो तब किसी सभान विधेयक की सूचना आहे वह लम्बित विधेयक के पुरात्मापन से पूर्व या पश्चात् प्राप्त हुई हो, लम्बित सूचनाओं की सूची में याचनियां निकाल दी जायेंगी अथवा इन्हें बहुत की जायेंगी जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे।

64. किसी विधेयक को पुरात्मापित करने या उस पर विचार किए जाने की घटनारी देने या एक लोने अथवा रिफारिश करने या एक लोने के लिए राष्ट्रपति/उन्मत्ता को आदेत लिखित रूप में सचिव को पहुँचाएं जायेंगे।

65. (1) विधेयक के माध्यम से विस्तीर्ण ज्ञापन होगा जिसमें अप्य अलाइन होने वाले चारोंडों की ओर विरोधात्मक भावन दिलाया जायेगा और उसमें उस आकर्त्त्व के अन्वार्त्त्व का अप्य ज्ञापन भी प्राक्कलन दिया जायेगा, जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था

सभा में  
लम्बित  
किसी अन्य  
विधेयक पर  
निर्भर  
विधेयक का  
पुरात्मापन

वर्तमान  
विधेयक की  
सूचना  
  
विधेयकों के  
संबंध में  
राष्ट्रपति की  
पूर्व घटनारी  
तथा  
उन्मत्ता  
की रिफारिश  
पहुँचाना  
विधेयक का  
विस्तीर्ण  
ज्ञापन और  
विधेयक के  
धन चण्ड

में अतिरिक्त हो।

(2) विधेयक के जिन खण्डों या उपखण्डों में सौक निधि में से अध्ययनार्थी हो चे मोटे टाइप या लिखे अक्षरों में शुद्धित किए जायेंगे।

परन्तु यह कि जब किसी विधेयक में कोई ग्रन्थ जिसमें लक्ष्य अतिरिक्त हो, मोटे टाइप या लिखे अक्षरों में न छापा गया हो तब अध्यक्ष विधेयक के भारसाभक सदस्य को ऐसे खण्डों को सभा की बानकारी में लाने की अनुमति दे सकेगा।

**विधायकी  
शक्ति  
प्रत्यायोजित  
करने  
विधेयक का  
व्याख्यात्मक  
ज्ञापन**

66. जिस विधेयक में विधायकी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए सम्मानार्थी अनुरोदित हो, उसके साथ एक ज्ञापन भी होगा जिसमें ऐसी प्रत्यायानावों की व्याख्या होती और उनकी व्याप्ति को और स्थान दिलाया जायेगा तथा वह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप को ही या अपेक्षाद स्वतंत्र की।

**विधेयक को  
पुरःस्थापित  
करने की  
अनुमति के  
प्रस्ताव का  
विरोध**

67. यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव के विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिए जाने की अनुमति देने के बाद किया जानी चाहे विवाद के प्रहल रख सकेगा।

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विभान का सूचना करता है जो सभा की विधायकी बमता से परे है तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता।

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन के प्रस्ताव को मत हैतु तुरन्त रखेंगा।

**पुरःस्थापन के  
बाद प्रकाशन**

68. विधेयक के पुरःस्थापन किए जाने के बाद यथासंभव शीघ्र विधेयक एवं प्राप्ति में प्रकाशित कर दिया जायेगा यदि वह पहले ही प्रकाशित न किया जा चुका हो।

## ( ख ) विधेयकों के पुरास्थापन के बाबत प्रस्ताव

69. विधेयक जब पुरास्थापित किया जाये तब या उसके बाद किसी अवश्यक या भारसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अवधि-

विधेयक के पुरास्थापन के बाबत प्रस्ताव

( क ) कि उस पर विचार किया जाये,

( ख ) कि उसे सभा की प्रवार समिति को मौंगा जाये या

( ग ) उस पर राष्ट्र जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये;

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियाँ सदस्यों को उपलब्ध के लिए उपलब्ध न करा दी गई हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियाँ-

( 1 ) प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन बाले इस तरह उपलब्ध न करा दी गई हो या

( 2 ) ऐसे प्रस्ताव की दसत में जो अधिक से अधिक सत्र दिन के अंतर्वर्ती अवकाश के बाद सत्र के प्रथम दिन किया गया हो, ऐसे अवकाश के टीक पहले दिन को उपलब्ध न करा दी गई हों,

तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए जाने पर आपत्ति कर सकेगा या और यदि अधिक इस नियम को नियमित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव के लिए जाने की अनुमति न दे दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

70. विधेयक के भारसाधक सदस्य को सोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये;

अधिक जो विधेयक के संबंध में प्रस्ताव कर सकेगा

परन्तु यदि किसी विधेयक का भारसाधक सदस्य ऐसे कारणों में विनें अध्यक्ष पर्याय समझे, उसके पूर्ण स्थापन के बाबत उसके बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, तो यह अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रस्ताव विशेष को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सदस्य को ग्राहिकृत कर सकेगा।

**ब्याल्का :** परन्तु ये दिए गये उपर्योगों के होते हुए भी यह सदस्य विसर्जन विधेयक को पुरुषाधिक किया है। भारसाधक सदस्य बना रहेगा।

**विधेयक के लिंगात्मक की चर्चा**

71. (1) विस दिन नियम 69 में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव किया जाये तभी दिन या उसके बाद विधान दिन, विसके लिए चर्चा स्थगित की जाये, विधेयक को सिद्धांत और उसके उपर्योग पर सम्मान रूप से चर्चा की जा सकेगी, किन्तु विधेयक के बारे पर उससे अंतर चर्चा नहीं होगी वितरने कि उसके सिद्धांतों की ब्याल्का के लिए आवश्यक हो।

(2) इस प्रकाश पर विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे और छण्ड (क) या (ख) के अधीन अनुवाद संशोधन को छोड़कर, कोई संशोधन नियम 69 के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव पर नहीं किया जानेगा, अर्थात् -

(क) यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उसके विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रबाल समिति को सौंपा जाये या प्रस्ताव में डिलीवित की जाने वाली विधि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये, या

(ख) यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उसका विधेयक प्रबाल समिति को सौंपा जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रस्ताव में डिलीवित की जाने वाली विधि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।

(3) यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये और विधेयक उस निदेश के अनुसार परिचालित किया जा चुके और उस पर राय प्राप्त हो चुके, तो भारसाधक सदस्य यदि, वह अपने विधेयक पर उसके आगे कार्रवाही करना चाहता हो, तो प्रस्ताव करेगा कि "विधेयक प्रबाल समिति को सौंपा जाये", यदि अब्युक्त यह प्रस्ताव करने की अनुमति न दे कि विधेयक पर निचार किया जाये।

## (ग) विधेयक पर प्रवर समिति

प्रवर समिति  
की रचना

72. (1) विधेयक पर प्रवर समिति पैंच से कम या सात से अधिक सदस्यों की जहाँ बनेगी।

(2) विधेयक या भारताभ्यास सदस्य और विधि विधी प्रलेख प्रवर समिति के सदस्य होंगे और ऐसी समिति को नियुक्ति के प्रस्ताव में इनके नाम समीक्षित करना आवश्यक न होगा।

(3) समिति को अन्य सदस्य यथा द्वारा तब नियुक्त किए जाने पर यह प्रस्ताव किया जाये कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये या जबकि नियम 71 के उपनियम (2) के खाल (क) के अधीन संशोधन के रूप में प्रस्ताव किया जाये।

73. (1) समिति की पैठक गतित करने के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों की समस्त संख्या को एक-तिहाई की होगी।

(2) यदि समिति की किसी बैठक के लिए नियत समय पर या ऐसी बैठक की दीर्घानि किसी समय गणपूर्ति न हो, तो समिति का समाप्ति या तो उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलम्बित रहेगा या उस बैठक को किसी अलगावी दिन के लिए स्थगित कर देगा।

(3) यदि उपनियम (2) के अनुसरण में प्रवर समिति की बैठकों के लिए नियत की गई लगातार दो विधियों की समिति स्थगित की जा चुकी हो, तो समाप्ति उस तथ्य की सुविना सभा को या सभा के बाहर में न होने पर अध्यक्ष को देता।

74. जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति के एवं संशोधन के दीर्घानि में उपस्थित रह सकेंगे किन्तु वे न हो समिति को संबोधित कर सकेंगे और न समिति के सदस्यों में बैठेंगे :

परन्तु समिति को अनुज्ञा से यही उस समिति को संबोधित कर सकेगा जिसका कि वह सदस्य न हो।

75. (1) यदि प्रस्तावित संशोधन की सुचना प्रवर समिति द्वारा विधेयक लिये जाने के दिन से तृतीय न दी गई हो, तो यही भी सदस्य संशोधन को प्रस्तुत किये जाने पर आवश्यक कर सकेगा और

प्रवर समिति  
के सदस्यों के  
अतिरिक्त अन्य  
सदस्य बैठक  
में उपस्थित हो  
सकेंगे

संशोधन की  
प्रक्रिया और  
समान्य रूप  
की प्रक्रिया

वह सभापति संशोधन के प्रस्तुत किये जाने वाली अनुमति न हो तो ऐसी आपति अधिकारी होगी।

**समिति के सदस्यों के अधिकार**  
अन्य सदस्यों द्वारा परिशोधन की मूलना  
विधेयक साक्षय लेने की सकित  
प्रबल समिति के विनियोगों का अधिकार और उसकी कार्यवाहियों का गोपनीय होना  
प्रबल समिति द्वारा प्रतिवेदन

(2) अन्य प्रकरणों में, प्रबल समिति में प्रक्रिया ऐसे अनुकूलनों के साथ जो जाहे, कृप भेद के हों अथवा कोई अंत जोड़कर या निकालकर किये गये हों जैसे अध्यक्ष आवश्यक या सुविधावालक समझे, व्यवसाय लाइ इंग्रीजिसका सभा में विधेयक के विचार के प्रक्रम के दौरान अनुसरण किया जाता है।

76. जब कोई विधेयक प्रबल समिति को सौंपा जा चुका हो तो विधेयक के किसी खण्ड में संशोधन की किसी सदस्य द्वारा वी गई मूलना समिति को सौंपी गई मूलनी जायेगी, परन्तु जब संशोधन की मूलना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो, जो प्रबल समिति का सदस्य नहीं है तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिये जायेंगे, जब तक कि वे समिति को किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किये गये हों।

77. प्रबल समिति विधोपह-साक्षय ले सकेंगी और उन विधेय हितों के प्रतिनिधियों के बचान सुन सकेंगी जिन पर उसके समक्ष विदायन विभान का प्रयाव रहता है।

78. (1) प्रबल समिति की कार्यवाहियों गोपनीय समझी जायेगी और उसकी सिफारिशें तब तक प्रकट नहीं की जायेंगी जब तक कि प्रतिवेदन सदस्यों के उपर्योग के लिए उपलब्ध न किया जा चुका हो या राजपत्र में प्रकाशित न किया जा चुका हो।

(2) समिति के विनियोगों का अधिकार राज जायेगा और सभापति के निर्देशन के अधीन समिति के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा।

79. (1) किसी विधेयक के प्रबल समिति को भौपे जाने के बाद याकांप्य लीए, प्रबल समिति विधेयक पर विचार करने के लिये समय-समय पर सम्मेत होगी और सभा द्वारा विशिष्ट समय, वहि कोई हो, के भौत उस पर प्रतिवेदन देगी।

परन्तु जब सभा ने प्रतिवेदन के उपर्योग के लिये कोई समय

निश्चित य किया हो, तब प्रतिवेदन उस सत्र के पश्चात् अगले सत्र में उपस्थापित किया जाएगा जिसमें प्रवर समिति को भीड़े जाने का प्रस्ताव सभा में स्वीकार किया गया हो:

परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निरेश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाये।

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारंभिक हो सकेंगे या अतिम।

(3) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बतायेगी कि इन विषयों के निरेश के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो गया है या नहीं।

(4) जब विधेयक में परिचर्तन किया गया हो तब प्रवर समिति, यदि वह टीक समझे अपने प्रतिवेदन में विधेयक के भारसाधक सदस्य के लिये यह विकारिण समितिलत कर सकेगी कि उसका अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिए, या जब विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो तो गुन; परिचालन किया जाये।

(5) बैठक में प्रारूप रूप दिये जाने के बाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

परन्तु यदि समय पर सभा में उपस्थापन हेतु प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने की लिये सभापति उपलब्ध न हो, तो यह सदस्य जो समिति की उस बैठक में बैठायी रहा हो जब कि प्रारूप स्वीकृत किया गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेगा।

(6) प्रवर समिति जो कोई सदस्य विधेयक से संबंधित या प्रतिवेदन में वर्चित किसी विषय या विषयों पर विमति हिणण अधिलिखित कर सकेगा यदि समिति की बैठक में, जिसमें उस विषय पर विचार किया गया था, ऐसा विषय उठाया जा चुका हो, और उस सदस्य ने उस पर अपार्मति अभिव्यक्ति की हो।

(7) विमति हिणण विधेयक से संगत विषय की चर्चा तक

सीमित होगी, सांकेत भाषा में लिखी जाएगी, प्रब्रह्म समिति में भी गई किसी चर्चा के निर्दिष्ट न करेगी, समिति वर आक्षेप न करेगी और वैयक्तिक अभ्युक्तियों से युक्त होगी।

(8) अध्यक्ष निरेश दे सकता कि नियम इन्हें या अल्पमत प्रतिवेदन का कोई भाग, जो उपनिषद् (7) का उल्लंघन करता हो, को तुपा किया जाय, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

**प्रतिवेदन का  
मुद्रण और  
प्रकाशन**

**अन्य बातों में  
लाभ होने  
वाले उपचार**

**प्रतिवेदन के  
उपचारण के  
बाब और  
प्रक्रिया**

80. समिति, प्रब्रह्म समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित कराएगा और प्रतिवेदन की एक प्रति संपा को उपयोग के लिये उपलब्ध की जाएगी। प्रतिवेदन संरोचित विधेयक सहित संपा में उपस्थिति किये जाने के बाद राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

81. अन्य बातों में, इन नियमों के अध्याय-24 में सभा समितियों के लिये उपचारित नियम लाभ होगे।

(प) प्रब्रह्म समिति के प्रतिवेदन व्ये उपस्थापन के बाब और प्रक्रिया

82. (i) किसी विधेयक पर प्रब्रह्म समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाब भारताधारक सदस्य प्रस्ताव कर सकते हैं।

(क) कि प्रब्रह्म समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए:

एन्जु यहि प्रतिवेदन ची प्रतियाँ सदस्यों के उपयोग के लिये यो दिव पूर्व उपलब्ध न करा दी गई हो, तो कोई भी सदस्य इस पर इस तरह विचार किये जाने पर आपत्ति कर सकते हैं और अध्यक्ष इस नियम को निरान्वित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवेदन पर विचार किए जाने की अनुमति न दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी, या

(ख) कि प्रब्रह्म समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को-

(1) परिसीमा के बिना, अथवा

(2) केवल द्वास स्थानों वा संशोधनों के संबंध में ही,

## अथवा

(३) प्रबर ममिति को विधेयक में कोई रास या कोई अतिरिक्त उपलब्ध कराने की अनुमति के साथ ममिति को पुनः शैंपा जाए, या

(४) कि प्रबर ममिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर राप

या अप्रैतर राप जानने के प्रयोजन के लिये उसे परिचालित या पुनः परिचालित किया जाए।

(२) यदि विधेयक का भारसाधक प्रस्ताव यह प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जाये, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक ममिति को पुनः शैंपा जाये या उस पर राप या अप्रैतर राप जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये।

82. (ii) इस प्रस्ताव पर कि प्रबर ममिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये याद-विचार प्रबर ममिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में विविध विषयों तक या विधेयक के सिद्धान्त से सुसंगत किन्तु वैकल्पिक सुझावों तक ममिति रहेगा।

(३) यद्यपि आदि में संशोधनों तथा विधेयक पर विचार

83. (1) जो सदस्य किसी विधेयक में किसी संशोधन का प्रस्ताव करना चाहे वह, विशदित कि विधेयक पर विचार किया जाना हो उस दिन से एक दिन पूर्व अपने विचार की मूलना देणा और वह विस संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है, उसकी एक प्रति मूलना के साथ प्रस्तुत करेगा;

परन्तु यद्यपि किसी संशोधन को एक दिन पूर्व से कम की मूलना पर संशोधन की मूली में दर्ज करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) यदि समय हो तो सचिव, सदस्यों को, समय-समय पर, उन संशोधनों की सूचियाँ उपलब्ध करायेगा जिनकी मूलनाये प्राप्त हो चुकी हों।

प्रबर ममिति  
के प्रतिवेदन  
पर याद-  
विचार की  
स्वाप्ति

संशोधनों की  
मूलना

संशोधन यी  
याहुता की  
शर्ते

84. संशोधनों की जाहिल निम्नलिखित रूलों के अधीन होगी,
- (1) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भौतर होगा और निस बाण्ड से उसका संबंध हो उसके विषय से संगत होगा।
- (2) संशोधन विधेयक की प्रणति के दौरान सभा द्वारा किये गये किसी पूर्व विविचय से अवगम्त नहीं होगा।
- (3) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह संघट विसे संशोधन करने की उसमें प्रस्थापना हो, तुच्छ या व्याकरण को अनुसार अनुद्धु द्द हो जाये।
- (4) संशोधन में वाद के एकसी संशोधन या अनुसूची की ओर निरेश किया जाये या उसके बिना वीधायक न हो, तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले वाद के संशोधन या अनुसूची की सूचना दी जायेगी जिसमें कि संशोधन मात्रा पूर्ण रूप में वोधायम हो जाये।
- (5) अन्यथा या निर्भावित करेगा कि संशोधन विसे उल्लंघन पर प्रभुत किया जायेगा।
- (6) अन्यथा, ऐसे संशोधन को प्रस्थापित करने से इकाइ कर सकेगा जो उसको गाय में तुच्छ या अर्थहीन हो।
- (7) यो संशोधन अन्यथा द्वारा पहले ही प्रस्थापित किया जा सका हो, उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संशोधन यी  
सूचना की साथ  
संविधान की  
अधीन  
आवश्यक  
मंजूरी या  
सिफारिश  
अनुबद्ध करना

85. यदि कोई सदस्य ऐसे संशोधन प्रस्तुत करना चाहे जो संविधान के अनुरूप आवश्यक पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना तुरंत्यापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य इन नियमों द्वारा अनोक्ति सूचना के साथ एकसी मंजूरी या सिफारिश की एक प्रतिलिपि यी अनुष्टुप्द करेगा और सूचना तब तक यान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन नहीं हो जाता:
- परन्तु पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक नहीं होगी, यदि संशोधन -
- (क) विधेयक या संशोधन में प्रस्थापित कर की सीमाओं को समाप्त या कम करने, या

(४) ऐसे कर को विद्यालय कर को सीमाओं तक बढ़ाने के लिये हो।

86. जिन संशोधनों की मूलना ये जा चुकी हो, उनका विनाय समाध-समग्र पर विविध संशोधन मूली में व्यापाराभ्य उस क्रम में संशोधनों का विनाय किया जायेगा जिसमें कि वे युकारे जाएं, किसी खण्ड के एह ही स्थान पर एक से ही प्रश्न उठाने वाले संशोधनों का विनाय करते समय विधेयक के भारताभक्त सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को पूर्ववित्ती यी जा सकेगी। उपर्युक्त के अद्वितीय रूप से हुए संशोधनों का विनाय उस क्रम में किया जा सकेगा, जिसमें कि उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हो।

87. (1) साधारणतया खण्डों पर और खण्डों के संशोधनों पर, संशोधनों का विनाय वे क्रमान्: संबंधित हो, व्यवस्थित उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम से खण्ड विधेयक में हों, और जब ऐसा कोई खण्ड विचारार्थ लिया जाये तब उसके संबंध में वह प्रस्ताव किया गया समझा जायेगा, कि "यह खण्ड विधेयक का अंग बने"।

(2) अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो किसी खण्ड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकेगा:

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई संशोधन अलग में रखा जाये तो अध्यक्ष उस संशोधन को अलग में रखेगा।

88. जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो कि विधेयक पर संशोधन विचार किया जाये तो कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा युकारे जाने पर प्रस्तुत करने विधेयक में वह संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा जिसकी उसने पहले की रैति मूलना रे री हो।

परन्तु समय बचाने और तर्कों की पुनरुत्तरी रोकने के लिये एक दूसरे पर अतिरिक्त संशोधनों के संबंध में एक ही चर्चा कराने की अनुमति दी जा सकेगी।

89. प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन, प्रस्तावक सदस्य को संशोधनों की आधीन पर, उसकी अनुमति से ही वापस लिया जा सकेगा अन्यथा वापसी नहीं। यदि किसी संशोधन पर संशोधन प्रार्थित किया गया हो, तो

मूल संशोधन तक वह चापस नहीं लिया जा सकता, जब तक उस पर प्रस्तावित संशोधन न निपटा दिया जाए।

**विधेयक का  
खण्डः रक्षा  
जापा**

90. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जब वह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो गया हो, तब वह अध्यात्म के नियंत्रक पर विधी होगा कि वह विधेयक को वा विधेयक के किसी भाग को खण्डित; सभा के सामने रखें, जब उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय तब अध्यक्ष प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग पूकारेगा और जब उसमें संशोधन निपटाये जा चुके हों, तब प्रत्येक निपटाये कि “यह खण्ड (या कि यह खण्ड संशोधित रूप में व्याख्यित) विधेयक का अंग बने।”

**खण्ड का  
विलम्बन**

91. यदि अन्यथा, टीक समझे तो वह खण्ड पर विचार विलम्बित कर सकता।

**अनुसूचियों  
पर विचार**

92. यदि कोई अनुसूची या अनुसूचियों हो, तो उन पर विचार, खण्डों पर विचार के बाद होगा। अनुसूचियों अध्यक्ष द्वारा उसी रैति से रखी और संशोधित भी जा सकती है, जैसे कि खण्ड और वह अनुसूचियों पर विचार मूल अनुसूचियों के विचार के बाद किया जायेगा, तब यह प्रश्न रखा जाएगा कि “यह अनुसूची (या कि यह) अनुसूची संशोधित रूप में व्याख्यिति विधेयक का अंग बने।”

परन्तु अध्यक्ष अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हो, खण्डों को निपटाये जाने के पहले या किसी खण्ड के साथ या अन्यथा, जैसा कि वह टीक समझे, विचार किये जाने की अनुमति दे सकता।

**खण्डों और  
अनुसूचियों  
पर मतदान**

93. अन्यथा, यदि उचित समझे तो खण्डों और/या अनुसूचियों को अपना संशोधित रूप में खण्डों जैसा या अनुसूचियों को, व्याख्यिति एक साथ एक प्रश्न के रूप में सभा के मतदान को लिये रखा सकता है।

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में कोई खण्ड या अनुसूची व्याख्यिति पृष्ठक रूप से मतदान के लिये रखी जाए, तो अध्यक्ष उस खण्ड या अनुसूची को अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची की व्याख्यिति पृष्ठक,

काय से रखेगा।

94. विधेयक के खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, चारि कोई हो, और नाम पर विचार तब तक विलम्बित रखा जायेगा जब तब तक कि अन्य सुनाहा तथा अनुमतियाँ (यहे सुनाहा तथा नई अनुमतियाँ लाइट) न निपटा ही जाएं, और अध्यक्ष तब तक रखेगा कि "खण्ड एक या अधिनियमन सूत्र या प्रस्तावना या नाम (या कि संरोचित रूप में एक, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना या नाम लाइटिंग) विधेयक का अंग बने।

#### ( च ) विधेयक का पारण तथा प्रमाणीकरण

95. ( 1 ) जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये विधेयक का लाईकर हो याहा हो और विधेयक में संसोधन न किया जाये, तब पारण भारताधिकार सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक पारित किया जाये।

( 2 ) यदि विधेयक में संसोधन किया गया हो, तो कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव कि विधेयक पारित किया जाये, के उसी दिन किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और ऐसे आपत्ति अधिभावी होंगे, जब तक कि अप्राप्य प्रस्ताव रखने की अनुमति न दे दे।

( 3 ) जब यह आपत्ति अधिभावी हो तब यह प्रस्ताव कि विधेयक पारित किया जाये किसी अगले दिन लाया जा सकेगा।

( 4 ) ऐसे प्रस्ताव पर कोई ऐसा संसोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जो या तो अधिकारिक या शास्त्रीकरणात्मक न हो या विधेयक पर विचार किये जाने के बाद किए गए संसोधन के कारण आनुष्ठानिक न हो।

96. इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाये, अर्था वाद-विवाद की ज्ञापन विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने को लिये दिये गए प्रत्यक्षों तक सीमित होंगे। याकृत करते समय सदस्य विधेयक के अधिकारों का उपरसे अधिक निर्देश नहीं जरूर जितना कि उसे प्रत्यक्षों के प्रयोगन के लिए आवश्यक हो जो कि याकृत करने के होंगे और याकृत को ऐसे विषयों तक न वढ़ाया जायेगा जो उस विधेयक में

### समीक्षित न हो।

**विधेयक का  
प्रमाणीकरण**

97. (1) जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित किया जा चुका हो तब यदि आवश्यक हो, तो सचिव सभाओं को पुनरावृत्त करेगा, उसकी पार्श्व विधियों का पुनरीक्षण करेगा और उनको पूरा करेगा और उसमें कोषल औपचारिक या आनुशंगिक संशोधन करेगा, जैसा अपेक्षित हो और एटपाति के विचारार्थ द्वारा जाने वाले विधेयक की चार प्रतिलिपि तथा उन्यास के विचारार्थ द्वारा जाने वाले विधेयक की तीन प्रतिलिपि अध्यक्ष की प्रस्तुत की जायेगी और वह उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) अध्यक्ष के गंभीर से अनुपस्थित रहने पर सचिव अविलंबनीयता की अवस्था में अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण कर सकते हैं।

(3) राज्यपाल/एटपाति द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक की एक प्रति सत्यापन और अधिलेख के लिए सुरक्षित रख दी जायेगी और अध्यक्ष की अनुमति के बिना, सभा की अधिकारी से बाहर से जाने नहीं दी जायेगी।

### (4) राज्यपाल द्वारा सौंठाये गये विधेयकों पर पुनर्विचार

**राज्यपाल का  
संदेश**

98. (1) जब सभा द्वारा पारित कोई विधेयक, सभा को राज्यपाल द्वारा एक संदेश के साथ सौंठाया जाए विसमें यह कहा गया हो कि सभा, विधेयक पर अध्यक्ष उसके किनारी तरिलिक्षित उपबंधों पर अध्यक्ष किन्हीं संशोधनों पर विवक्षी, संदेश में सिफारिश की गई हो, पुनर्विचार करे तो अस्वीकार, राज्यपाल के संदेश को सभा में, यदि वह सत्र में हो पढ़कर सुनाएगा अस्वीकार सभा सत्र में न हो तो वह निर्देश देगा कि उसे संदर्भों की जानकारी के लिए प्रक्रक्ष में प्रकाशित कर दिया जाए।

(2) उसके पश्चात विधेयक को सभा द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए सौंठाए गये रूप में पटल पर रखा जायेगा।

99. विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के परम्परा॒ किसी॑ संशोधनों पर<sup>॒</sup> विचार के  
समय सरकारी विधेयक की दस्ता में कोई भंगी या किसी अन्य को इसा॑ में कोई॑ सदरम्य वह प्रस्ताव रखने के अभिग्राह की सूचना दे सकता है प्रस्ताव की  
कि उन्न्यपाल द्वारा विन संशोधनों की सिफारिश की गई है, उन पर सूचना  
विचार किया जाये।

100. विचार करने का प्रस्ताव कार्य सूची में विस दिन रखा गया विचार करने  
हो, और वह दिन जब तक कि अधिक अन्यथा निरेश न हो, सूचना का प्रस्ताव  
की व्याप्ति के बारे तो दिन से पहले भी होगा, उस दिन सूचना रखे जाना  
सदरम्य वह प्रस्ताव कर सकता है कि संशोधनों पर विचार किया जाये।

101. ऐसे प्रस्ताव पर चाद-विवाद उन्न्यपाल के सदैरा में विर्द्धि चाद-विवाद  
विषयों तक या उन्न्यपाल द्वारा सिफारिश किए गये किसी संशोधन के की व्याप्ति  
विषय में संगत, किसी सुझाव तक ही सीमित रहेगा।

102. यदि वह प्रस्ताव कि विन संशोधनों की सिफारिश उन्न्यपाल संशोधनों पर  
ने की है, उन पर विचार किया जाये, स्वीकृत हो जाये, तो अधिक उन विचार  
संशोधनों को सभा के समझ ऐसे ढंग से रखेगा जिसे कि वह उन पर  
विचार के लिए अधिकतम सुविधाजनक समझे।

103. कोई संशोधन, जो उन्न्यपाल द्वारा सिफारिश किए गये संशोधनों पर  
किसी संशोधन के विषय में दानाह हो, प्रस्तावित किया जा सकता है,  
किन्तु विधेयक पर अंग्रेतर कोई संशोधन प्रस्तावित किया जायेगा जब  
तक कि वह उन्न्यपाल द्वारा सिफारिश किए गये किसी संशोधन का  
आनुचित्तिक, प्रासारणिक या वैकल्पिक संशोधन न हो।

104. जब सभी संशोधन निपटाये जा चुके हों तो निम्न 99 के विधेयक का  
अधीन प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदरम्य वह प्रस्ताव कर सकता  
है कि विधेयक को व्याख्याति सभा द्वारा मूलतः परित रूप में  
अथवा संशोधित रूप में, पुनः पारित किया जाये।

105. यदि वह प्रस्ताव पारित न हो कि उन्न्यपाल द्वारा सिफारिश संशोधन से  
किए गये संशोधनों पर विचार किया जाये, तो निम्न 99 के अधीन सभा की  
प्रस्ताव की सूचना देनेवाला सदरम्य तत्काल वह प्रस्ताव कर सकता है असहमति  
कि सभा द्वारा मूल रूप में पारित विधेयक को विन किसी संशोधन

को पुनः पारित किया जाये।

( न ) सभा द्वारा पुनः पारित विधेयक का प्रमाणीकरण

सभा द्वारा  
पुनः पारित  
विधेयक का  
प्रमाणीकरण

106. जब कोई विधेयक सभा द्वारा पुनः पारित किया जावे तब  
वह सभा को वापरे में हो, तो विधेयक पर अध्यक्ष द्वारा इसकाकर किए  
जायेंगे और उसे गणयात्रा के समान निम्नलिखित रूप में उपस्थित  
किया जायेगा:-

"इस विधेयक संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुके  
अनुसारण में सभा द्वारा पुनः पारित किया गया है।"

परन्तु अध्यक्ष के रौची से अनुपस्थित रहने पर सभिय  
अधिकारीयोंकी अवश्यकता में अध्यक्ष की ओर से विधेयक का  
प्रमाणीकरण कर सकते।

राज्यपाल के  
अध्यावेशों  
की चर्चा

107. संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन  
जब गणयात्रा किसी अध्यादेश का प्रस्तावन करे तब उसके पास्तात्  
प्रधारांश्च शीघ्र ऐसे अध्यादेश की प्रतिलिपि सभा के सदस्यों के लिये  
उपलब्ध करायी जायेगी। सभा को पुनः समर्वत होने से ह; साथात् को  
पीला सचिव जो पूरे दीन दिन को सूचनाएँ देने के प्रशासन को  
सदस्य अध्यादेश के अनुसोदन का संकाल प्रस्तुत कर सकता।

अध्यावेशों के  
संविध में  
विवरण

108. (1) जब कभी कोई विधेयक किसी अध्यादेश के स्वाम  
में उच्चमेरु लूप-भेद सहित या उसके बिना सभा में पुरात्पापित किया  
जावे तो विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला  
एक विवरण भी सभा के सामने रखा जायेगा जिसके कारण अध्यादेश  
इस तुलने विधान बनाना आवश्यक हो गया या

(2) जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश पूर्णित या अशांत या  
सम्पूर्ण समर्पित हो तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करनेवाला  
एक विवरण जिसके कारण अध्यादेश द्वारा तुलने विधान बनाना  
आवश्यक हो गया या, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के साप्र  
के बारें में पटल पर रख दिया जायेगा।

(इ) विधेयकों पर चाह-विवाद का स्थगन और उनको बापस लेना तथा हटाना।

109. मालूम ये चर्चाभीन विधेयक के बिरोड़ी प्रक्रम पर अधिकत की सम्मिलिति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकतेगा कि विधेयक पर चाह-विवाद विधेयक पर चाह-विवाद का स्थगन

110. विधेयक का भारतीयक सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर बापस लेने की अनुमति का विधेयक को प्रस्ताव कर सकेगा;

(क) विधेयक से अंतर्विष्ट विभागीय प्रस्तावना समाप्त की जानी है, या

(ख) चाह में उस विधेयक को स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है, जिससे उसमें अंतर्विष्ट उपचांद में सारकान रूप से फौर-बदल हो जायेगा, या

(ग) चाह में उस विधेयक को स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है, जिसमें अन्य उपचांदों के अंतरिक उपके सभी या कोई उपचांद सम्मिलित हों,

और यदि ऐसा अनुमति ही जाए, तो उस विधेयक को संबंध में कोई अप्रैल प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।

परन्तु यदि कोई विधेयक गणसमिति, सभा की प्रबल समिति के विचाराभीन हो, तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना खलत; समिति को सौंपी गई मानी जायेगी और समिति द्वारा सभा को दिए गए प्रतिवेदन में एवं व्यक्त करने के चाह प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जायेगा।

111. यदि किसी विधेयक को बापस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो, अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, विधेयक प्रस्तुत करने वाले का विरोध करने वाले तथा प्रस्तावक सदस्य की सक्षिप्त व्याख्यायक वाक्य ऐसे को अनुज्ञा दे सकेगा, और उसके चाह अप्रैल चाह-विवाद के बिना, प्रश्न रख सकेगा।

वापसी के प्रस्ताव को प्रस्तुत या उसका विरोध करने वाले सदस्य द्वारा व्याख्यायक वाक्य

विधेयकों की  
पंजी से  
विधेयक का  
हटाया जाना

112. जब सभा द्वारा किसी विधेयक को चारों में इन नियमों के  
अधीन निम्नलिखित मूल प्रस्तावों में से कोई प्रत्याप अस्वीकार किया  
जाये, तो उस विधेयक को संघर्ष में कोई और प्रत्याप नहीं किया जायेगा  
और ऐसा विधेयक सभा में लौटा विधेयकों की पंजी में से हटा दिया  
जायेगा:

- (1) कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी  
जाये,
- (2) कि विधेयक एक प्रवार समिति को रखी जाये,
- (3) कि विधेयक पर एव जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित  
किया जाये,
- (4) कि विधेयक पर विचार किया जाये,
- (5) कि प्रवार समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर  
विचार किया जाये, और
- (6) कि विधेयक को (या विधेयक को संशोधित रूप में  
परिवर्तित) पारित किया जाये।

विधेयकों की  
पंजी से  
गैर-मारकारी  
सदस्य का  
विधेयक  
हटाने के लिए  
विशेष उपचार

113. सभा के सामने लौटित कोई गैर-मारकारी सदस्य का  
विधेयक भी सभा में लौटित विधेयक की पंजी में से हटा दिया जायेगा,  
यदि-

- (क) भारताभक सदस्य या का सदस्य न रहे, या
- (ख) भारताभक सदस्य यंत्री नियुक्त हो जाये,
- (ज) संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्रक्रिया

संविधान में  
संशोधन का  
अनुसमर्थन

114. (1) संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के लिए सुनना  
या संदेश प्राप्त होने पर उस विधेयक एवं तद्विधेयक बाद-विधाद  
की प्रतिलिपि सहित सभा के पट्टा पर रखा जायेगा;

- (2) अध्यक्ष, सभा नेता के पासमें से, उस पर चर्चा के लिए  
तिथि नियत करेगा।
- (3) संकल्प पर चर्चा से संबंधित नियम और आदेश ऐसे  
संकल्प की चर्चा पर समर्द्धित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (4) सभा द्वारा पारित हो जाने पर संकल्प की प्रतिलिपि संविध  
द्वारा चालकार तथा सालद को भेजी जायेगी, संकल्प से पारित न होने  
की दशा में तद्विधेयक सूचना भेज दी जायेगी।

अन्वय- ॥

### याचिकाएँ

115. अभ्यास की सम्पति से विमर्शित पर याचिकाएँ साथ में याचिकाओं  
उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकती हैं।

(1) ऐसा किशोरक जो नियम 60 के अंतर्गत प्रकाशित हो चुका  
हो या जो साधा में प्रत्याख्यात हो चुका हो,

(2) साथ के सामने लाइट कार्बन से संबंधित कोई शिष्य, और

(3) सामान्य लोक हित का कोई भी विषय, परन्तु वह ऐसा न  
हो:

(क) जो इतारत्मण के किसी भाग में शोषणिकार रखने वाले  
किसी न्यायालय या किसी जीव न्यायालय या किसी साधिक  
न्यायाधिकारण या प्राधिकारी या किसी अद्दे-न्यायिक निकाय या अल्पांग  
की जानकारी में हो,

(ख) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता  
है, या

(ग) जिसके लिए विधि के अंतर्गत उपचार उपलब्ध है और  
विधि में नियम, विनियम, उपनियम या उपविधि सम्मिलित हैं, जो  
किसी विधि के अधीन बनाये गये हों।

116. (1) एकली अनुसूची में याचिका का दिया गया सामान्य याचिका का  
प्रवर्त ऐसे परिवर्तनों के साथ जो उपर्योक्त मामले की परिस्थितियों में  
अपेक्षित हो उपर्योग में लाया जा सकेगा और वह उपर्योग में लाया  
जाये तो वह पर्याप्त होगा।

(2) प्रत्येक याचिका सम्बन्धीय शिष्य और संघर्ष भाषा में लिखी  
जायेगी।

- याचिका के हस्ताक्षरकार्त्तों वा प्रमाणीकरण**
- याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाया जायेगा प्रतिहस्ताक्षर
- याचिका सभा को संबोधित की जायेगी याचिका का कारण उपस्थापित करने का बदला दिया जाएगा और वह यदि साथर हो तो उसके हस्ताक्षर से और यदि निश्चार हो तो उसके अगुठे के निशान से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।
117. याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता का गूहा नाम और पता उसमें दिया जायेगा और वह यदि साथर हो तो उसके हस्ताक्षर से और यदि निश्चार हो तो उसके अगुठे के निशान से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।
118. याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाया "जायेगा, किसमें पत्र/वापर-पत्र या अन्य दस्तावेज सम्मिलित हैं।"
119. यदि याचिका किसी सरस्य द्वारा उपस्थापित की जाये, तो ऐसी प्रत्येक याचिका पर चड़ प्रतिहस्ताक्षर करेगा।
120. प्रत्येक याचिका सभा को संबोधित की जायेगी और विषय विषय में उसका संबंध ही उसके बारे में याचिका देने वाले को संबोधित उपस्थय का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ सम्भाल होगी।
121. याचिका उपस्थापित करने वाले सरदर्य अपने नो निम्नलिखित कारन तक ही संमिल रखेगा:
- " मैं ..... के संबंध में ..... याचिका देने वाले द्वारा हस्तालित याचिका उपस्थापित करता हूँ।"
- और इस कारन पर किसी बाद-विवाद की अनुत्त नहीं होगी।
122. याचिका सरदर्य द्वारा उपस्थापित वाद जा सकेगी या याचिका को भेजी जा सकेगी वो उस दरत में सभा को सूचित करेगा और ऐसी सूचना देने पर किसी बाद-विवाद की अनुत्त नहीं होगी।
123. प्रत्येक याचिका, याचिकाति, प्रदर्श द्वारा उपस्थापित किए जाने की बाद या सचिव द्वारा प्रतिवेदित किए जाने के बाद और जब विधानसभा सत्र में न हो, तब प्राप्त हुई याचिका, यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे, याचिका समिति को जीव दी जायेगी।

अध्याय-12

### प्रत्यायुक्त विधान

124. (1) जब संविधान या सभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोक्ति विभायी कूर्त्ति के अनुसारण में बदले गये विनियम, नियम, उपनियम, उपचारित और सभा के सामने रखे जायें, तो संविधान या तत्काल अधिनियम आदि सभा के सामने रखे जायें। तो संविधान या तत्काल अधिनियम में डिलीप्पित कालावधि किसके लिए उसके रखे जाने को अपेक्षा हो, सभा के अधिकारित काल के लिए, स्थानित होने तथा बाद में संतोषसान होने से पहले पूरी की जायेगी, जब तक कि संविधान या संगत अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो।

(2) जब डिलीप्पित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उपनियम, उपचारित आदि अनुकूली सब या उसमें पूर्ण; रखे जायेंगे जब तक कि उक्त कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जायें।

125. अध्यात्म, सभा नेता के प्रत्यार्पण से ऐसे विनियम, नियम, उपनियम, उपचारित आदि के विशेष संशोधन पर, विशेष किसी सदस्य द्वारा सुधारा हो जाये, विचार करने और उसे पारित करने के लिए एक या अधिक दिन या दिन का कोई शाह जैसा कि वह टीक समझे, विश्वित करेगा:

परन्तु संशोधन की सूचना ऐसे रूप में होगी जैसा कि अध्यात्म समूचित सभाहे और उसमें नियमों का गालन किया जायेगा।

विनियम,  
नियम आदि  
का पटल पर  
रखा जाना

परिशोधन  
पर चर्चा के  
लिए समय  
का अनुपत्तन

## विषय-13

## संकल्प

संकल्प की  
सूचना

126. यहीं को सोइकर कोई मदम्ब, जो समाचर सिकाहित के विषय से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है, संकल्प की सूचना, संकल्पों के लिए नियत प्रथम दिन के दूर पन्द्रह दिन पूर्व देश और सूचना के साथ उस संकल्प को एक प्रति भेजेगा जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है:

परन्तु अधिक किसी संकल्प को पन्द्रह दिन से कम की सूचना पर कार्य-सूची में दर्ज करने की अनुमति दे सकेगा;

परन्तु यह और भी कि जब तक किसी सदस्य में अधिक की विशेष अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो तब तक उसी सभा के बाहर में इस कार्य के लिए विधीनित प्राप्तेक चेतक को लिए एक से अनधिक संकल्प की सूचना नहीं देगा।

संकल्प का  
काम

127. जहाँ सांविधान में अन्यथा उपलब्ध है, यहाँ सोइकर प्रत्येक संकल्प सत्कार को संबोधित विशिष्ट सिकाहित के काम में होगा।

संकल्प की  
गाइडलाई  
की

128. कोई संकल्प ग्रहण हो सके उसके लिये निम्न तरीके द्वारा करेगा, अर्थात्:

- (1) वह स्पष्टतया और सूक्ष्मतया अक्ष किया जायेगा,
- (2) उसमें सारावान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उत्तरण जायेगा;
- (3) उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, अवगाहक पद, लाभन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;
- (4) उसमें व्यक्तियों के घरेन या सार्वजनिक हीमिल के अतिरिक्त उसके आवरण या भरित का विरेश नहीं होगा, और

(5) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो ज्ञानव्याप्ति के किसी भाग में लेखाधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-विधेय के अंतर्गत हो।

129. अध्यक्ष विविधित करेगा कि कोई संकल्प या उल्लंघन कोई भाग इन विषयों के अंतर्गत नाही है अबता नहीं और वह किसी संकल्प अवश्य उसके किसी भाग को अवृद्धीकृत कर सकेगा जो उनकी राज में संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अबता सभा को प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए अव्योनित हो या इन विषयों का उल्लंघन करता हो।

130. जागरणत्त्व ऐसे संकल्प को प्रस्तुत करने को अनुमता नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक तुल्य करने वाले किसी संविधित न्यायालिंग करण या किसी संविधित प्राधिकारी के या किसी विषय की जाँच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जाँच न्यायालय के समझ लम्बित हो।

परन्तु अध्यक्ष अपने समविवेक से ऐसे विषय को सभा में डालने को अनुमति दे सकेगा जो जाँच की उकिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का सम्मतिन हो जावे कि उससे संविधित न्यायालिंग, संविधित प्राधिकारी, आयोग या जाँच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को समावित नहीं है।

131. (1) कार्य-सूची में लिखा सदस्य के नाम में संकल्प हो वह, उस स्थिति को छोड़कर बच्चिक वह उसे वापस लेना चाहता हो, प्रस्तुत किया संकल्प का जाना पर संकल्प प्रस्तुत करेगा और उस अवस्था में, कार्य-सूची में दिये गये रूप में औपचारिक प्रतीकूल के साथ, वह अपना भाग प्रांगंभ करेगा।

(2) कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य सदस्य को, जिसके नाम में वही संकल्प कार्य-सूची में नीचे दिया हुआ हो, उसे अपनी ओर से प्रस्तुत करने का प्राधिकार दे सकेगा और इस तरह प्राधिकृत सदस्य उसे उत्तमता प्रस्तुत कर सकेगा।

प्राप्ति का विविध

न्यायाधिकारण/  
आयोग  
आदि के  
विचारालयों  
मामले

प्रस्तुत किया  
जाना

(3) यही के अतिरिक्त कोई सदस्य यदि पुकारे जाने के समय अनुपरिवर्त हो तो उसके द्वारा उसको और से लिंगित रूप में प्राप्तिकृत कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुजा से उनके नाम में रखा हुआ संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।

#### संशोधन

132. (1) संकल्प प्रस्तुत किए जाने के बाद कोई सदस्य, संकल्पों से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए संकल्प में संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) एवं ऐसे संशोधन की सूचना उस रिव दो एक रिव पूर्व न दी गई हो विस दिन जो संकल्प प्रस्तुत किया जाये तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किए जाने पर अधारित कर सकेगा और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपात अधिकारी होगी।

(3) यदि समय हो तो सचिव सदस्यों का समय-समय पर उन संशोधनों को सूची उपलब्ध करायेगा विनको सूचनाएँ प्राप्त होंगी।

#### भाषणों के लिए समय- सीमा

133. किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, अध्यक्ष की अनुजा के बिना पन्डित मिनट से अधिक नहीं होगी;

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और संबंधित मंत्री प्रधान वार भाषण देते समय तीस मिनट तक या इससे इसने अधिक समय तक, जितने कि अध्यक्ष अनुजा दे भाषण दे सकेगा।

#### चर्चा की व्याप्ति

134. किसी संकल्प पर चर्चा संकल्प से सर्वथा संतुष्ट और उसकी व्याप्ति के भीतर होगी।

#### संकल्प और संशोधन की वापसी

135. (1) कार्य-सूची में विस सदस्य के नाम में कोई संकल्प हो, वह पुकारे जाने पर संकल्प वापस से संकरा और उस अवस्था में वह अपना कथन उस बात तक ही सीमित रहेगा।

(2) विस सदस्य ने कोई संकल्प या संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया हो, वह उसे सम्म की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकता।

विस सदस्य के बापर उसकी वापसी की अवस्था विसपर्वत रहती है।

136. जब अनेक विषयों से अलगाव किसी संकल्प पर चर्चा हो तो अध्यक्ष संकल्प को विभाजित कर सकेगा और जैसा यह उचित समझे प्रत्येक विषय या कोई विषय मत के लिए अलग-अलग रुख सकेगा।

137. जब कोई संकल्प प्रस्तुत कर दिया गया हो तो यात्राओं के संकल्प की विभाजित तटाने वाला कोई संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से एक तर्ह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

परन्तु जब कोई संकल्प सभा की अनुभवी से बापस ले लिया गया हो तो यात्रावाले रूप से वहीं विषय तटाने वाला कोई संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प को दीर्घ प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

138. प्रत्येक संकल्प, जिसे सभा ने पारित किया हो, की एक प्रति संबंधित शब्दी के यास भेजी जायेगी।

संकल्प को  
विभाजित  
करना

संकल्प की  
पुनरुत्थान

मंजी के यास  
पारित  
संकल्प  
भेजना

## प्रस्ताव

लोकहित के  
किसी विषय  
पर चर्चा

प्रस्ताव की  
मूख्या

आद्वता की  
रूपेण

139. लोकहित या इन विषयों में अन्यथा उपर्युक्त अवस्था को  
लोडकर अपशंका की सम्पत्ति से लिए गये प्रस्ताव के लिया समाज  
लोकहित को विषय पर कोई चर्चा नहीं होती।

140. प्रस्ताव को मूख्या लिंगित रूप में दो जायेंगे और  
सचिव को संबोधित होती।

141. कोई प्रस्ताव प्राप्त हो तभी इसके लिए वह निम्न रूप से भूमि  
करेगा, अर्थात्:

(1) उसमें सारांश के रूप से एक ही विशिष्ट प्रश्न उठाया  
जायेगा।

(2) उसमें प्रत्कृ, अनुमान, व्यंगात्मक पद, लंब्घन या  
मानवानि-कारक कथन नहीं होगे।

(3) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक ईसियत को अतिरिक्त  
उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा।

(4) वह किसी हाल ही में खट्टा विषय तक निर्बन्धित रहेगा।

(5) उसमें विशेषधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

(6) उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं चलाये जायेंगे  
किस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।

(7) उसमें ऐसे विषय की चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी  
सत्र में चर्चा होने की संभावना हो।

(8) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगी जो झारखण्ड  
के किसी भाग में लोकाधिकार रखने वाले किसी व्यापालय के  
व्याप-विधियों के अंतर्गत हो।

142. अध्यक्ष विनियोगित करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसके भाग इन नियमों के अधीन आहा है असवा नहीं और वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रत्युत करने के अधिकार का दुषपर्याप्त ही या सभा की प्रक्रिया में काफा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आवश्यित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।

143. वापारालय ऐसे उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए ही वो किसी न्यायिक या अदर्शन्यायिक कृत्य करने वाले किसी सर्विहित न्यायाधिकारण या सर्विहित प्राधिकारी की या किसी विषय वाले जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आवेदन या जांच न्यायालय की समाने लाभित हो।

परन्तु अध्यक्ष अपने व्यक्तिवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की उकिया या विषय या प्रक्रिया से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष या सम्बादन ही जावे कि इससे सर्विहित न्यायाधिकारण, सर्विहित प्राधिकारण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय को विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

144. अध्यक्ष, सभा के चारों की विभिन्न पर विचार करने के बाद और सभा-नेता के पायामर्त्ती से किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।

145. अध्यक्ष, यथाविधि, नियत दिन या नियत दिनों की अंतिम दिन विविचित समय पर मूल प्रश्न पर सभा का विनियोग निर्धारित करने के लिए प्रायोक आवश्यक प्रश्न तुरते रहेगा।

ग्राहकता का विनियोग

न्यायाधिकारण, आयोग  
आदि के विचाराधीन  
भागसे।

चर्चाओं के लिए समय  
का नियतन।

अध्यक्ष  
नियित समय  
पर प्रश्न  
रखेगा।

146. अध्यक्ष, मरी वह लोक समझे, जोनों के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगा।

भाषणों के लिए समय-  
सीमा।

अध्याय-15

### व्यानाकरण

#### व्यानाकरण

147. (1) कोई सदस्य, अभ्यास की पूर्ण अनुज्ञा से, अधिकारप्रीय लोक महात्म के किसी विषय पर योगी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और योगी संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय घोग सकेगा:

परन्तु कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिए योगी एक भी अधिक सूचना नहीं दे सकेगा।

(2) ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये, कोई चाह-विचाह नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य विशेषके नाम में कार्य-सूची में वह सूचना दिखाई नहीं हो, अभ्यास की अनुमति से समर्थीकरण के लिए एक प्रश्न पूछ सकेगा:

परन्तु कार्य-सूची में तीन से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिखाए जायेंगे।

व्याख्या: (1) जहाँ किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होने वहाँ यह समझा जायेगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता ने सूचना दी है,

(2) पूर्वी 9.00 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं की अगली बैठक लिए दिया गया समझा जायेगा।

(3) एक ही बैठक में चौंक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे।

(4) एक ही दिन के लिए एक से अधिक विषय उपरिक्षित किए जाने की नियमि में उड़ा लिया जो पूर्ववर्तिता वा जावेगी जो अभ्यास की राश में अधिक अधिकारप्रीय और महात्मपूर्ण हो।

(5) प्रस्तावित विषय इनमें के बाद और कार्य-सूची का अन्य

प्राप्तियों के  
लिए समय-  
सीमा

कार्य प्रारंभ करने से पहले उत्तम जायेगा और सभा की बैठक के दौरान  
में अन्य किसी समय में नहीं।

(6) वे सभी सुचनाएँ जो उसी बैठक में नहीं ली गई हैं जिसके  
लिए कि वे दी गई थीं, उस बैठक की समाप्ति पर जबकि ही  
जायेगी जब-तक कि अध्यक्ष ने उन्हें किसी बाद की बैठक के लिए  
गृहीत न कर लिया हो।

## अध्याय-१६

## अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

चर्चा उठाने  
की सूचना

148. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य, उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुनिश्चित उल्लेख करते हुए सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकता।

परन्तु सूचना के माध्यम उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक आवश्यक दिप्पाई भी संलग्न होगी।

परन्तु यह और भी सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होता।

प्राप्ति का  
विविष्टव्य

149. यदि दूसरा देने वाले सदस्य ही और भी दो ऐसी प्राप्तियाँ मिलने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे अध्यक्ष का सम्मान हो जाये कि विषय अविलम्बनीय है और सभा में चलनी ही उठाये जाने के लिए पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना प्राप्त कर सकेगा, और सभा भेजा के पासपर्स से ऐसी लिखि निरिचित कर सकेगा जब इस विषय चर्चा के लिए लिपा जा सके और चर्चा के लिए उठाने समझे की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों ने उचित समझे और जो । बन्द 30 मिनट से अधिक न हो।

परन्तु यदि दैरें विषय पर चर्चा के लिए अन्य अवसर बहुत उपलब्ध होने वाला हो तो अध्यक्ष सूचना प्राप्त करने से इकर कर सकेगा।

कोई  
औपचारिक  
प्रस्ताव नहीं  
रखा जायेगा  
भाषणों के  
लिए समय-  
सीमा

150. सभा के समझे व तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और ये मात्रान होगा। विषय सदस्य ने सूचना दी हो वह संशिक्षण बहुत दे सकेगा और भी दोषों में उत्तर देगा। विषय सदस्य ने अध्यक्ष की पहले सुनिश्चित कर दिया हो उसे चर्चा में शामिल होने को अनुमत दी जा सकता है।

151. अध्यक्ष, यदि दोनों समझे, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित कर सकता।

अध्याय-१७

### अल्पकालीन चर्चा

152. अविलम्बीय तोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टता तथा सुनिश्चितता उत्तीर्ण कर गीचिक को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा।

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाये के कारण देते हुए, एक अल्पकालीन टिप्पणी संलग्न होगी।

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन काम से काम हो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरी से होगा।

153. (1) यदि अध्यक्ष को सूचना देने वाले सदस्य से और संबंधित संसी से ऐसी जानकारी मांगने के बाद विसे वह अवश्यक समझे समर्थन हो जाये कि विषय अविलम्बीय है और सभा में बल्ली ही उठाये जाने के लिए, पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्राहक कर सकेगा।

परन्तु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अन्य अवश्यकता हो तो अध्यक्ष सूचना ग्राहक करने से इकार कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष, एक समझ में ऐसी ही बैठकें नियत कर सकेगा जब ऐसे विषय चर्चा होते हुए जा सकें और चर्चा के लिए उठाने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो 45 मिनट से अधिक न हो।

154. सभा के सामने जो तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी ही वह संबंधित वक्तव्य दे सकेगा और संसी संक्षेप में वहाँ देगा। जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले सृजित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।

155. अध्यक्ष, यदि वह दोक समझे भाषणों के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगा।

अल्पकालीन  
चर्चा उठाने  
की सूचना

ग्राहक का  
विनिश्चय

औपचारिक  
प्रस्ताव का  
निवादन

समय-सीमा  
का नियतन

## अधिकार-१८

**मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव और  
पद-त्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य**

प्रस्ताव करने  
संबंधी  
प्रक्रिया

156. (1) मंत्री-परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव निम्नलिखित विवरणों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) प्रस्ताव करने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा मुद्रण जाने पर सदस्य को भीणती होगी,

(ख) अनुमति भाग्यने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के चाम उस प्रस्ताव की विस्तृत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी।

(2) यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वह सभा में प्रस्ताव पढ़कर मुद्रण और उन सदस्यों में से जो अनुमति दिए जाने के पास में हो अपने स्थानों में बूझदूर होने के लिए ग्राहित करेगा और यदि तदनुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से कम से कम दर्शाता सदस्य बूझदूर हो जाए तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जा जाती है और प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लिया जायेगा जो अनुमति भीणने की तिथि से दस दिन से अधिक बाद का न हो। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य बूझदूर हों तो अध्यक्ष सदन/सभा को सूचित करेगा कि उसे सभा को अनुमति नहीं है।

(3) यदि उपनियम (2) के अधीन अनुमति दे दी जाए तो अध्यक्ष, सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।

(4) प्रस्ताव को सूचना देने वाला सदस्य या सदस्यों द्वारा विधानसभा के दीर्घन लगावे जाने वाले आरोपों की लिखित सूचना सदस्य द्वारा नियत अवधि के पूर्व सचिव को दी जायेगी।

(5) अध्यक्ष, वयाकिंगति, नियत दिन या दिनों में से अंतिम दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव पर सभा का विविचय निर्धारित करने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्राप्ति तुरन्त रखेगा।

(6) अध्यक्ष, पर्दि वह टीक समझे, भाषणों के लिए समय-सौमा विहित कर सकेंग।

157. (1) जो सदस्य भौती पद का त्वाग कर दे, वह अध्यक्ष को सम्मति से अपने पदत्वाग के संपर्कीकरण के लिए अकिञ्जित वक्ताव्य दे सकेगा।

(2) जिस दिन वक्ताव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले डस्की एक इति अध्यक्ष और सभा के नेता को भौती जापेगी।

परन्तु लिखित वक्ताव्य के अधार में ऐसे वक्ताव्य की मुख्य बातें यह उसका सार अध्यक्ष और सभा नेता को जिस दिन वक्ताव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले भौता जायेगा।

(3) ऐसे वक्ताव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु उसके दिए जाने के बाद कोई भौती तत्संगत वक्ताव्य दे सकेगा।

अध्यक्ष-१९

### अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए

#### संकल्प

##### संकल्प की

##### सूचना

158, (1) कोई सदस्य, जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अधीन किसी संकल्प की सूचना देता चाहे वह उसे लिखितरूप में संचित करे रहा।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति को लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गये किसी दिन को कार्य-सूची में संचित सदस्य के नाम में दर्ज कर दिया जानेगा। परन्तु इस तरह निश्चित किया गया दिन संकल्प को सूचना प्राप्त होने की तिथि से भीरह दिन बाद का कोई दिन होगा।

##### संकल्प को सैने के लिए

##### सभा की

##### अनुमति

159. (1) संविधान के अनुच्छेद 181 के उपबंधों के अधीन यहाँ हुए जब नियम 158 के उपनियम (2) के अधीन कोई प्रस्ताव विचार को लिए लिया जाए तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिक पीठासीन होगा।

(2) कार्य-सूची में विस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो जह उस दरार के अतिरिक्त जब कि वह उसे वापस लेना चाहता हो, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एकरे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा किन्तु इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुमति नहीं होगी।

(3) उम्मके बाद, यथासिद्धति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिक प्रस्ताव को सभा के सामने रखेगा और उन सदस्यों से जो अनुमति दिए जाने के पछ में ही अपने स्थान में बढ़े होने के लिए प्राप्तना करेगा। यदि तदनुसार सम्मत सदस्यों की संख्या में से कम से कम सभा या उपाध्यक्ष की अनुमति दी गई है और यह कि संकल्प किसी ऐसे दिन

लिया जाएगा जो वह नियत करे और जो अनुमति मौजने के दिन से  
इस दिन से अधिक बाद की न हो, यदि अनेकता संरक्षा से कम  
संवर्त्य लादे हो तो अभ्यास, संवर्त्य को सूचित करेगा कि उसे संभा/सदन  
की अनुमति नहीं है।

160. संकल्प नियत दिन की कार्य सूची में विचार के लिए  
सम्मिलित किया जाएगा।

नियत दिन  
की कार्य-  
सूची में  
संकल्प का  
सम्मिलित  
किया जाना

161. किसी संकल्प पर भाषण की अनुभि, अभ्यास या  
प्रीतासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं  
होगी।

भाषणों के  
लिए समय-  
सीमा

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रदूष करते समय इसने  
अधिक समय तक भाषण दे सकता जितना कि अभ्यास या उपाध्याय  
या प्रीतासीन व्यक्ति अनुमति दे।

162. संकल्प पर चर्चा पूरी तरह से संकल्प में संलग्न हो गये चर्चा की  
आरोग्य तक ही सीमित होगी।

व्यापिक

अध्याय-20

### वित्तीय कार्य

(क) आय-व्ययक

**आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण**

163. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में गम्भीर सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण (जिसे इसके पश्चात् "आय-व्ययक" कहा जाता है) सभा में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि गठनपाल निर्देश है।

**प्रस्तुतिकरण के दिन चर्चा न होना**

164. प्रस्तुतिकरण के दिन आय-व्ययक पर कोई चर्चा नहीं होती।

(ख) अनुदान की माँग

165. (1) सरकार के प्रत्येक विभाग के लिए प्रस्तावित अनुदान के संबंध में साधारणतया एक पृष्ठ हमें की जायेगी।

परन्तु वित्त बंडी दो या अधिक विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों को एक माँग में सम्मिलित कर सकता या ऐसे व्यय के संबंध में एक माँग कर सकता, जिसका वर्गीकरण किसी एक विभाग के अंतर्गत सहज में न किया जा सके।

(2) प्रत्येक माँग से पहले समस्त प्रस्तावित अनुदानों का विवरण दिया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत विस्तृत प्राक्कलन का आय-व्यवहार भर्ती में विचारित विवरण दिया जायेगा।

**आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा**

166. (1) जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाये उसके बाद अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाने वाले दिन और उनमें सम्पर्क के लिए जितना कि अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए नियत करे, सभा सम्पूर्ण आय-व्ययक पर या उसमें अंतर्दृसत मिहान के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होती, किन्तु इस प्रक्रम में न तो कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा और नहीं आय-व्ययक सभा में बहाना के लिए

२०१०-२०११।

(2) वित्त मंत्री को चर्चा के अंत में उत्तर देने का सम्बन्ध अधिकार होगा।

(3) अभ्यास, यदि ठीक समझे, आपनो के लिए समय-सौना बढ़ावा कर सकेगा।

167. (1) अध्यक्ष, सचिव नेता से परामर्श करने के बाद अनुसारी भी गैरी एवं चार्ची और भवान के लिए उत्तम दिन घोषित करेंगे जो लोक हित में सुखावल हो।

अनुयानो की  
मार्गो पर  
मतदान

(2) अध्यक्ष नियत दिनों के अंतिम दिन अपराह्न 3.00 बजे अध्यक्ष किसी ऐसे अवृत्त समय पर जो कि वह पहले से निरिचित कर दें, अनुदानों की भौतिक के संबंध में सभी अवशिष्ट लिप्तियाँ फॉ निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रस्तुत करेगा।

(3) किसी अनुदान को मौग को कम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(4) किसी अनुदान की माँग को ताम करने के प्रस्तावों में संशोधन की अनुज्ञा नहीं होगी।

(5) जब एक ही अनुशासन की मांग से संबंधित कई प्रस्ताव दिए जाएं तब उन पर उस रूप में चर्चा होती, जिस रूप में उनसे संबंधित शोधीक आय-व्ययक में दिए गए हो।

कट्टौती  
प्रस्तावों की  
सुचना

168. वरि अनुदान को कम करने के लिए किसी प्रस्ताव की सूचना भवित्वान ही नियत प्रथम दिन के पूरे चार दिन पहले न दी गई हो तो कोई संस्करण प्रस्ताव के प्रस्तुत करने पर आपातकर सकता है और जब तक कि अधिक प्रस्ताव करने की अनुमति न दें दें तब तक ऐसी आपातक अभियांत्री होगी।

169. मौंग की सशि काम करने की सूचना प्राप्त हो सके, इसके लिए वह निम्नलिखित रातें पूरी करेगी, अवधि:-

कटौती

(1) उसका संबंध बीजल पक्ष मार्ग से होगा,

- (2) वह स्वरूपतया ग्रन्थ की जायेगी और उसमें प्रतीक, अनुभव, लोक, व्यवहारमनक पर, अभ्यासीप, विशेषण या मानवानिकातक कथन नहीं होंगे,
- (3) वह एक ही विशिष्ट विषय तक समीक्षित रही जायेगी, विश्वका वर्णन मुख्य शब्दों में किया जायेगा,
- (4) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्त नहीं की जायेगी, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही अपील की जा सकती हो,
- (5) उसमें व्याख्यान विषयों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जायेंगे,
- (6) वह ऐसे विषय का निर्देश नहीं करेगी, जो मुख्यतया झारखण्ड राज्य सरकार का विषय न हो,
- (7) उसका किसी ऐसे व्यय से संबंध नहीं होगा जो झारखण्ड राज्य की संचित निर्धि पर भारित हो,
- (8) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जो झारखण्ड राज्य के किसी चाल में संज्ञापिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णय के अन्तर्गत हो,
- (9) उसमें विशेषाधिकार का प्रस्तुत नहीं उठाया जायेगा,
- (10) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो और जिस पर विशिष्ट विचार की जाएगी जो चुका हो,
- (11) उसमें उन विषयों की पूर्वान्मा नहीं की जायेगी, जो विचार के लिए बहले ही नियत किए जा चुके हों;
- (12) उसमें ग्राम्याभिलाप ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठायी जायेगी जो काई न्यायिक या अद्य-न्यायिक कुर्यात् करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकारण या संविहित प्राधिकारी की, या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के समस्त विचाराधीन हों;

परन्तु अध्यक्ष उसने स्वतिवेक्ष से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकता, जो जब को प्रक्रिया अथवा प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे संविहित व्यवस्थिकाण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच व्यापारप द्वारा उस विषय के लियार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पहुँचे की संभावना नहीं हो, और

(13) उसका संबंध तुच्छ विषय से नहीं होगा।

170. अध्यक्ष विविशय करेगा कि कोई कटौती प्रस्ताव इन विषयों के अन्तर्गत नहीं है अथवा नहीं और वह कोई कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकता जो उसकी रूप में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का उल्लंघन हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा ढालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव ढालने के लिए आवंजित हो या इन विषयों का उल्लंघन करता हो।

171. (1) सेवानुदान के उस्ताव में अपेक्षित समय राशि बतायी जायेगी और प्रायोक विभाग या अप के मर के लिए अवश्यक विभिन्न धनशिवायी, त्रिवेस वह समय राशि बतायी है, प्रस्ताव से संलग्न अनुसूची में बताई जायेगी।

(2) सम्पूर्ण अनुदान को कम करने के लिए या जिन मर्तु से विलकर अनुदान बना हो तो, उनको कम करने या निकाल देने के लिए संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(3) प्रस्ताव पर या उसमें प्रस्तावित किए गये संशोधनों पर सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति दी जा सकेगी किन्तु अनुदान के ब्यौरे पर उससे अद्वेत चर्चा नहीं होगी जिससे को सामान्य विषयों को बताने के लिए अवश्यक हो।

(4) अन्य प्रकारणों में सेवानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार कटौतिहारी की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की मांग हो।

172. अनुप्रक, अपर अतिरिक्त और अवश्य अनुदान तथा प्रत्यानुदान, परिवर्तन, परिवर्द्धन या सेवन करने वाले ऐसे अनुकूलनों के अधीन जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक या बांधनीय सम्बोध, उस प्रक्रिया

अध्यक्ष  
कटौती  
प्रस्तावों की  
प्राप्ति  
विविशय  
करेगा

सेवानुदान

अनुप्रक,  
अपर,  
अतिरिक्त और  
अपश्य  
अनुदान तथा  
प्रत्यानुदान

में विविधता होने जो अनुदानों की मात्रों के संबंध में लागू होती है।

**अनुपूरक  
अनुदान पर  
चर्चा की  
व्यापति**

**साकेतिक  
अनुदान**

**विविधोग  
विधेयक के  
बारे में  
प्रक्रिया**

173. अनुपूरक अनुदानों पर बाद-विवाद केवल उन मर्दों तक ही सीमित रहता रित पर अनुपूरक अनुदान बाजारे गये हों और जब तक तद्धीन मर्दों की व्याख्या करने का उन्हें समर्पण करने के लिए आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर वा उनके संबंध में किसी भीति पर चर्चा नहीं होगी।

174. जब किसी वह सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सके तो साकेतिक रिति के अनुदान को यांग सभा के महादान के लिए रखी जा सकेगी और यदि सभा यांग पर अनुमति दे दे तो धन इस तरह उपलब्ध किया जा सकेगा।

#### (ग) विविधोग विधेयक

175. (1) साधितान के उपर्योगों के अधीन रहते हुए, विविधोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया ऐसे रूप में हो सकती है कि विधेयक सभी वही सेवाएँ जो सामान्यतया विधेयकों के लिए होती हैं।

(2) सभा में विविधोग विधेयक के पुरातनापिता होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष, सभा द्वारा विधेयक के कामगार में अतिरिक्त सभी या किसी प्रक्रम को पूछ करने के लिए संतुक्त रूप से अलंग-अलंग एक या कई दिन नियत कर सकेगा और जब ऐसा विषयता किया जा चुका हो तो अध्यक्ष, व्यवस्थिति, नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन अपराह्न 3.00 बजे या ऐसे समय जैसा वह सभा की अनुमति से उचित समझे उस प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में, जिनके लिए वह या वे दिन विषयता किए गये हों, सभी अवशिष्ट विधेयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

(3) अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, सभी या किसी प्रक्रम पर इसके लिए उप-नियम (2) के अधीन एक या कई दिन नियत

किए गये हैं, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगा।

176. (1) विनयोग विधेयक पर जाद-विवाद लोक महारथ के विधेयक में आने वाले अनुदानों में अलानीहैत प्रशासकीय नीति को ऐसे विधयोग विधेयक पर विधयोग लक्ष सीमित होंगा और यहां से ही उस समय व उठाये जा सकें चर्चा हो जब कि संगत अनुदानों को यांगे विचाराधीन थीं।

(2) अध्यक्ष, जाद-विवाद को दुनियाकि को संकलन को दृष्टि से विनियोग विधेयक पर चर्चा में यांग होने की इच्छुक सदस्यों को उन विशिष्ट विधयों की पूर्व सूचना देने को कह सकेगा जो वे उड़ाना चाहते हों और वह ऐसे विधयों को उठाने के लिए अनुज्ञा रोक सकेगा वही उसकी राय में किसी अनुदान की यांग के संबंध में चर्चा किए गये विधयों की पुनरावृत्ति प्रतीत हों, या जो पर्याप्त लोक महारथ की न हो।

(3) यदि विनयोग विधेयक किसी अतिमान संघ के संबंध में अनुदृष्ट अनुदान को अनुसरण में जो तो चर्चा कोवल उनीं मर्दी तक सीमित होगी विनासे वा अनुदान का हो और जहां तक चर्चाधीन खात्र बद की व्याख्या करने वा उसे स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदान पर वा उससे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।

177. इस बात के होते हैं ये कि कोई दिन विषयम् 166, 167 एवं 175 के अधीन अन्य कार्य के लिए नियत किया जा सका हो, उस दिन सभा द्वारा वह कार्य करने से पहले विधानके लिए वह दिन विषय किया गया हो, विधेयक को पुरुषाधित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किया जा सकेगा और विधेयक को पुरुषाधित किया जा सकेगा।

178. इन विधयों को अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अधिकारिक अध्यक्ष ऐसी ताक शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो समस्त विनीय कार्य को संबंध पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष हो और विधेयतः वह विधिन प्रकार के ऐसे कार्यों की विधाने के लिए समय विषय कर सकेगा और वह इस समय विषय किया जाए तो वह निश्चित समय पर ऐसे ज्ञान या प्रकाश में संबंधित विधान

विनियोग  
विधेयक पर  
चर्चा

कार्य जो  
किसी प्रकार  
वित्तीय कार्य  
के लिए  
नियत दिन  
विषय जा  
एकता हो।

वित्तीय कार्य  
के निपटाने  
के लिए  
समय-सीमा

लिए भास्यम् निचत किया गया हो, तब अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंग।

**व्याख्या:** विशीष्य कार्य में कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित है जिसे अपने संविधान के अन्तर्गत इस बारे का कार्य उठायें।

## अध्याय-21

**राज्यपाल तथा सभा के बीच सम्बाद**

179. राज्यपाल से सभा को सलाह, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर राज्यपाल से  
किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जायेगा, या, यदि  
राज्यपाल सभा को बैठक के स्थान से अदूषित होते हों तो उनका संदेश सम्बाद  
मंत्री के द्वारा अध्यक्ष को भेजा जाएगा।

180. सभा से राज्यपाल को सम्बाद

- |                                                                                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (1) सभा में प्रदर्शित किए जाने और स्वीकृत हो जाने के बाद सभा से<br>अधिकारिक सम्बोधन द्वारा, और | सभा से<br>राज्यपाल को<br>सम्बाद |
| (2) अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा।                                                              |                                 |

### सभा की गोपनीय बैठक

**गोपनीय  
बैठक**

181. (1) सदन नेता द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष कोई दिन या उत्तरांश सभा की गोपनीय बैठक के लिए निश्चित करेगा।

(2) जब सभा की गोपनीय बैठक हो तो किसी बाहरी व्यक्ति को सभा-पत्रक, सभा कक्ष या दीर्घांशों में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती।

परन्तु अध्यक्ष द्वारा प्रार्थित व्यक्ति यात्रा-पत्रक, सभा कक्ष या दीर्घांशों में उपस्थित रह सकते हैं।

**कार्यवाही का  
वृत्तान्त**

182. अध्यक्ष किसी गोपनीय बैठक को कार्यवाही का वृत्तान्त ऐसी रीति से निकलता सकता हो वह दाखिल समझे परन्तु कोई अन्य उपस्थित व्यक्ति गोपनीय बैठक को किसी कार्यवाही या विनियोगमें का, अथवा अध्यक्ष पूर्णतः कोई दिनांकी या अधिलेख वहीं रखेंग और न ऐसी कार्यवाही का वृत्तान्त निकालेंग और न उसके बर्णन की चेष्टा करेगा।

**अन्य प्रकारणों  
में प्रक्रिया**

183. गोपनीय बैठक के संबंध में अन्य यथा प्रकारणों में प्रक्रिया ऐसे निर्देशों के अनुसार होगी जो अध्यक्ष हैं।

**गोपनीयता  
का प्रतिबन्ध  
हटाना**

184. (1) जब यह समझ जाए कि किसी गोपनीय बैठक को कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यकता नहीं रही है तो अध्यक्ष की सम्मति के अधीन रहने तुए सभा नेता या उसके द्वारा प्रार्थित किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि गोपनीय बैठक को दीर्घन में सभा को कार्यवाही को अवगत न समझा जाए।

(2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत प्रस्ताव के सभा द्वारा स्वीकार किए जाने पर संचित गोपनीय बैठक को कार्यवाही का वृत्तान्त हैकर

करताएंगा और उसे, यथासाध्य शोध, ऐसी हव में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित कराकरा जैसा कि अच्छा निर्देश है।

185. नियम 184 के उपर्युक्त के अधीन इसे हुए किसी गोपनीय वैदिक भी बाहेकाही या विपरीतवर्ती का किसी अल्पि द्वारा किसी भी रीति से प्रकट किया जाना सभा/सदन के विशेषाधिकार का खोर भग समझा जाएगा।

कार्यवाही या विनियोग  
का प्रकट  
किया जाना

## अध्याय-23

## विशेषाधिकार

## (क) विशेषाधिकार के प्रश्न

**विशेषाधिकार  
के प्रश्न**

186. इन नियमों के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए कोई भी सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार को उत्पादन से संबंधित प्रश्न उठा सकेगा।

**विशेषाधिकार  
के प्रश्न की  
मूल्यना**

187. जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित मूल्यना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व विस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देंगा। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो मूल्यना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा।

**प्रारूपान्त की  
शर्त**

188. विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नान्कित शर्तों के अधीन होता:-

- (1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे,
- (2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक संबंधित होंगा,
- (3) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित हो,

**प्रश्न उठाने  
की रीति**

189. (1) अध्यक्ष, यदि नियम 186 के अधीन अपनी सम्मति दे और यह नियम दे कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुसूल हो तो यह संबंधित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगा;

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 186 के अधीन अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्तावित

विषय विषयमनुकूल नहीं है तो, यदि वह आवश्यक स्थाने, तरस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और कह सकेगा कि वह सम्भवि देने से इकार करता है या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को विषयमनुकूल नहीं पाता है।

परन्तु यह और भी कि यदि अध्यात्म का विषय की अविलम्बीता के संबंध में समाधान हो जाए तो वह प्रश्नों के विषयाएं जाने के बाद दैटक के दैशव किये भी समय विशेषाधिकार प्रश्न उत्तरये जाने की अनुमति दे सकेगा।

(2) यदि अनुमति दिए जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यात्म उन सदस्यों से, जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेंगा और तदनुसार यदि कम से कम आठ सदस्य खड़े हों तो अध्यात्म सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि इससे कम सदस्य खड़े हों तो अध्यात्म, सदस्य को गुणित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है।

190. यदि नियम 189 के अधीन अनुमति दे दी जाए तो सभा, प्रश्न पर विचार कर सकेगा और विविरचय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य खड़े हों तो अध्यात्म सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि इससे कम सदस्य खड़े हों तो अध्यात्म, सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है।

190. यदि नियम 189 के अधीन अनुमति दे दी जाए तो सभा, प्रश्न पर विचार कर सकेगा और विविरचय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।

191. इन विषयों में किसी बात को होते हुए भी अध्यात्म, कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जाच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा और इसकी सूचना बदलसब्द सभा को दी जावेगी।

192. अध्यात्म, विशेषाधिकार के प्रश्न में या सभा में विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विविधान के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह अवश्यक समझे।

( ३ ) अध्यात्म को सदस्य के बैदीकरण, निरोध आदि  
और रिहाई की सूचना

193. जब कोई सदस्य किसी आपाधिक आरोप या किसी

विशेषाधिकार  
समिति को  
प्रश्न सौंपने  
की अव्यक्ति  
जाता

विशेषाधिकार  
समिति को  
प्रश्न सौंपने  
की अव्यक्ति  
जाती

प्रक्रिया का  
विविधान

विशेषाधिकारी  
द्वारा सदस्य

के बंदीकरण, दण्डायोग के लिए बड़ी किया जाए या उसे किसी नवायाकालय द्वारा कालाकास का दण्डादेश दिया जाए या किसी कार्यपालक आदेश के अन्तर्गत विरुद्ध किया जाए तो, चथारिंशति, इष्ट देने आला नवायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालक प्राधिकारी तृतीय ऐसे तथ्य की सूचना द्वितीय अनुमूलीय में लिए गये समूचित प्रणाल में, यथास्थिति, बंदीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कालाकास का स्थान दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तृतीय अध्यक्ष को देता।

**सदस्य की निराई की अध्यक्ष की सूचना**

194. जब कोई सदस्य बड़ी बनाया जाए और दोषसिद्धि को बह अपील संवित होने तक जमानत पर रिहाई किया जाए या अन्यथा रिहाई किया जाए, तो ऐसे तथ्य की सूचना भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा द्वितीय अनुमूलीय में लिए गये समूचित प्रणाल में अध्यक्ष को दी जायेगी;

परन्तु यदि किसी सदस्य की जमानत पर रिहाई या अपील पर मुक्ति की सूचना सभा को मूल बंदीकरण की सूचना दिए जाने से पहले जारी हो जाए, तो उसके बंदीकरण या उसकी बाद में रिहाई या मुक्ति का तथ्य अध्यक्ष जाने तो सभा को सूचित न भी कर सकेगा।

(ग) सभा के परिसर में बंदीकरण और वैध आवेशों के निर्वहन के बारे में प्रक्रिया

**सभा के परिसर में बंदीकरण**

195. सभा के परिसर में अध्यक्ष की अनुज्ञा/आज्ञा प्राप्त किए जितना कोई बंदीकरण नहीं किया जायेगा।

**वैध आवेश का निर्वहन**

196. सभा के परिसर में, अध्यक्ष की अनुज्ञा/आज्ञा प्राप्त किए जितना किसी सिविल अध्यक्ष आपराधिक वैध आदेश का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

अध्याय-24

## सभा समितियाँ

सभानाम नियम

197. इस अध्याय में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, सभा समिति "समिति" का जात्यर्थ और उसके अन्तर्गत है नियम 2 के वर्णनमय  
(1) में वर्णित "सभा समिति"।

198. (1) समिति के सदस्य, यथास्थिति प्रस्ताव किए जाने पर सभा द्वारा नियुक्त या नियोजित अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा भाग-नियोजित किए जायेंगे।

199. नियम 72 के अधीन गठित प्रवार समिति या ऐसी समिति को छोड़कर, जिसके लिए पदावधि स्पष्ट रूप से विहित की गई हो, प्रत्येक सभा-समिति के सदस्यों को पदावधि समिति के गठन की तिथि से एक बर्ष या अध्यक्ष के आदेश से नयी समिति के गठन तक की होगी।

200. कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित आवेदन पढ़ द्वारा समिति से अपने स्थान का त्वाग कर सकेंगे।

परन्तु समिति के सदस्य के रूप में पदाधीन, ऐसा कोई सदस्य जो सभा का सदस्य न हो अथवा सभा में उसका स्थान रिक्त हो जाये तो ऐसी समिति में उसकी सदस्यता स्वतंत्र समाप्त हो जायेगी।

201. (1) समिति का सभापति, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही समिति का सभापति नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो

तो अध्यक्ष उसके स्वाम पर अन्य सभापति नियुक्त कर सकेगा।

(3) यदि सभापति किसी बैठक से अनुचित हो तो सभिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के लिए सभापति का कार्रव करने के लिए चुनेगी।

#### गणपूर्ति

202. (1) किसी सभिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति सभिति के सदस्यों की कूल संख्या की, यथासंघ निकट, एक-तिहाई होगी।

(2) यदि सभिति की किसी बैठक के लिए नियत समय पर वा यदि बैठक के दौरान में किसी समय पर गणपूर्ति न हो, तो सभिति का सभापति वा तो उस बैठक को गणपूर्ति होने तक नियत रखेगा वा उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर देगा।

(3) जब उपनियम (2) के अनुसरण में सभिति की बैठकों के लिए नियित की गई लागतार दो तिथियों की सभिति द्वारा स्थगित की जा चुकी हो, तो सभापति ऐसे स्थगन के तथ्य की सूचना सभा को देगा:

परन्तु जब सभिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो, तो सभापति ऐसे स्थगन के तथ्य की सूचना अध्यक्ष को देगा।

#### सभिति की बैठक

203. (1) सभिति को बैठकों ऐसे दिन और ऐसे समय पर होगी, जो सभिति का सभापति नियत करे :

परन्तु यदि सभिति का सभापति तत्काल न मिल सके तो बैठक को तिथि और समय सचिव नियत कर सकेगा।

(2) अन्यथा उपर्युक्त के अंतर्गत सभिति की बैठकों गोपनीय होंगी।

#### सभिति में सत्रावान

204. (1) सभिति की किसी बैठक में सभी प्रश्नों का विस्तृत उपर्युक्त तथा मत देने वाले सदस्यों को शहूमत से किया जाएगा।

(2) किसी विषय पर मत समता की अवस्था में सभापति अथवा

ऐसा कार्य करने वाला अधिक द्वितीय अथवा निर्णयक मत दे सकेगा।

205. (1) समिति किसी ऐसे विषयों को जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं, जांच करने के लिए एक या अधिक उप समितियां नियुक्त कर सकतीं, जिनमें से प्राप्तक को अधिकार समिति की गतियां प्राप्त होंगी और ऐसी समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझ जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जाएं।

(2) उप समिति को निर्देश करने वाले आदेश में अनुबंधन के विषय पर विषयों का स्पष्टताका उल्लेख किया जायेगा। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

206. जिस समय सभा की बैठक हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकतीं परन्तु सभा में विचारन की मांग किए जाने पर समिति का समाप्ति समिति की कार्यवाही ऐसे समय के लिए विलम्बित कर देगा विलम्ब के भीतर उसको रात में सदस्य विभाजन में मत दे सकते हैं।

207. समिति की बैठकों साधारणतया विधान सभा भवन के परिसर में हो होंगी किन्तु अध्यक्ष, समिति की बैठक के लिए कोई अन्य स्थान भी नियत कर सकेगा।

208. (1) कोई साक्षी संघिय के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहुत किया जा सकता और वह ऐसे दस्तावेज पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिए आवश्यक हों।

(2) यह समिति के संघियों पर निपट होगा कि उसके सामने दिए गए किसी साक्ष को वह गोपनीय समझे।

(3) समिति को प्रलूब हिया गया कोई भी दस्तावेज समिति के सामने और अनुमोदन को बिना न तो वापस लिया जायेगा और न उसमें कोई परिवर्तन किया जायेगा।

209. समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा उन्हें और अधिकारों को मांगने की शक्ति होगी:

उप-  
समितियाँ  
नियुक्त करने  
की शक्ति

सभा की  
बैठक के  
अन्य समिति  
की बैठक  
होना  
बैठकों का  
स्थान

साक्ष्य लेने  
अथवा पत्रों,  
अधिलेखों  
या दस्तावेजों  
को मांगने  
की शक्ति

व्यक्ति को बुलाने  
तथा उन्हें  
अधिकारों को सामने  
की शक्ति

परन्तु यदि कोई साक्षी किसी दस्तावेज़ को पेश करने के बारे में आवाहन करे तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विविधतय अंतिम होगा:

परन्तु यह और भी कि यद्यकार किसी दस्तावेज़ को पेश करने से इस आधार पर इकाई कर सकती कि उसका प्रकट किया जाना चाहिए की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा।

**साक्षियों की जांच के लिए प्रक्रिया**

210. समिति के सामने साक्षियों भी जांच निम्न प्रकार से की जाएगी:-

(1) समिति किसी साक्षी को जांच के लिए बुलाए जाने के पूर्व वह विविधत करेगी कि प्रक्रिया की रीति क्या होगी तथा साक्षी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

(2) समिति का समाप्ति इस नियम के बाण्ड (एक) में अंतिमिति प्रक्रिया की रीति के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगा जो वह विचाराधीन विषय या तत्वावधी किसी विषय के संबंध में आवश्यक सामग्री।

(3) समाप्ति एक-एक करके समिति के अन्य सदस्यों से कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिए काह सकता।

(4) साक्षी से समिति के सामने ऐसी अन्य संगत वाते रखने के लिए कहा जा सकता जो पहले न आ चुकी हो और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

**समिति की बैठक के दौरान समिति से इतर**

**सदस्यों की उपस्थिति**

211. जो बदल्य समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति की अनुत्तर से समिति के पर्यालोचन के दौरा उपस्थित रह सकते किन्तु न तो वे समिति को संबोधित कर सकते और समिति के सदस्यों को मध्य बैठ सकते।

परन्तु कोई भी, सभापति की अनुत्तर से समिति को संबोधित कर सकता जिसका यह सदस्य न भी हो।

**पटल पर रखे जाने या**

212. (1) समिति की समाप्त कार्यवाहियाँ और प्रतिवेदन गोपनीय होने और कोई भी व्यक्ति उन्हें तष्ठ तक प्रकट न करेगा या अन्यथा प्रकाशित न करेगा जब तक कि वे पटल पर न रखे दिए जाएं या

विषय 217 के अधीन अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रकाशित न कर दिए जाएँ:

(2) समिति निर्देश दे सकते हैं कि सम्पूर्ण सामग्री या उम्मीद कोई अंश या उम्मीद का विभाग पर रखा जाएँ,

(3) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्राधिकार के बिना वैधिक या लिखित सामग्री के किसी अंश का अध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन या उम्मीद कार्यबाही का, जो पठल पर या रखी गई हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा।

213. समिति यदि ठीक समझे, किसी दैसे विषय पर विशेष प्रतिवेदन दे सकते हैं जो उसके बारे के दौरान डायन हो या प्रकाश में आये और जिसे वह अध्यक्ष या सभा के संज्ञान में लाना आवश्यक समझे, इस बारे के होते हुए भी कि ऐसा विषय समिति के निर्दिष्ट विषय से प्रत्यक्षतया संबंधित नहीं है या उनके पांच बहार नहीं आता है या उससे अनुपर्याप्त नहीं है।

214. (1) जब सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए कोई समय निश्चित न किया हो, तो प्रतिवेदन उस तिथि के तीन मास के भीतर उपस्थापित किया जायेगा जिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था।

परन्तु सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर निर्देश दे सकते हैं कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय, प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाए।

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारंभिक हो सकते हैं या अंतिम।

(3) समिति के प्रतिवेदन पर समिति को और से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हो या लालकाल न मिल सके तो समिति को और से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति किसी अन्य सदस्य को चुन लेगी।

215. समिति यदि वह ठीक समझे अपने प्रतिवेदन के किसी पूरे घण्टे को सभा में उपस्थिति करने से पहले सरकार को उपलब्ध कराएँ।

प्रकाशित होने से पूर्व  
कार्यवाहियों  
और प्रतिवेदन का  
गोपनीय होना

विशेष प्रतिवेदन

उपस्थापन के पहले प्रतिवेदन का

सरकार को  
उपलब्ध  
किया जाना  
प्रतिवेदन का  
उपस्थापन

प्रतिवेदन के  
उपस्थापन के  
पूर्व भुदण,  
प्रकाशन या  
परिचालन

प्रक्रिया पर  
सुनाव देने  
की शक्ति

विस्तृत नियम  
बनाने की  
शक्ति

अध्यक्ष की  
नियंत्रण देने की  
शक्ति

करा सकेगी, ऐसा प्रतिवेदन बह तक कि वह सभा में उपस्थापित न  
कर दिया जाए तो प्रतीय समझ जायेगा।

216. (1) समिति का प्रतिवेदन सभा में सचापति द्वारा या उसकी  
अनुपरिचित में समिति को किसी अन्य सदस्य द्वारा उपस्थापित किया  
जायेगा या सभा के सब में रहने पर अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित  
किया जाएगा।

(2) प्रतिवेदन उपस्थापित करते समय सचापति या उसकी  
अनुपरिचित में, प्रतिवेदन उपस्थापित करने वाला सदस्य यदि कोई बात  
करे तो वह अपने आपको संक्षिप्त तथ्य बताने तक ही समिति रखेंगा,  
किन्तु उस कठबन पर कोई काट-विवाद नहीं होगा।

217. अध्यक्ष, प्रार्थना किए जाने पर और जब सभा सब में य  
हो तो किसी समिति के प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन  
का आदेश दे सकेगा, चाहे वह सभा में उपस्थापित न किया गया  
हो। उस अवस्था में प्रतिवेदन सभा में उसके अगामी सब के दौरान  
प्रथम सुनिश्चालनके अवसर पर उपस्थापित किया जायेगा।

218. किसी समिति को उस समिति से संबंधित प्रक्रिया के  
विषयों पर अध्यक्ष के विचारार्थ संकल्प चालित करने की शक्ति होगी  
और अध्यक्ष प्रक्रिया में ऐसे चरितार्थ कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक  
मानते।

219. कोई समिति, अध्यक्ष के अनुमोदन से इस अध्यक्ष के  
नियमों में निहित उपस्थिती को पूछ करने के लिए, विस्तृत प्रक्रिया के  
नियम बना सकती है।

220. (1) अध्यक्ष, समय-समय पर समिति के सचापति को  
ऐसे निर्देश दे सकेगा जिन्हें वह उसकी प्रक्रिया के विनियमन तथा  
उसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक मानते।

(2) यदि किसी प्रक्रिया प्रश्न पर या अन्य प्रकार का कोई  
मद्दह उत्पन्न हो, तो सचापति, यदि वह ठीक समझे, उस प्रश्न को  
अध्यक्ष के नियमार्थ अत्यासरित कर सकेगा विस्तर के विनियम अंतिम  
होगा।

221. कोई समिति जो अपना कार्यकाल शुरू होने से पहले अपना कार्य पूरा न कर सके, सभा को सुनित कर सकेगी कि समिति अपना काम पूरा नहीं कर सकती है, कोई प्रारंभिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साहस्र जो समिति ने लिया हो, वह समिति को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

222. किसी समिति के समृद्ध लम्बित कोई कार्य के बाल सभा के सञ्चालन के कारण व्यपत नहीं होगा और इस प्रकार सञ्चालन होने पर भी समिति कार्य करती रहेगी।

223. (i) इस अध्याय में वर्णित समितियों के अधिरिक अध्यक्ष समय-समय पर, आवश्यकतानुसार या सभा की सहमति से विशेष समिति किसी विशिष्ट विषय को जीवं तंतु नियुक्त कर सकते।

(ii) उन विषयों को छोड़कर जिनके लिए किसी विशेष समिति से संबंधित विषयों में विशेष उपचर रखा गया हो, इस अध्याय के समय-समय विषय सभी समितियों पर लागू होंगे और यदि जहाँ तक किसी समिति से संबंधित विशिष्ट विषयों का कोई उपचर ऐसे सामान्य विषयों से असंगत हो तो विशिष्ट विषय लागू होंगे।

#### कार्य घोषणा समिति

224. (1) यथास्थिति, सभा के प्रारंभ पर या समय-समय पर, समिति का अध्यक्ष कार्य घोषणा समिति नामक एक समिति नाम-निर्देशित कर सकता है जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर, जो समिति का सभापति होगा, सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित समिति एक सब तक अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नियत रिहित तक पदभारण करेगी।

(3) यदि अध्यक्ष किसी कारणावश समिति जो विशेष बैठक में वीठात्तीन होने में असमर्थ हो, तो वह उस बैठक के लिए सभापति नाम-निर्दिष्ट करेगा।

225. (1) समिति का यह कार्य होगा कि वह ऐसे सरकारी विधेयों के प्रबल या प्रक्रमों तथा अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय के बटवारे जो सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सभा नेता के परामर्श से

समितियों का  
असम्पाद  
कार्य

लम्बित कार्य  
सभा के  
सञ्चालन  
पर व्यपत  
नहीं होगा  
समान्य  
विषयों का  
समितियों पर

समिति के  
कार्य

समिति को भी जाने का निरेश है।

(2) समिति को प्रस्तावित समय-सूची में यह भी दर्शाने की गयी होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य ग्रामकोष कार्य क्रिया-क्रिया समय पूरे होंगे।

(3) समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे भी जारी करें।

**समिति का प्रतिवेदन**

226. विधेयक या विधेयकों के समूह तथा अन्य सरकारी कार्य को भारे में समिति द्वारा तद की गई समय-सूची अध्यक्ष द्वारा सभा को सुचित कर दी जायेगी और पत्रक में अधिसूचित कर दी जाएगी।

**समय को बैठवारे का आदेश**

227.(1) सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद कोई भी सदस्य समय-सूची के सम्बन्धिकरण हेतु प्रश्न पूछ सकेगा।

(2) अधिकारियों का सुझावों पर विचार करने के बाद अध्यक्ष ऐसे छोटे-मोटे परिवर्तन करके दिल्ली वह आवश्यक समझौते, सोचित कर राखेगा कि समय-सूची का अनुसारण किया जायेगा अथवा विकल्प में, वह समय को बैठवारे को आदेश के स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समिति के किसी सदस्य को नाम-निर्दिष्ट कर राखेगा।

(3) जब उपनियम (2) के अधीन कोई सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया जाए तब ऐसा सदस्य इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा कि वह सभा अधिक-अमुक विधेयक या विधेयकों या अन्य सरकारी कार्य को भारे में समिति द्वारा प्रस्तावित समय को बैठवारे को स्वीकार करायी है और यदि ऐसा प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, तो वह इस प्रकार अभावी होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो।

परन्तु वह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो विना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को बाप्स भेज दिया जाये।

(4) इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव पर 30 मिनट से अधिक समय तक बच्चे नहीं होंगे और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर 5 मिनट से अधिक नहीं बोलता।

228. अध्यक्ष, विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम को पूछ करते निश्चित  
के हित समय के बैटचर के अद्देश के अनुसार निहिता समय पर विध  
यह के उस प्रक्रम के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के अवशिष्ट  
लिए प्रत्येक आवश्यक प्रवन तुरंत रखेगा। विषयों का  
निपटारा

#### याचिका समिति

229. याचिका समिति, सभा के प्रबंध पर या समझ-समय पर, अध्यक्ष समिति का  
एक याचिका समिति नाम-निर्देशन करेगा, जिसमें पौंछ से अधिक गठन  
सदस्य नहीं होगे:

परन्तु किसी भी को समिति का सदस्य नाम-निर्देशन नहीं  
किया जायेगा और यदि कोई सदस्य याचिका में नाम-निर्देशन के प्रबंध,  
भी नियुक्त हो जाये, तो वह ऐसी नियुक्ति की लिखि से समिति का  
सदस्य नहीं रहेगा।

230. (1) समिति, उस सभी गई प्रत्येक याचिका की जाँच  
करेगी और यदि याचिका में इन विषयों का लालन किया गया हो, तो समिति निर्देश दे सकती है कि उसे परिचालित किया जाये। यदि याचिका  
के परिचालित किए जाने का निर्देश न दिया गया हो तो अध्यक्ष किसी  
भी समय निर्देश दे सकता है कि याचिका को परिचालित किया जाये।

(2) याचिका समितिर अध्यक्ष संविधान रूप में परिचालित की  
जायेगा। जैसा कि, याचिका समिति या अध्यक्ष निर्देश दे।

(3) समिति का यह भी कठिन होगा कि वह ऐसा सालन ज्ञान  
काले के बार, जैसा कि वह ठीक समझे, उस सभी गई याचिका में  
की गई विशिष्ट शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करे और  
विचारणीन यामल से संबंधित लेस रूप में वा भविष्य में ऐसे यामल  
होकरे के लिए, प्रतिकारक उपायों का सुझाव दे।

#### प्रत्यायुक्त विधान समिति

231. (1) समिति में पौंछ से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष समिति का  
द्वारा नाम-निर्देशित किए जायेंगे। गठन

परन्तु कोई भवीत समिति का सदस्य नाम-निर्देशन नहीं किया जाएगा और वह कोई सदस्य, समिति के लिए नाम-निर्देशन के पश्चात् भवीत नियुक्त किया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति को लिखि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों को पदाधिक एक वर्ष की या नयी समिति के गठन तक होनी।

#### समिति के कृत्य

232. प्रत्यक्षक विभाजन समिति इस बात की जान-शील करने और सदन को प्रतिवेदन करने के लिए होगी कि क्या विधिवाल द्वारा प्रदत्त या सभा द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उचिनियम, उपचारित आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अंतर्गत विधित रूप से किया जा रहा है।

#### आदेशों का संख्यांकन और प्रकाशन

233. संविधान के उपर्युक्त या विधानसभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुमरण में बनाये गये प्रत्येक विनियम, नियम, उचिनियम, उपचारित आदि विभाजन को सभा द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उचिनियम, उपचारित आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अंतर्गत विधित रूप से किया जा रहा है।

#### आदेशों की जांच

234. नियम 233 में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसे आदेश के सभा के समक्ष रखे जाने के बाद, समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि:

(1) वह संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देशों को अनुकूल है या नहीं विभाजन के अनुमरण में वह बनाया गया है,

(2) उसमें ऐसे विषय अंतरिक्ष हैं या जहीं विभाजन को अधिक समृद्धि द्वारा से विभाजन के लिए समिति की राप में विधानसभा से अधिनियम पारित होना चाहिए,

(3) उसमें कोई करारोगण अंतरिक्ष है या नहीं,

(4) उसमें नामालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप

से लकावट होती है या नहीं।

(5) वह उन उपचरों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नहीं जिनके संबंध में संविधान या अधिनियम समष्टि रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रशान नहीं करता,

(6) उसमें गम्य की सीधिता निविदा या लोक गान्धीन में से व्यय अंतर्भूत है या नहीं।

(7) उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सीधितों का असामान्य अवका आप्रत्यापित उपचार किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है।

(8) उसके प्रकाशन में या विधानसभा के समान रूप जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं, और

(9) किसी कारण से उसके रूप या अधिनियम के लिए किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है या नहीं।

235. (1) यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संलोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसके कारण सभा को प्रतिवेदित करेगी।

(2) यदि समिति की राय हो कि किन्हीं आदेशों से संबंधित कोई अन्य विषय सभा के व्यव में साया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा विषय सभा को प्रतिवेदित कर सकती।

236. अध्यक्ष, समिति में या सभा में प्रत्यक्षगृह विभाग के किसी प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया में विनियमन के लिए ऐसे निरेश दे सकता जो वह आवश्यक समझे।

#### लोक लेखा समिति

समिति का गठन  
अध्यक्ष की विवेश देने की शक्ति

237. (1) नियम 238 के उपनियम (2) के अधीन समिति को दीर्घे गये कृतियों के संपादन के लिए लोक लेखा समिति आवक, समिति का गठन किया जायेगा।

(2) सरकार की व्यवस्था पूर्ति को लिए सभा द्वारा अनुदत गणितों के विविध लेखों, विश्व लेखों और विधानसभा के समक्ष रखे गये ऐसे अन्य लेखों का, समिति चारि उचित समझौते, परीक्षण करता समिति का कृत्य होगा।

(3) समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जो सभा द्वारा कुल सदस्यों में से अनुपालिक प्रतिनिधित्व के मिलान के अनुसार एकल संकलनीय मत द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे;

परन्तु कोई भी समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद उसी नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति को तिप्पि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(4) समिति को सदस्यों की पदाधिक उस वित्तीय वर्ष की होगी जिसके लिए वह गठित की गई हो या एक वर्ष या नवी समिति का गठन किये जाने तक होगी।

#### समिति का नियंत्रण एवं कर्तव्य

238. (1) शासन के विविध लेखों, विश्व लेखों और उन पर नियंत्रण हेतु महालोका-परीक्षक के प्रतिवेदन की छान-बीन करती समय समिति का वह कर्तव्य होगा कि वह अपना सम्बाधन कर से कि-

(क) लेखों में व्यवस्था के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत् उपलब्ध और लगावे जाने योग्य द्वा, जिसमें वह लगाया गया है या खुर्च किया गया है अथवा पारित किया गया है,

(ख) व्यवस्था उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके अधीन वह किया गया है, और

(ग) प्राप्ति पुनर्विनियोजन, विविधों अधिविषय के अधीन प्राप्ति कार्य के लिए अनुदत गणि के चीतर ही और सकाम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही किया गया है।

(2) लोक लेखा समिति का कर्तव्य होगा-

(क) ऐसे व्यापारिक, निर्माण संबंधी उच्च लाभ और हानि के

लेखों और अध्ययनक विद्युतों की जाँच करना, जिन्हें रैपर करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को जाँच करना, और

(४) उन भाग्यवानों में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना विनके संबंध में राज्यपाल ने उससे अध्ययन का लेखा-परीक्षण करने की या बद्दारों और स्कॉल्स के लेखों को जाँच करने की अपेक्षा की हो।

(५) यदि किसी वित्तीय वर्ष के सौरात किसी सेवा पर उसके प्रबोजन को लिए सभा द्वारा अनुदान राशि से अधिक भन व्यय किया गया हो, तो समिति प्रत्येक भाग्यवाने के तथ्यों के संबंध में उन परिस्थितियों की जाँच करेगी विनके कारण अधिक व्यय हुआ हो और ऐसी विस्तारीय कारोगी जो वह ठीक समझे।

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपकरणों के संबंध में, जो सरकारी उपकरणों संबंधी समिति को इन नियमों द्वारा अध्ययन अध्यक्ष द्वारा सीधे गये हों अपने कल्याण का निर्वहन नहीं करेगी।

#### प्राक्कलन समिति

239. (१) प्राक्कलन समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे जो सभा द्वारा कुल सदस्यों में से आनुशासिक प्रतिनिधित्व के लिद्दान के अनुसार एकल संक्रमणीय भल द्वारा नियांचित किए जायेंगे।

परन्तु कोई भी समिति का सदस्य नियांचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति को लिए नियांचित होने के बाद, उसी नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति जो तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(२) समिति के सदस्यों की पदाधिक उस वित्तीय वर्ष की होगी विनके लिए वह गठित की गई हो या एक वर्ष की या वह समिति के गठन तक होगी।

240. (१) समिति ऐसे प्राक्कलनों को परोक्ष करेगी जो समिति को ठीक प्रतीत हो या जो उसे सभा अधिकार अध्यक्ष द्वारा नियांचित रूप से निर्विट किए जायें, समिति को नियांचित कृत्य भी होगे।

(क) प्राक्कलनों से संबंधित, नीति से मंगत या मिलावटित, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस संबंध में प्रतिवेदन करना,

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मिलावटित साथे के लिए वैकल्पिक रीतियों का सुझाव देना,

(ग) प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन शीक ढंग से लगाना गया है या नहीं, इसकी जाँच करना, तथा

(घ) प्राक्कलन किस रूप में विधानसभा में उपरिचित किए जायेंगे, उसका सुझाव देना;

परन्तु समिति ऐसे सारकारी उपकरणों के संबंध में, जो सारकारी उपकरणों संबंधी समिति वही इन विषयों द्वारा अधिक अधिक द्वारा सीधे गये हों, अपने कृत्यों का विवरण नहीं करेगी।

(2) समिति प्राक्कलनों की जाँच विशेष वर्ष तक समय-समय पर जारी रख सकती और ऐसे-ऐसे वह जाँच करती जाए वैसे-वैसे सभा को प्रतिबंधित कर सकती। समिति के लिए यह अधिकारी न होगा कि वह किसी एक वर्ष के समान प्राक्कलनों की जाँच करे, इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है, अनुषारणों की मांग पर अद्यित रूप में यतदान नहीं सकेगा।

#### सरकारी उपकरणों संबंधी समिति

##### समिति का गठन

241. (1) सारकारी उपकरणों के कार्य संचालन की जाँच करने के लिए एक सारकारी उपकरणों संबंधी समिति होगी। समिति में सत्र से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए उसके सदस्यों में से अनुचालिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्षमणीय पत द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे;

परन्तु कोई नज़ीर समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद उसी विषुक किया जाये तो वह ऐसे विषुक की लिमि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों का पदाधिक एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:

242. समिति में निम्नलिखित कृत्य होंगे:

समिति के कृत्य

(क) सरकारी उपकरणों के प्रतिबंदनों और लेखों की जांच करना,

(ख) सरकारी उपकरणों के विषय में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक/महालेखापाल के प्रतिबंदनों को, यदि कोई हो, जांच करना,

(ग) सरकारी उपकरणों की स्वायतता और कार्यकुरुता के, संघर्ष में, यह जांच करना कि क्या सरकारी उपकरणों के कार्य समुचित व्यापार विद्वानों और विशेषज्ञ वाणिज्यिक प्रकारों के अनुकूल चल रहे हैं, और

(घ) सरकारी उपकरणों के संवध में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कृत्यों का निवेदन करना जो उपर्युक्त तथा (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत न आते हों और जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जायें।

एन्ड समिति निम्नलिखित में से किसी के बारे में भी जांच और छानबीन नहीं करेगी, अर्थात् -

(1) प्रमुख सरकारी नीति संबंधी घासले, जो सरकारी उपकरणों के व्यापार अथवा वाणिज्यिक कृत्यों से जिन हैं,

(2) दिन-प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी घासले, और

(3) ऐसे घासले जिन पर विचार के लिए उस विवेष यांत्रिकी में अवक्षला की गई है, जिसके अंतर्गत कोई सरकारी उपकरण विशेष स्थापित किया गया है।

#### सरकारी आश्वासन समिति

243. घरियों द्वारा सभा के अन्दर समय-समय पर दिए गये समिति का आश्वासनों, प्रतिज्ञानों, वचनों आदि भी छान-बीन करने के लिए और गठन

निम्नलिखित बातें पर प्रतिवेदन करने के लिए सरकारी आशासन समिति होंगी, जिसमें अधिक से अधिक चौथे सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जायेंगे; समिति का कार्यकाल एक बर्ष या उसी समिति के गठन तक होगा।

परन्तु किसी भी के समिति का सदस्य, नाम-निर्देश नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य, समिति में नाम-निर्देशन के पश्चात् उसी नियुक्त हो जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**समिति के कार्य**

244. (1) समिति के विभागित कार्य होंगे-

(क) ऐसे आशासनों का कहाँ तक भरियालन किया गया है,

(ख) जहाँ परिषल किया गया हो तो ऐसा परिषलन उस प्रयोग के लिए आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं।

(2) एक सत्र में सदस्य पटल पर सरकार द्वारा दिए गए आशासनों पर कार्यवाही प्रतिवेदन सभा के आगामी सत्र में सरकार द्वारा सभा में उपस्थिति किया जायेगा और समिति इसको भी जैव करेगी।

**विशेषाधिकार समिति**

**समिति का गठन**

245. (1) व्यापकता, सभा के प्रारंभ पर या समय-समय पर अधस्त एक विशेषाधिकार समिति नाम-निर्देशित करेगा, जिसमें चौथे से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित समिति तब तक पदधारण करेगी तब तक कि उसी समिति का नाम-निर्देशन नहीं हो जाता है।

**समिति के कार्य**

246. (1) समिति उसे सौंचे गये प्रत्येक प्रश्न की जैव करेगी और प्रत्येक मामले में तथ्यों के अनुसार यह नियांत्रित करेगी कि किस पदधारण का था और अंतिमत है या नहीं और यदि है तो किस स्वरूप का है और किस परिस्थितियों में हुआ है और ऐसी सिफारिशें करेगी जो यह तीक समझे।

(2) उपर्युक्तम् (1) के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए, प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि समिति द्वारा कोई गई सिफारिशों को कार्यान्वयन करने में विस्त प्रक्रिया का सभा अनुसरण करें।

247. (1) विशेषाधिकार समिति को विशेषाधिकार वा प्रश्न सौंपे जाने के बाद समिति की बैठकें, व्यवालीप्र, समय-समय पर होंगी तथा समिति सभा द्वारा विषय किए गये समय के भीतर प्रतिवेदन देंगी:

परन्तु जब सभा में प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जानेगा तिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था:

परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर निर्देश दे सकती कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक समय बहु दिया जाये।

(2) प्रतिवेदन या तो द्वाराधिक हो सकेंगे या अतिम्।

(3) यदि कोई सदस्य, किसी विषय पर अपनी विभृत टिप्पणी अधिसूचित करना चाहे तो वह उतने समय के भीतर विभृत की अनुमति सम्भालते हो ऐपना टिप्पण प्रस्तुत कर सकेगा।

248. प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद व्यवालीप्र सभापति वा समिति को किसी सदस्य के नाम प्रस्ताव रखा जानेगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

249. कोई सदस्य नियम 248 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन चर विचार करके प्रस्ताव में संशोधन की सूचना ऐसे प्रयत्न पर दे सकेगा जिसे अभ्यास उपयुक्त समझे।

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि यह प्राप्त या तो परिसीमा के बिना या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को पुनः सौंपा जाए।

## नियम समिति

समिति का  
गठन एवं  
कार्य

250. (1) सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार करने और इन नियमों में ऐसे संशोधनों तथा परिवर्तनों को सिफारिश करने के लिए, जो अधिकारक समझे जाएं, एक नियम समिति होगी।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित को जाएगी और उसमें सत से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष, समिति का पदेन सचावित होगा तथा विधि विभाग का प्रभारी भी, समिति का पदेन सदस्य होगा।

(3) समिति को सिफारिश पटल पर रखी जायेगी और जिस दिन वे इस तह तक जाये उससे आरंभ होकर सत दिनों बीच कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकेगा।

(4) समिति को सिफारिशों में किसी सदस्य द्वारा दी गई किसी संशोधन की सूचना समिति को निर्विद्ध होगी, जो उस पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी जो उसका समझे। सदस्यों द्वारा सुझाए गये संशोधनों पर विचार करने के प्रारंभ समिति का अंतिम प्रतिवेदन पटल पर रख दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति के किसी सदस्य द्वारा किए गये प्रस्ताव पर प्रतिवेदन से सभा के सहमत हो जाने पर नियमों के संशोधन, सभा द्वारा अनुमोदित किए गये रूप में, अध्यक्ष द्वारा पत्रक में प्रकाशित कर दिए जायेंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

परन्तु यदि ऐसे संशोधन की सूचना साल दिन के भीतर नहीं दी गई हो, तो समिति की सभा द्वारा अनुमोदित को गई समझी जायेगी।

(5) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, नियमों के संशोधन पत्रक में प्रकाशित होने पर प्रवृत्त होंगे।

## आवास समिति

समिति का  
गठन एवं  
कार्य

251. अध्यक्ष, सदस्यों की सुविधा एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में सम्पादन के उपाय सुझाने एवं मंत्रण देने

को निमित्त समय-समय पर एक अलावा समिति का गठन कर सकेगा। इसमें सभापति सहित अध्यक्ष द्वारा मोरोनीत अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे। समिति को पदावधि एक वर्ष तक या नवी समिति के गठन होने तक जी होगी। समिति द्वारा की गई अनुशासनाओं, सिफारिशों पर अध्यक्ष का विविहत्य अधिक होगा।

#### पुस्तकालय समिति

252. अध्यक्ष, एक पुस्तकालय समिति का नाम-निर्देशन करें। समिति का गठन एवं कृत्य  
इसमें उतने सदस्य होंगे कि अध्यक्ष अध्यक्ष राष्ट्रपति यह समिति  
विधान सभा की पुस्तकालय सम्बन्धी विषयों पर अध्यक्ष को परामर्श  
देंगे। समिति को पदावधि एक वर्ष की अवधि नवी समिति के  
नाम-निर्देशन होने तक की अवधि के लिए होगी।

#### प्रश्न एवं ध्यानाकरण समिति

253. (1) विधान सभा के प्रथेक वर्ष के आरंभ में अध्यक्ष समिति का  
समय-समय पर, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, एक प्रश्न एवं गठन  
ध्यानाकरण समिति का गठन करेंगा, जिसका कार्य-काल एक वर्ष  
का या नवी समिति का गठन होने तक होगा;

(2) समिति में अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे जो अध्यक्ष  
द्वारा नाम-निर्देशन किए जायेंगे;

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम-निर्देशन नहीं किया  
जायेगा और चार कोई सदस्य समिति के लिए नाम-निर्देशन के प्रबालू  
मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का  
सदस्य नहीं रहेगा।

254. समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:- समिति का  
कृत्य

(1) किसी तारीकत, अलाराकित, अल्प-मूलित जून तथा  
ध्यानाकरण सूचना का उत्तर प्रदान अवसर दिए जाने पर भी साकार  
की ओर से समय से प्राप्त नहीं प्रतीत हो अथवा प्राप्त उत्तर अध्यक्ष  
को समाधान कारक नहीं हो और अध्यक्ष, ऐसा करना उचित समझे,  
तो वह उस प्रकार जो प्रश्न एवं ध्यानाकरण समिति को संरक्षित कर  
सकेगा।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त सदन से संबंधित यह अन्य कोई प्रकारण, जो नियमों के अंतर्गत किसी अन्य समिति के लेखाधिकार में न आता हो, अध्यक्ष द्वारा उक्त समिति को विचार हेतु संदर्भित किया जा सकेगा।

#### जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति

समिति का  
गठन

255. (1) सदन की एक जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति होगी, जिसमें समाप्ति समिति चाच से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जायेंगे;

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य समिति के नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए या वर्षीय समिति के गठन होने के पूर्व तक की अवधि के लिए होगी।

समिति के  
कृत्य

256. (1) जिला परिषद् एवं पंचायती राज संबंधी राज सरकार के कार्यों की तथा जिला परिषद् एवं पंचायती राज संबंधी विधि एवं नियमों की समीक्षा एवं अनुशासा,

(2) जिला परिषद् के अंतर्गत आने वाले जिलों में विकित्ता, शिक्षा, राफ़ाइ, पर्यावरण, यातायत आदि कार्यों की समीक्षा तथा उत्तराधीन सुनाव,

(3) समिति का यह भी कार्य होगा कि ग्रामों में कृषि एवं पर्याप्तालन को जागृतिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने तथा पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें सुधार का एन्य सरकार के कार्यों पर समीक्षा एवं सुधार की अनुशासा करे।

(4) समिति जिला परिषद् एवं पंचायती राज से संबंधित ऐसे विषयों की जांच करेगी तथा प्रतिवेदन देगी, जो सभा या अध्यक्ष द्वारा उसे भीपा जाये।

समिति का  
गठन

#### पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति

257. जिलान सभा की एक पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी जिसमें अध्यक्ष द्वारा अधिक से अधिक पाँच सदस्य नाम-निर्देशित

किए जायेंगे। समिति का कार्यकाल एक वर्ष अध्या नवी समिति के गठन होने के पूर्व तक की अवधि के लिए होंगी।

258. समिति गुरुव में पर्यावरण की रक्षा के संबंध में उच्च सरकार द्वारा किए जा रहे क्रिया-कारणों की समीक्षा करेंगी।

समिति के कार्य

#### अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति

259. सदन की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति होगी, जिसमें अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे जिनमें अध्या द्वारा नाम-निर्देशित किया जायेगा। समिति जो पदावधि एक वर्ष की होगी या नवी समिति के गठन होने के पूर्व तक की अवधि के लिए होगी।

260. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में भारत के स्विधान एवं उच्च सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों विषयों परिवर्तनों तथा नियंत्रित किए गये परिपत्रों, आदेशों एवं निर्देशों आदि के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं अनुशोषण।

समिति के कार्य

261. सदन को एक निवेदन समिति होगी, जिसमें अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे, जिनमें अध्या द्वारा नाम-निर्देशित किया जायेगा। समिति की पदावधि एक वर्ष की अध्या नवी समिति के गठन होने के पूर्व तक की अवधि के लिए होगी।

समिति के कार्य

262. स्थीकृत निवेदनों की जांच एवं प्रतिवेदन देना।

263. (1) सदस्य अत्यंत स्वीकृत महात्मा की किसी एक विषय पर निवेदन की सूचना सत्र काल में सभा की बैठक प्रारंभ होने के एक घटने के अन्दर समिति जो दो सदस्यों एक सदस्य एक दिन में एक से अधिक सूचना नहीं दे सकेगा। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन दस पाँचलाई से अधिक के नहीं होंगे। निवेदन की सूचना सत्र की समाप्ति के दो दिन पूर्व तक ही दो जा सकेगी। अध्या द्वारा स्थीकृत निवेदनों पर सदन की स्थीकृति प्राप्त हो जाने के बाद निवेदन की प्रति संबंधित विभाग को प्रेषित की जायेगी जिसका उत्तर पन्डित दिनों के अन्दर संबंधित सदस्य को विभाग द्वारा उपलब्ध कराते हुए उसकी

एक प्रति संवित विभाग सभा को भी उपलब्ध करायेगी।

मानव निवेदनों की मूल्यना अध्यक्ष प्रतिविद्वन सभा के कार्यक्रम सम्मान के पूर्ण प्रस्तुत कर सकेंगे। स्वीकृत निवेदन किसी भी रिक्ति में जापस नहीं होंगे।

(2) सदन के सत्र में व छने पर भी सदस्य विभान-सभा सचिवालय के प्रत्येक कार्यक्रम को एक निवेदन दे सकेंगे। निवेदन की ऐसी मूल्यना अध्यक्ष को आदेश और स्वीकृति से सम्बन्धित विभागों को बोली का सकेंगे। विभाग ऐसे निवेदनों के उत्तर भी मूल्यना प्राप्त होने की लिखी से पन्द्रह दिनों के अंदर सदस्य को उपलब्ध कराते हुए, इसकी एक प्रति सभा सचिवालय को प्रेषित करेंगे।

**अल्पसंख्यक, पिछड़ा, कमज़ोर चर्चा, महिला एवं बाल  
विकास समिति**

**समिति का  
गठन** 264. सदन की एक अल्पसंख्यक, पिछड़ा, कमज़ोर चर्चा, महिला एवं बाल विकास समिति होंगी, जिसमें अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा। समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए वा उसी समिति के गठन होने को तुरंत तक की अनुमिति की जाएगी।

**समिति के  
कार्य** 265. (1) समिति द्वारा अल्पसंख्यक, पिछड़ा, कमज़ोर चर्चा, महिला एवं बाल कल्याण के निमित्त किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगी तथा इन चर्चों के सम्बन्धित उत्तराधिकार के लिए अनुशंसा करेंगी।

(2) समिति इन चर्चों के कल्याणार्थ किए जा रहे उन संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा भी करेंगी जिन्हें इन कार्यों के लिए राज्य अधिकारी ने सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्त होती है।

**सामान्य प्रयोजन समिति**

**समिति का  
गठन एवं  
कार्य** 266. (1) अध्यक्ष, सामान्य प्रयोजन समिति नियुक्त करेगा, जिसमें अध्यक्ष और अधिक से अधिक पन्द्रह अन्य सदस्य, जिन्हें कि

अध्यक्ष नाम-विदेशित करेंगे, अध्यक्ष समिति का पदेन सम्भाप्ति होगा।

(2) समिति, सभा के कालों से संबंधित उन विषयों पर विचार करेगी और मतलब देगी जो उसे समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएँ।

अध्याय-25

### सभा के नियम

सभा की भाषा

**सभा की भाषा**

267. सभा का कार्य देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में संगठित होगः

परन्तु यदि कोई सदस्य उर्दू भाषा में अपनी सूचना देता जाए तो दे सकता है तथा अपना विचार सदन में व्यक्त कर सकता है।

परन्तु यह और भी कि यदि कोई सदस्य हिन्दी अथवा उर्दू भाषा में अपना विचार भलीभांति व्यक्त न कर सकते तो उसे, अध्यक्ष सदन में अपनी मानुषिकीय में बोलने की अनुमति प्रदान कर सकता।

परन्तु यह और भी कि यदि किसी सदस्य को सदृश में अपनी मानुषिकीय (हिन्दू या उर्दू को छोड़कर) में बोलने की अनुमति दी जाती है तो वह अपने वाचन के हिन्दौ लक्षणों वाले व्यक्ति सदन की कार्यसाधी में शामिल किए जाने के लिए उपलब्ध कर सकेगा।

**सदस्यों द्वारा सूचनाएँ**

268. (1) यदि अन्यथा उपचारित न हो तो नियम द्वारा अनेक प्रत्येक सूचना सचिव को संबोधित करके लिखित रूप में विभाग सभा के कार्यालय में दी जायेगी जो यथावत् या सर्वजनिक खुल्ही को छोड़कर प्रत्येक दिन इस प्रयोजन हेतु 11.00 बजे रिन से 4.00 बजे दिन तक खुला रहेगा।

(2) कार्यालय के बद्द रहने पर दी गयी या प्राप्त सूचनाएँ अगले कार्य रित की दी गई समझौती जायेगी।

**सूचनाओं का पहले से प्रकाशन**

269. किसी सूचना का प्रकाशन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो।

परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का उस दिन तक कोई प्रकाशन  
नहीं किया जायेगा जिस दिन कि उस प्रश्न का सचा मैं उत्तर दिया  
जाय।

270. प्रत्येक सूचना या अन्य पत्र, जिन सदस्यों के पास भेजना  
या प्रेषित करना अपर्याप्त हो, वह नियम भेज गया या प्रेषित समझा  
जायेगा, यदि उसको एक प्रति सभा कार्यालय में प्रत्येक सदस्य के  
पासीबद्ध पते पर भेजी गई होः

परन्तु जब सचा का सत्र चलूँ हो तथा जब प्रारंभ होने के तूर्च  
पूरे दो दिन तक ऐसी सूचना या उन प्रत्येक सदस्य को प्रेषित किया  
गया समझा जायेगा यदि वह सभा बैठक में सदस्य के लिये नियत  
स्थान पर रखा गया हो।

271. सत्रावसान होने पर, किसी विधेयक को पुराणापित करने  
की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने का विचार की सूचनाओं को छोड़कर  
होप सब लिखित सूचनायें व्याप्त हो जायेंगी और अलगे सत्र के लिए  
नयी सूचनायें देनी चाहेंगी।

परन्तु किसी ऐसे विधेयक को, जिसके संबंध में संविधान के  
अधीन मञ्जूरी या सिफारिश प्रदान की गई हो, पुराणापित करने की  
अनुमति के लिये प्रस्ताव करने के विचार को नई सूचना का दिया  
जाना आवश्यक होगा, यदि व्याप्तिस्थिति मञ्जूरी या सिफारिश प्रदर्शित  
नहीं रही हो।

272. कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन, जो प्रस्तुत किया  
जा चुका हो और सभा में संचित हो, केवल सत्रावसान होने के कारण  
ही व्याप्त होनी चाहिए।

परन्तु विधोषाधिकार के प्रश्न की ये सूचनायें जिन्हें अध्यक्ष  
स्वयित्रे से संचित घोषित कर देते हैं तथा सत्र के अंतिम दिन प्राप्त  
होंगी, सत्रावसान के कारण व्याप्त होनी चाहिए।

273. यदि अध्यक्ष को एवं में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वाक्यांश  
या पद हों, जो प्रतीकार्थक, असहस्रदीय, व्यावहारिक, असंगत, जाड़मर

सूचनाओं  
तथा यहों का  
सदस्यों में  
परिवालन

सत्रावसान  
होने पर  
लिखित  
सूचनाओं  
का व्याप्तगमन

प्रस्तुत प्रस्ताव,  
संकल्प या  
संशोधन  
सत्रावसान पर  
व्याप्त होनी  
होगे  
सूचनाओं का  
अध्यक्ष द्वारा  
संशोधित  
किया जाना

पूर्ण या अन्यथा अनुप्रयुक्त हो तो वह स्थानिक से, ऐसी मूलता को परिचालित किये जाने से पूर्ण संशोधित कर लकेगा।

#### प्रस्ताव

प्रस्ताव की पुनरावृत्ति

प्रस्ताव की वापसी

274. किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारातः उस प्रश्न के समान हो विस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी हो।

275. (1) जिस सदस्य ने कोई प्रस्ताव किया हो वह उसे सभा की अनुमति से बापस ले सकेगा।

(2) अनुमति, प्रश्न पर नहीं, अपितु अध्यक्ष द्वारा सभा की इच्छा जानकर अक्तु की जायेगी। अध्यक्ष दूर्भाग्य: 'क्या वह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव बापस लिया जाये?' यदि कोई विटेंड में न हो तो अध्यक्ष कहेगा ''प्रस्ताव अनुमति से बापस लिया गया''। किन्तु यदि कोई विटेंड आवाज सुनाई दे या कोई सदस्य बाद-विचार जरी रखने के लिये उठे तो बापस लेने की अनुमति प्रश्न न की गई समझौते जायेगी।

परन्तु यदि किसी प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्तावित किया जा चुका हो तो यून प्रस्ताव बापस नहीं लिया जायेगा जब तक कि संशोधन निष्ठा न दिया जाये।

प्रस्ताव पर बाद-विचार का स्वरूप

विलंबकारी प्रस्ताव

276. किसी प्रस्ताव के प्रद्वाल किये जाने के बाद किसी सभ्य कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता कि प्रस्ताव पर बाद-विचार को स्वीकृत कर दिया जाये।

277. यदि अध्यक्ष की राय हो कि बाद-विचार को स्वरूप वा कोई प्रस्ताव सभा के विषयों का दुलपयेग है, तो वह उस पर या तो अध्यक्ष भीठ से तुरना प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्तावित करने भे इकार कर सकेगा।

यह प्रस्ताव की नीति का स्थिति आ वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाये सभा के मत के लिये नहीं रखा जायेगा किन्तु सभा ऐसे विषय पर प्रस्ताव पर भाषण समाप्त होने के बाद तुरना वर्चा करेगी और निश्चित समय पर बाद-विचार की समाप्ति

पर कोई अंतिम प्रवान नहीं रखा जायेगा जब तक कि कोई महस्त  
अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले उचित रूप में मूल प्रस्ताव  
न रखें, और ऐसे प्रस्ताव पर सभा का मत लिया जायेगा।

#### संशोधन

279. (1) संशोधन उस प्रस्ताव से मुमुक्षुत तथा उसकी व्याप्ति संशोधन  
के भीतर होगा जिस पर वह प्रस्तावित किया जाये।

(2) ऐसे संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जिसका उभय  
कोवल नकारात्मक हो।

(3) अध्यक्ष, कोई संशोधन अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी  
रूप में तुच्छ हो।

(4) अध्यक्ष, वह क्रम विहित कर सकेगा जिसमें संशोधन प्रस्तुत  
किये जायेंगे और इसी भी समय बढ़-विकाद को एक संशोधन तक  
सीमित कर सकेगा।

280. किसी प्रस्ताव में संशोधन की सूचना, जिस दिन प्रस्ताव संशोधनों की  
पर विचार किया जाना है, उससे एक दिन पहले यी जायेगी यदि सूचना  
अध्यक्ष ऐसी सूचना के बिना संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति  
नहीं हो।

#### सदस्यों द्वारा धारणीय नियम

281. (1) कोई प्रस्ताव करने या किसी विषय पर कोई चर्चा  
करने का इच्छुक सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होगा और यदि अध्यक्ष  
पुकारे तो वह अपनी बात अध्यक्ष को संशोधित कर करेगा। यदि  
अध्यक्ष उसे न पुकारे तो वह अपना स्थान प्रहरण किये रहेगा।

(2) यदि किसी समय तक कोई सदस्य बोल रहा हो और इसने  
सदस्य और चिकित्सक प्रश्न के लिए खड़ा हो तो वोलनेवाला सदस्य तुरंत  
अपना स्थान प्रहरण करेगा।

282. (1) जब कभी अध्यक्ष खड़ा हो तब उसे राति पूर्णक  
सुना जायेगा और कोई सदस्य जो उस समय बोल रहा हो या बोलने  
का उपक्रम कर रहा हो, तुरंत बैठ जायेगा।

बोलते समय  
सदस्य खड़ा  
होगा और जब  
कोई और चिकित्सक  
प्रश्न उपरिक्त  
किया जाये तब  
वह अपना स्थान  
प्रहरण करेगा

अध्यक्ष के  
खड़े होने पर  
प्रक्रिया

(2) जब अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहा हो तो कोई सदस्य सदन में प्रवेश नहीं करेगा और अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा।

**सभा में  
उपचारित रहते  
समय सदस्यों  
द्वारा पालनीय  
नियम**

283. जब सभा को बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य:-

(1) ऐसी पुस्तक, सम्बाद पत्र या पत्र जहाँ पढ़ेगा विस्तार सभा की कार्यवाही से संबंध न हो;

(2) किसी सदस्य को भाषण करते समय उसमें अल्पावधि चाल या किसी अन्य अल्पावधि रीति से बाधा नहीं डालेगा;

(3) सदन में प्रवेश करते समय या सदन से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहाँ से उठते समय भी अध्यक्ष दीठ के प्रति नम्र करेगा;

(5) जब अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहा हो तो सदन से बाहर नहीं जायेगा;

(6) सदैव अध्यक्ष-दीठ को ही संबोधित करेगा;

(7) सभा को संबोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेगा;

(8) जब सभा में नहीं बौल रहा हो तब शांत रहेगा;

(9) कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, सीलकार नहीं करेगा, बाया नहीं डालेगा और जब सभा में भाषण दिये जा रहे हो तब साथ-साथ उनकी दीका नहीं करता जायेगा;

(10) जब किसी दीर्घ में कोई अजनकी प्रवेश करे तो प्रशंसा घोष नहीं करेगा;

(11) भाषण करते समय दीर्घओं में बैठे हुए अजनकियों के प्रति कोई निर्देश नहीं करेगा।

**बोलने समय  
पालनीय  
नियम**

284. बोलते समय कोई सदस्य:-

(1) किसी ऐसे तथ्य-विषय का निर्देश नहीं करेगा विषय

पर न्यायिक विनियमय संवित हो;

- (2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषोपण नहीं करेगा;
- (3) संसद या किसी दूसरे विभागमेंहाल की कार्रवाई के संबंधत विषय में आपत्तिजनक पदार्थकी का उपयोग नहीं करेगा;
- (4) सभा के किसी निर्णय पर उसे रद् करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रकार से आवेद नहीं करेगा;
- (5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आवरण पर आवेद नहीं करेगा, बल्कि कि वर्चो उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो;

**व्याख्या :** शब्द “उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों” का सार्वर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आवरण की वर्चो संविधान के अधीन केवल उचित रूप से रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों में है, जिनके आवरण की वर्चो अध्यक्ष की रूप में उसके हांगा अनुग्रहान्वित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जानी चाहिए।

- (6) अधिकारीहात्मक, राजदूतात्मक, या नानाविकारक शब्द नहीं कहेगा;

(7) अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में वाधु द्वालाने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा;

(8) अध्यक्ष को हाटने के प्रस्ताव को छोड़कर अध्यक्ष की व्यवस्था, आदेश या निर्देश पर कोई प्रयत्न नहीं करेगा।

**285.** किसी सदस्य द्वाना चाह-विवाद में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानवानिकारक या अपराधिकबोधक आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि चाह-विवाद में भाग लेने के एक दिन पूर्व उस सदस्य ने अध्यक्ष को उस संबंधित मंजूरी को भी पूर्ण सूचना न दे दी हो, किससे कि मंजूर उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।

एवन्तु अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने

किसी व्यक्ति के विरुद्ध आवेद के प्रक्रिया

से प्रतिष्ठित कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।

**प्रश्नों का  
अध्यक्ष के  
मार्फत पूछा  
जाना**

**असंगति या  
पुनरुक्ति**

**वैयक्तिक  
स्पष्टीकरण**

**भाषणों का  
क्रम और  
उत्तर देने का  
अधिकार**

286. जब चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को उस समय सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तब वह अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूछेगा।

287. अध्यक्ष एसे सदस्य के आवरण की ओर, जो बाद-विचार में बात-बार असंगत बताएं करे या स्वयं अपने प्रतकों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतकों की उड़ाता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिलाने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बंद करने का निर्देश दे सकेगा।

288. कोई सदस्य, अध्यक्ष को अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो, किन्तु इस अवसरा में कोई विचाराधीन विषय नहीं उठाया जायेगा और कोई बाद-विचार नहीं होगा।

#### भाषण के क्रम और उत्तर देने का अधिकार

289. (1) प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य के बोल शुकने के बाद और प्रस्ताव के संबंध में मंजू द्वारा सरकार की स्थिति घटकत कर चुकने के बाद अन्य सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम से बोल सकने विस्तये कि अध्यक्ष उनको पुकारे, यदि कोई सदस्य इस प्रकार पुकारे जाने पर न बोले तो फिर उसे, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, बाद-विचार के किसी आगे के प्रक्रम में प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार नहीं होता।

(2) उत्तर देने के अधिकार को प्रदेश की छोड़कर या इन नियमों द्वारा उपर्युक्त अवसरा को छोड़कर कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, एक बार से अधिक नहीं बोलेगा।

(3) कोई सदस्य, जिसने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर

को रूप में पुनः बोल सकेगा और यदि प्रस्ताव किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो यांचित मंत्री, अध्यक्ष की अनुमति से (जहाँ वह चाद-विवाद में पहले बोल चुका हो या नहीं) प्रस्तावक के उत्तर देने के बाद बोल सकेगा।

परन्तु इस उपरियम के किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि अनुदान की किसी मांग को कम करने के प्रस्ताव के प्रस्तावक या किसी विधेयक या संकलन में संशोधन के प्रस्ताव को अध्यक्ष की अनुमति के बिना उत्तर देने का कोई अधिकार मिलता है।

#### समापन

290. (1) किसी प्रस्ताव के लिए जाने के बाद किसी समय कोई समापन भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा "कि अब प्रश्न रखा जाये" और, जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव उन नियमों का दुरुपयोग है या उचित चाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव करेगा: "कि अब प्रश्न रखा जाये"।

(2) जब यह प्रस्ताव "कि अब प्रश्न रखा जाये" स्वीकृत हो जाये तो उससे अनुचित प्रश्न या प्रश्नों को अद्यत चाद-विवाद के बिना तुरन्त रख दिया जायेगा;

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कोई उत्तर देने का अधिकार दे सकेगा जो उसे इन नियमों के अधीन प्राप्त हो।

291. (1) जब कभी विधेयक के संबंध में किसी प्रस्ताव पर या किसी अन्य प्रस्ताव पर चाद-विवाद समूचित रूप से खंडा हो जाये तब अध्यक्ष, यथा स्थिति विधेयक या प्रस्ताव के किसी प्रकाम या यथा प्रकामों पर चर्चा की समाप्ति के लिये समय-सीमा निश्चित कर सकेगा।

(2) विधेयक या प्रस्ताव के किसी विशेष प्रकाम को पूछ करने के लिए निश्चित समय सीमा के अनुसार नियत समय पर, यदि चाद-विवाद उसके पूर्व समाप्त न हो गया हो तो अध्यक्ष, विधेयक या प्रस्ताव के उस प्रकाम के संबंध में अभी अवशिष्ट विषयों को नियटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

### विनिश्चय के लिये प्रश्न

**सभा का  
विनिश्चय  
प्राप्त करने के  
लिये प्रक्रिया**

**प्रास्थापना  
तथा प्रश्न का  
रखा जाना**

**विभाजन**

**आवाजों के  
संग्रहण के  
बाद कोई  
भाषण न  
होगा**

**मंत्री द्वारा  
दिया गया  
घोषणा**

**उच्चत पत्रों  
का पटल पर  
रखा जाना**

292. जिस विषय पर सभा का विनिश्चय अपेक्षित हो वह सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा किये गये प्रश्न द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।

293. वब कोई प्रस्ताव किया गया हो तब अध्यक्ष प्रश्न को विचार के लिए प्रस्थापित करेगा और उसे सभा के विनिश्चय के लिए रखेगा, यदि किसी प्रस्ताव में ऐसा या अधिक अलग-अलग प्रस्थापनाये सम्बन्ध हो तो वे प्रस्थापनाये अध्यक्ष द्वारा अलग-अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्तावित की जा सकेंगी।

### विभाजन

294. (1) मत, आवाज या विभाजन से लिया जा सकेगा और यदि कोई सदस्य वैसी इच्छा करे तो मत विभाजन से ही लिया जायेगा अध्यक्ष, विभाजन से मत लेने की रुचि निर्भावित करेगा।

(2) विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जायेगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

जब अध्यक्ष ने "हाँ" यातों और "ना" यातों दोनों की आवाजे किसी प्रश्न पर संग्रहित कर रखी हैं, तो कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं खोलेगा।

295. लोक महासंघ के किसी विषय पर अध्यक्ष की सममति से मंत्री द्वारा घोषणा किया जा सकेगा, किन्तु लिये सभी घोषणा दिया जाये उस सभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

### उच्चत पत्रों का पटल पर रखा जाना

296. यदि कोई मंत्री सभा में किसी घोषित वत्र या अन्य राज पत्र को उच्चत करे जो सभा के समझ नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा।

परन्तु वह नियम किसी देसे दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वकर्प का बताये कि उसका पेश किया जाना लोकहित में प्रतिकूल होगा।

परन्तु वह और भी जब भी ऐसे प्रेक्षित-पत्र या राज या का संग्रह या सारांश बता दे, तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।

भीड़ को दिये गये परामर्श या राय के स्रोत का भीड़ द्वारा प्रकट किये जाने पर प्रक्रिया

297. यदि कोई भी किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दैघन किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी प्रधानमंत्री द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या प्रधिकारी द्वारा दी गई हो तो वह साधारणतया उस राय या परामर्श बताना संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भासा या उसका सारांश पटल पर रखेगा।

परन्तु भीड़ द्वारा सदन को पटल पर रखे जाने वाला दस्तावेज यदि विधायित अधिकारी के पश्चात प्रस्तुत किया गया है तो भीड़ ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ ही विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारणों को सम्पर्क करने वाला ज्ञापन भी प्रस्तुत करेगा।

298. (1) पटल पर रखा गया या दस्तावेज, उसे उपस्थिति करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा। पटल पर रखे गये पत्रों के साथ व्यवहार

(2) पटल पर रखे गये सब पत्र और दस्तावेज सार्वजनिक समझे जाएंगे।

सदस्यों का बाहर चला जाना तथा निलम्बन

299. अध्यक्ष, किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उसको राय में घोर अज्ञानसमूर्त हो, तुरन्त राष्ट्र से बाहर चले जाने का निरेश दे सकेगा और विलम्ब सदस्य को इस तरह बाहर चले जाने का आदेश दिया जाय वह तुरन्त बाहर चला जायेगा और उस दिन की अवधिकारी के समय तक अनुपस्थित होगा।

300. (1) यदि अध्यक्ष अवश्यक समझे तो वह उस सदस्य का नाम से सकेगा जो अध्यक्ष पीठ के प्रधिकार की उपेक्षा करे या हठार्थिक और जानबूझकर सभा के कानों में बाधा डालकर सभा के निवारों का तुकारामेंग करे।

(2) यदि किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा इस तरह नाम लिया जाये

भीड़ को दिये गये परामर्श  
या राय के स्रोत का भीड़ द्वारा प्रकट  
किये जाने पर प्रक्रिया

सदस्य का व्यवहार  
बाहर चला जाना

सदस्य का निलम्बन

तो अध्यक्ष तुरन्त प्रश्न रखेगा कि सदस्य (उसका नाम लेकर) का सब  
को अवशिष्ट काल तक सभा की सेवा से निलम्बन किया जाय।

परन्तु सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर संकल्प कर  
सकती है कि ऐसे निलम्बन समाप्त किया जाय।

(3) इस नियम के अधीन निलम्बित सदस्य तुरन्त सभा के  
परिसर के बाहर चला जायेगा।

#### बैठक का निलम्बन

सदन के  
स्थगित करने  
की अध्यक्ष  
की शक्ति

301. सदन में कोई गंभीर अच्छवस्था डायन होने की दशा में  
अध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो सदन को बैठक उसी  
दिन के किसी बाद के समय तक के लिए निलम्बित कर सकता या  
सदन के उसी सद भी अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर सकता।

#### औचित्य प्रश्न

औचित्य प्रश्न  
और उन पर  
विविष्टिय

302. (1) औचित्य-प्रश्न इस नियम के या संविधान के ऐसी  
अनुच्छेदों को, जिनसे सभा का कार्य विविषित होता है, निर्वाचन या  
प्रत्यक्षन के संबंध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो  
अध्यक्ष की जानकारी में हो।

(2) औचित्य-प्रश्न तत्त्वाभ्यंग सभा के समाज कार्य के संबंध में  
उठाया जा सकता।

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य के एक यद समाप्त होने  
और दूसरे को जारी होने को वीच की आलाएँधि में औचित्य-प्रश्न  
उठाने की अनुमति दे सकता चाहि वह सभा में व्यवस्था बनाये रखने  
या सभा के समाज कार्य विनाश के संबंध में हो।

(3) उपनियम (1) तथा (2) में विविट्ट शब्दों के अधीन रहते  
हुए कोई सदस्य औचित्य-प्रश्न उठा सकता और अध्यक्ष यह विविष्टिय  
करेगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो  
तो उस पर वह अपना विविष्टिय देगा जो अद्वितीय होगा।

(4) किसी औपचार्य प्रश्न पर बाद विवाद की अनुमति नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष चाहे वह टीक सचिवों अपना विनियोग देने से पहले सदस्य का कथन सुन सकेगा।

(5) औपचार्य भा प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

(6) कोई सदस्यः-

(क) जानकारी मांगने के लिए, या

(ख) अपनी स्थिति समझ करने के लिए, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सभा के सम्माने रखा जा रहा हो,

या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभावन की चाहियों नहीं बढ़ी या सुनाई नहीं पड़ी, ऐसा औपचार्य प्रश्न नहीं उठायेगा।

#### शून्य काल के विषय

303. जो सदस्य सवेन की जानकारी में कोई ऐसा विषय तथा शून्य काल खाले जो औपचार्य प्रश्न न हो तो वह साधित का लिखित रूप से विषय सूचना देगा विशेष संसेप में उस विषय को बतायेगा, जिसे वह सभा में उठाना चाहता हो और अध्यक्ष द्वारा सम्मत दिये जाने के बाद वह ऐसे सभय जो कि अध्याष्ठ विशिष्ट करें, उसे ऐसा प्रश्न उठाये की अनुज्ञा होगी।

304. (1) नियम 303 के विषय प्रश्नकाल के पश्चात स्वयं प्रस्तावों का प्रारूप के बारे में विशेष लेने के बाद तथा ध्यानकरण सूचनाओं पर भीतरी द्वारा वक्ताव दिये जाने के पूर्व अध्याष्ठ की सम्मति से उठाये जा सकेंगे।

(2) नियम 303 के अधीन विषयों को उठाने के लिए केवल 15 मिनट ही उपलब्ध रहेंगे जिसे समयकाल के आधार पर प्राप्त सूचनाओं में से केवल 15 सूचनाओं को ही एक बैठक में उठाया जा सकेगा।

(3) जो सदस्य नियम 303 के अधीन सदन की जानकारी में कोई विषय लाने के इन्हुंने ही वह उस विषय को उठाने की पूर्व सूचना लिखित रूप से ग्रातः 10.00 बजे तक विधानसभा मतिज्ञालय में दे सकेंगे। इसमें अधिक से अधिक पंचास सम्भव रहेंगे।

(4) अध्यक्ष द्वारा ऐसे विषय पर सम्बुद्धि सम्मति दिये जाने एवं संबंधित सदस्य का नाम पुकारे जाने पर ही प्रस्तुत उठाये जा सकेंगे। अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय नहीं उठाया जायेगा।

(5) ऐसे विषयों को उठाये जाने पर सरकार द्वारा कोई प्रकाश नहीं ढाला जायेगा और न उनके संबंध में सदस्यों की ओर से कोई और ही दिया जायेगा।

(6) जो सूचना सदन में चढ़ी जाती है उसकी एक प्रति यथातीप्र सरकार के संबंधित विभाग को भेजी जायेगी और उसका लिखित उत्तर सरकार की ओर से अधिकातम पन्द्रह दिनों की अवधि में विधानसभा मतिज्ञालय को प्रेसिडेंट किया जायेगा। उत्तर की प्रतिलिपि विधानसभा मतिज्ञालय द्वारा संबंधित सदस्य को यथातीप्र उपलब्ध कराई जायेगी। सदन में चढ़ी गई सभी सूचनाओं पर सरकार से ग्रातः उल्लेख की संकलित करके गुद्रित कराया जाएगा और उसे अगले सत्र के प्रथम दिन या अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य दिन सभा के पाठ्य पर रखा जायेगा। तथा एक-एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।

#### अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखना

**अध्यक्ष**  
व्यवस्था बनाये  
रखेंगा और  
विनियोगियों का  
प्रबोधन करेगा

305. अध्यक्ष, व्यवस्था बनाए रखेंगा और अपने विनियोगियों के प्रबोधन के लिए उसे सब आवश्यक शक्तियां होंगी।

कार्यवाहियों का अभिलेख आवि-

**सभा की**  
**कार्यवाही का**  
**अभिलेख**

306. (1) सचिव, सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तांत तैयार करवायेगा और उसे यथा साध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निरेश दें।

(2) सचिव ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि अध्यक्ष निरेश दे, लिखित

विधेयकों भी एक पंजी भवाये रखेंग विसमें सद्गम में पुराणापित समस्त  
विधेयकों के नाम दर्ज किये जायेंगे।

307. (1) यदि अध्यक्ष की उपर्युक्त हो तो किसी शाद-विवाह में ऐसे  
शब्दों को प्रयोग किया गया है-

शब्दों का  
विलोपन

(क) जो असिष्ट है; अभ्यक्ष

(ख) जिनमें संसद के किसी सदन या किसी शान्त विभाग भौतिक  
के किसी सदन या समिति के विषय में आकोषजनक शब्दावली अन्तर्विष्ट  
है; या

(ग) जिनमें उपर्युक्त सदन के किसी सदस्य द्वारा व्यवहार के  
कारण में उपर्युक्त प्रकार की शब्दावली अन्तर्विष्ट है,

तो अध्यक्ष स्वविवेक से अदेश दे सकता कि ऐसे राज्य सभा  
को तारांकित किया जायेगा और जारीताही में विभागित व्याख्यातक  
टिप्पणी जोड़ी जायेगी:-

"अध्यक्ष पीठ के अदेशानुसार निकाला गया।"

308. (1) यदि किसी व्याख्यालय में प्रश्नात्तरण के लिये किसी  
विशिष्ट भाषण, वक्तव्य, व्यवस्था, प्रश्न के डलार या किसी दिन की  
कार्यवाही के अन्य भाग उसके उद्घाटन की प्रमाणित प्रतिलिपि के  
लिये किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति से पत्र प्राप्त हो तो संबंधित सदस्य  
को शोधन के लिए दिये गये समय के पश्चात ऐसी प्रतिलिपि दी  
जायेगी।

भाषण आदि  
की प्रमाणित  
प्रतिलिपि देना

(2) व्याख्यालयीन उपर्योग हेतु भी प्रमाणित प्रतिलिपि देय होगा।

(3) यदि कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति किसी विशिष्ट भाषण,  
वक्तव्य, व्यवस्था, प्रश्न का डलार या किसी दिन की  
कार्यवाही का कोई भाग या उसके उद्घाटन की प्रतिलिपि चाहे तो भाषण,  
इत्यादि सदस्य को संशोधन के लिये भेजे जाने के पश्चात

"असंशोधित प्रकाशन के लिए नहीं" अधिकत प्रतिलिपि या जा सकती और ऐसी प्रतिलिपि कहीं प्रकाशित नहीं की जाएगी, जब-तक हि इसके लिए सभी सचिव से प्रधिकार प्राप्त नहीं कर लिया जाए।

(4) ऐसी किसी प्रतिलिपि का उपयोग प्रकाशन के लिये नहीं किया जायेगा जबतक कि नियम 269 (1) के अधीन कार्यवाहियों प्रकाशित न हो जायें;

परन्तु सचिव को सरकारी प्रयोजन के लिए ही यह किसी प्रतिलिपि का उपयोग प्रकाशन नहीं समझा जायेगा।

(5) पर्दि कोई सदस्य किसी दिन की कार्यवाही का उल्लेख करना चाहे ही वह प्रतिवेदन की प्रति का उल्लेख कर सकता।

### पत्रों का अभिरक्षा

**पत्रों की अभिरक्षा**

309. सभा या उसकी किसी समिति के अवधारणान सभा सचिवालय के सब अभिलेख, इस्तमूल, और पत्र संचिव की अभिरक्षा में होंगे और वह किन्हीं ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, पत्रों चों, अध्यक्ष की अनुहा के बिना विधान सभा भवन के बाहर नहीं हो जाने देगा।

### सभा का भवन

**सभा के भवन के उपयोग पर निवन्यन**

310. सभा के भवन का उपयोग सभा की वैष्णव के अंतिमिति किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

### अजनवियों का प्रवेश

**अजनवियों का प्रवेश**

311. सभा की वैष्णवों के दौरान सदन के उन भागों में, जो कोला सदस्यों के ही अन्य उपयोग के लिये निश्चित हों, अजनवियों का प्रवेश अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

**अजनवियों का बाहर चाला जाना**

312. अध्यक्ष, जब कभी वह टीक समझे, अजनवियों को सदन के किसी भाग के बाहर चाले जाने का आदेश दे सकता।

**अजनवियों को हटाया जाना और अभिरक्षा में विषय जाना**

313. अध्यक्ष द्वारा इस विषय में प्राथिकृत सचिवालय के कोई विधानिकारी किसी अजनवी को, जिसे कि वह सभा का परिसर के किसी भाग में, जो सदस्यों के अन्य उपयोग के लिये निश्चित है या जिसका वहाँ होना उसे बताया जाये और ऐसे किसी अजनवी को

वी नियमे सभा परिषद के नियमी भाग में प्रवेश कर लिया हो तो सभा दुर्जन्वहार करे अथवा अध्यक्ष द्वारा नियम 311 के अंतर्गत बचाव दर्ये आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करे या सभा को बैठक के सभ्य नियम 312 के अंतर्गत जब अलगावियों से बाहर जाने को कहा जाये, तो बाहर न जाये, सभा को चरित्तर से हटा देगा अथवा अधिकार में हो जाएगा।

#### नियमों का निलम्बन

314. कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से, प्रांतकर सकोए कि सभा के समक्ष किसी खास प्रश्नाव पर किसी नियम का लान् होना निलम्बित कर दिये जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस समय तक भी लिये निलम्बित बार दिया जायेगा।

#### अवशिष्ट शक्तियाँ और स्थायी आदेश

315. (1) ऐसे सभा नियम बिनके बारे में इन नियमों में लिखित सभा से उपचार किया गया हो और इन नियमों की लियतुत कियान्वित से सर्वाधित सभा प्रबन्ध ऐसी रौते से लियतिर्यक्त किये जायेंगे जिसका कि अध्यक्ष सम्बन्ध-सम्बन्ध पर निर्देश दे।

(2) (2) उपनियम (1) के अधीन निलम्बन के लिये किसी नियम के संबंध में अध्यक्ष स्थायी आदेश जारी कर सकता है।

## अध्याय-26

**सभा के स्थानों का त्याग तथा उनकी रिक्तता और  
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति**

**सभा के  
स्थानों का  
त्याग**

316. (1) जो सदस्य सभा के अपने स्थान वा त्याग करना  
चाहे वह सभा के अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना  
अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेला द्वारा निम्नलिखित  
प्रत्र में देगा और अपने पर त्याग के लिये कोई कारण नहीं देगा।

सेवा में,  
अध्यक्ष,  
विधानसभा

महोदय,  
मैं, पात् द्वारा दिनांक ..... से सभा के अपने  
स्थान का त्याग करता हूँ।

## भवदीय

स्थान: सदस्य

दिनांक: इन्द्रखण्ड विधान सभा

परन्तु यहाँ कोई सदस्य कोई कारण देता है या कोई असंगत  
बात प्रस्तुत करता है वहाँ अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे शब्द, पदावली  
या बात का लोप कर रखकर तथा उसे सभा में नहीं पढ़ा जायेगा।

(2) यदि कोई सदस्य अविभाशा; अध्यक्ष को त्याग-पत्र दे और  
उसे सूचित करे कि त्याग-पत्र स्वेच्छा से दिया गया तथा चर्यार्थ है

और अध्यक्ष को उसके प्रतिकूल कोई सूचना या जानकारी न हो तो अध्यक्ष त्यागपत्र तुरन्त स्वीकार कर सकेगा।

(3) यदि अध्यक्ष को त्याग-पत्र द्वाक से अवश्य किसी भी अधिकृत विधीय के द्वारा प्राप्त हो तो अध्यक्ष अपन यह समाधान करने के लिये त्याग-पत्र स्वीकृत से हिंसा गया तथा विवार्थ है, ऐसी जीवंत कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। यदि अध्यक्ष को स्वयं या विधान सभा संविधानात्मक अधिकार द्वारा अवश्य ऐसे अन्य अधिकारण द्वारा दिये गए उपचित समझे संविधान जीवंत करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि त्याग-पत्र स्वीकृतात्मक नहीं दिया जाता है या विवार्थ नहीं है तो वह त्याग-पत्र स्वीकार नहीं करेगा।

(4) कोई सदस्य अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा उसके स्वीकार किये जाने के पूर्व किसी भी समय आपस में सकेगा।

(5) अध्यक्ष, सदस्य द्वारा हिंसे गये त्याग-पत्र को स्वीकृत करने के पश्चात् समांसित शीघ्र सभा को यह सूचना देगा कि सदस्य ने सदृश के अपने स्थान का त्याग कर दिया है और उसने उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

**स्पष्टीकरण -** यदि सभा तत्र में न हो तो अध्यक्ष सभा के पुनः सम्बोधित होने के बाद सभा को तुरन्त सूचना देगा।

(6) संवित, किसी सदस्य द्वारा हिंसे गये त्याग-पत्र के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने के पश्चात् यथा संबंध शीघ्र यह जानकारी पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित करायेगा तथा अधिसूचना को एक प्रति इस प्रकार हुई रिक्त की पूर्ति हेतु कार्रवाही करने के लिये निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

परन्तु जहाँ त्याग-पत्र किसी आगे की लिखि से प्रभावशील होना हो वही ऐसी सूचना पत्रक तथा राजपत्र में उसके प्रभावशील होने की लिखि को पहले प्रकाशित नहीं की जायेगी।

317. (1) जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 190 (4) के अधीन सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करना वह अध्यक्ष को यह अधिक बताते हुए लिखित आवेदन-पत्र विद्युत के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये उसे अनुज्ञा दी जायेगी।

सभा की  
बैठकों से  
अनुपस्थित  
रहने की  
अनुज्ञा

(2) इस नियम के उपरियम (1) के अधीन आवेदन-यत्र प्राप्त होने के पश्चात अध्यक्ष यथा संघर्ष सभा को आवेदन यत्र पढ़कर सुनायेगा और पूछेगा कि "क्या यह सभा की इच्छा है कि अपुक सदस्य को अपुक कालावधि तक सभा की बैठकों से अनुपरिवर्त्तन करने को लिये अनुलग्न प्रदान की जाये?" यदि कोई विरोध न करे तो अध्यक्ष कहेगा कि "अनुपरिवर्त्तन करने की अनुलग्न प्रदान की गई" किन्तु यदि कोई विरोधी आवाज सुनाई दे तो अध्यक्ष सभा का अधिनियम जान लेगा और उसके बाद सभा का विविधाय घोषित करेगा।

(3) इस नियम के अधीन सभा के समक्ष किसी प्रदान पर चर्चा नहीं होगी।

(4) सच द्वारा विविधाय लाभ किये जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र संविधान उस सदस्य को संतुष्टित करेगा।

318. यदि कोई सदस्य, जिसे इन नियमों के अधीन उसे अनुपरिवर्त्तन की अनुमति जान की गई हो उस कालावधि को दीराम, जिसके लिये अनुपरिवर्त्तन की अनुमति प्रदान की गई हो, सभा के सब में उपरिवर्त्तन हो जाये तो उसी तृट्टी का असम्मत भाग पुनः उपरिवर्त्तन की तिथि से व्यग्रत हो जायेगा।  
उसकी तृट्टी  
के असम्मत  
भाग का  
व्यवगमन

319. (1) संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (4) के अंतर्गत सभा में स्थानों का विकास होना के या किसी ऐसे अन्य सदस्य के प्रस्ताव पर जिसे वह इस संविधान में अपने कृत्यों का प्रत्यावरोक्त करे, विकास घोषित किया जायेगा।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो संचित यह जानकारी राजपत्र में प्रकाशित करायेगा और अधिकृतना भी एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति हेतु कार्यकारी करने के लिये भेजेगा।

### प्रथम अनुसूची

याचिका का प्रपत्र  
(दोषित नियम 116)

सेवा में,

झारखण्ड विधान सभा,  
यहाँ संक्षिप्त रूप में याचिका देने वाले या देने वालों के नाम  
तथा पद या विवरण जैसे, "क. छ. तथा अन्य "या" ..... का/के या"  
..... की वगाएँलिका/प्रखण्ड" का/के निवासी (आदि  
समविष्ट कीजिए)

की विवरण याचिका इस प्रकार है:-

(यहाँ यामले या संधित विवरण लिखिए)

और लक्ष्यसार आपको याचिका देने वाला (या याचिका देने वाले  
प्रार्थना करता है (करते हैं) कि-

(यहाँ लिखिए, "कि विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही की  
ओप या न की जाये" या "कि याचिका देने वाले (वालों के यामले  
लिये विधेयक में लिखी उपबन्ध किये जाये" या सभा के सम्बन्ध विवादाधीन  
विधेयक या विषय अथवा समान्य लोक-हित के विषय के संबंध में  
कोई अन्य स्वयंसित प्रार्थना)

और आपको याचिका देने वाला (वाले) कर्तव्यबद्ध होकर सदा  
प्रार्थना करेगा (करेंगे).

याचिका देने वाले का नाम	पदा	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

### द्वितीय अनुसूची

(देखिए नियम 193 और 194)

विधानसभा के किसी सदस्य के व्यापिकति, बंदीकरण, निरोध, दोप्रतिक्रिया रिहाई की चारे में सूचना का प्रश्न

स्थान :  
दिनांक .....

सेवा में,  
अध्यक्ष महोदय,

झारखण्ड विधानसभा

"क"

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि .....  
(अधिकारी) की भाषा ..... के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में ऐसे यह विदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य श्री ..... को ..... (व्यापिकति, बंदीकरण या निरोध को कारण) के कारण वर्दी/ विशद कर लिया जाये।

लातुसार विधान सभा के सदस्य श्री ..... (नियम)  
को ..... पर (समय) बंदी कर लिया गया है/हावालत  
में रख दिया गया है।

और उसे इस समय ..... जैसे  
..... (समय) में रखा गया है।

“गु”

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य  
 श्री.....पर (श्री लिंगिंद के कारण) के गोपनीय  
 (वा गोपनीयों) के लिये न्यायालय में भौतिक भूकरण चलाया  
 गया/..... विन तक मुकदमा चलने के  
 बाद..... (लिंगि) को मैंने उस.....अधिकारि  
 के कारबाह का दण्डादेश दिया।

(.....को अपील करने की अनुमति के  
 लिए उनका प्रार्थना-पत्र विचारार्थ लम्बित है)

\* न्यायालय का नाम .....

“गु”

मुझे आपको सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य श्री ....  
 .....को, जिसे .....(लिंगि) को,  
 .....(बंटीकरण/विरोध/लोकसिंह के कारण) के बारे बढ़ी  
 बनाया गया/निरुद्ध किया गया/विरुद्धदोस ठहराया गया था.....  
 .....(लिंगि) को.....(रिहाई के कारण) रिहा  
 कर दिया गया था।

\*(जो भाग लागू न हो उसे कट दिया जाय)

भवदीय

(न्यायाधीश, दण्डाधिकारी या कार्य प्रभिकारी)

खंड-2

नियम 315 ( 2 ) के अधीन  
अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्थायी आदेश

नियम 315 (2) के अधीन

### अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्थायी आवेश

अध्यक्ष-।

#### सभा के समक्ष कार्य का क्रम

सभा के समक्ष कार्य के अधीन	सभा के समक्ष कार्य के विधिन
1. यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे तो सभा के समक्ष कार्य के अधीन वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तीता निम्नलिखित क्रम में होती,	विधिन
(1) शपथ या प्रतिज्ञान	वर्गों की
(2) गण्यपाल का अभिभावन	सापेक्ष
(3) भविष्यों का परिचय	पूर्ववर्तीता
(4) निधन संबंधी उल्लेख	
(5) अल्पसूचित एवं तारीकत प्रश्न	
(6) मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल (सोमवार को)	
(7) सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति	
(8) विशेषाधिकार भग संबंधी प्रश्न	
(9) शून्य काल	
(10) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र	
(11) गण्यपाल के संदेश का सुनाया जाना	
(12) कार्य भविष्य समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिये प्रस्ताव	
(13) विधेयकों पर गण्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना	
(14) सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी, नाजरबंदी, अथवा रिहाई के बारे में भविस्ट्रटों अथवा प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाएं	

- (15) अधाराकर्षण गूहा
- (16) समा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति को बारे में अध्यक्ष की घोषणा
- (17) समा के सदस्यों के पद तथा, सभापति लिंगका, समितियों आदि के नाम-निर्देशन आदि विविध विषयों के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा
- (18) अध्यक्ष द्वारा विनियम या घोषणाएँ
- (19) समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन
- (20) माचिकाओं का उपस्थापन
- (21) मीडियों द्वारा विविध वक्तव्य
- (22) अपने पद की तथा के समीकरण में भूलपूर्ण नंबर द्वारा व्यक्तिगत वक्तव्य
- (23) स्थायी आदेश क्रमांक 84 के अधीन वक्तव्य
- (24) नियम 288 के अधीन अविकल्प समीकरण। यदि वाह-विवाद के दौरान यह हिंसा गया हो।
- (25) समितियों के नियांचन के लिये प्रस्ताव
- (26) विधेयक संघीय प्रबन्ध समिति के अतिवेदन के उपरक्षण हेतु समय बढ़ाए जाने के लिये प्रस्ताव
- (27) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हटाने के लिये नियांचन का प्रस्ताव
- (28) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिये संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव
- (29) मीडि-परिवर्द के अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव
- (30) वापस लिये जाने वाले विधेयक
- (31) पुरुषसित किये जाने वाले विधेयक
- (32) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विभान बदाने के कारणों को बदाने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य का घटन पर रखा जाना
- (33) विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

## अध्याय-२

## श्लाका

(क) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शलाका

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये नियम किये गये दिनों में नियम 29 (2) के अधीन एक श्लाका होता। श्लाका ऐसे दिन होती है जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये किसी महं में नियत लिये गये प्रथम दिन से बाम से कम तात दिन तक हो पड़ता हो और ऐसी दीति से होती जैसा कि अध्यक्ष निर्देश है।

3. प्रत्येक शलाका के परिणाम की घोषणा पत्रक (विवाजिका) भाग-दो में जो जायेगी।	श्लाका परिणाम
-----------------------------------------------------------------------------	------------------

4. ऐसे विधेयक, जो श्लाका होने के बाद मुद्रित्यापित लिये गये हों और विवाहक चार में अलग इस्तातों की सूचनाएँ कार्य सूची के जारी होने से पूर्व प्राप्त हो जायें उस दिन जो कार्यसूची में शलाका में आये हुए सभी विधेयकों के भीतर रखी जायेगी।

5. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शलाका के लिये नियत दिन की सूचना सदस्यों को पत्रक भाग दो के द्वारा दी जायेगी।

6. (1) ऐसा संकल्प विस्तकी सूचना किसी अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसरण में ही नहीं हो, को यदि अध्यक्ष द्वारा ग्राहक कर लिया जाए, तो उसकी सूचना पत्रक द्वारा तुरन्त जारी की जायेगी और उसकी सूचना की एक प्रति सरकार को भेजी जाएगी।

(2) अध्यक्ष, सभा-कार्य की दिश्ति पर विचार करने के बाद और सभा बैठा से परामर्श कराके ऐसे किसी संकल्प पर चर्चा के लिये एक या अधिक दिन अध्यक्ष दिन का चोई भाग नियत कर सकते।

## अध्याय-३

**स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 139, नियम  
148 तथा नियम 303 के अधीन सूचनाएँ**

स्थगन/  
ध्यानाकर्षण  
एवं नियम  
303 की  
सूचनाओं के  
संबंध में  
प्रक्रिया

स्थगन  
प्रस्ताव की  
सूचनाओं पर  
संख्या सीमा

सूचनाओं  
की संख्या  
सीमा

7. (1) विभान सभा सत्र की प्रथम बैठक को लिए स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण एवं 303 के अधीन विषयों पर सूचना, अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित पूरे चार कार्य दिवस पूर्व से ग्रहण की जाएगी इस संबंध में विस्तृत सूचना प्रक्र (विवरणिका) भाग-दो द्वारा जारी की जाएगी।

(2) किसी सदस्य की ध्यानाकर्षण सूचना यदि अध्यक्ष द्वारा प्राप्त नहीं की गई है तो वह चाहे तो उस विषय पर अगले दिन को लिए पुनः सूचना दे सकेगा जिसे उस दिन को लिये प्राप्त समाज सूचनाओं के साथ अध्यक्ष के विचारणे प्रस्तुत किया जायेगा।

3. अध्यक्ष द्वारा चुनी गई ध्यानाकर्षण सूचनाएँ अगले दिन की कार्य सूची में समिलित की जायेंगी।

4. कोई भी सदस्य किसी एक बैठक को लिये स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक सूचना नहीं देगा।

स्पष्टीकरण-जहा किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हो वहां यह समझा जायेगा कि ऐसी सूचना कोवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दो गई है।

5. बैठक अध्यक्ष निर्देश न दे नियम 148 एवं नियम के अधीन क्रमशः अधिकारीय सौकं महाल के विषय तथा अधिकारीय वर्चाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि किसी सत्र में किसी सदस्य की अधिकतम दो सूचनाओं पर ही चर्चा रखी जा सके।

6. नियमालाली के नियम 54 को तहत प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की प्राप्ति पर सदन में विषय से पूर्ण दर्शे प्रस्ताव के विषय-वस्तु

## अध्याय-२

## श्लाका

(क) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शताका

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये नियम किये गये दिनों में नियम 29 (2) के अधीन एक शताका होगा। शताका ऐसे दिन होंगे जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये किसी भाग में नियत किये गये प्रथम दिन से बाहर से कम सात दिन वहाँ पहुँचा हो और ऐसी दौलत से होगी जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें।

3. प्रत्येक शताका के परिणाम की घोषणा पत्रक (विवरणिका)	शताका परिणाम
-------------------------------------------------------	-----------------

भाग-यों में की जायेगी।

4. ऐसे विधेयक, जो शताका होने के बाद पुरातात्पाति किये गये हों और जिनके बारे में अलग प्रस्तावों को सूचनाएँ कार्य सूची को जारी होने से पूर्व प्राप्त हो जाये उस दिन की कार्यसूची में शताका में आये हुए सारे विधेयकों को नीचे रखी जायेगी।	शताका के परात्पाति, पुरा: तात्पाति विधेयकों पर कार्यवाही
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

5. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शताका के लिये नियत दिन की सूचना सदस्यों को पत्रक भाग यों के द्वारा दी जायेगी।	शताका की सूचना
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

6. (1) ऐसा संकल्प जिसकी सूचना किसी अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसार में दी गई हो, को परि अध्यक्ष द्वारा प्राप्त कर लिया जाए तो उसकी सूचना पत्रक द्वारा तुरन्त जारी की जायेगी और उसकी सूचना को एक ग्रन्ति सरकार को भेजी जाएगी।	संविहित संकल्प
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

(2) अध्यक्ष, सभा-कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा बेत्ता से परामर्श करके ऐसे किसी संकल्प पर चर्चा के लिये एक या अधिक दिन अध्यक्ष दिन का कोई भाग नियत कर सकेंगे।	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## अध्याय-३

**स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 139, नियम  
148 तथा नियम 303 के अधीन सूचनाएँ**

स्थगन/  
ध्यानाकर्षण  
एवं नियम  
303 की  
सूचनाओं के  
संबंध में  
प्रक्रिया

स्थगन  
प्रस्ताव की  
सूचनाओं पर  
संख्या सीमा

सूचनाओं  
की संख्या  
सीमा

7. (1) विधान सभा सत्र की प्रथम बैठक के लिए स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण एवं 303 के अधीन विषयों पर सूचना, अध्यक्ष द्वारा यथा विधीनित गृह चार कार्य दिवस पूर्व से घोषण की जाएँगी इस संबंध में विस्तृत सूचना पत्रक (विवरणिका) भाषा-दो द्वारा जारी की जाएगी।

(2) किसी सदस्य को ध्यानाकर्षण सूचना यदि अध्यक्ष द्वारा घोष नहीं को गई है तो वह चाहे तो उस विषय पर आगले दिन के लिए पुनः सूचना दे सकता जिसे उस दिन के लिए प्राप्त समस्त सूचनाओं के साथ अध्यक्ष के विचारार्थ प्रदत्त किया जायेगा।

3. अध्यक्ष द्वारा चुनी गई ध्यानाकर्षण सूचनाएँ आगले दिन की कार्य सूची में सम्मिलित की जायेंगी।

4. कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिये स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक सूचना नहीं देगा।

स्पष्टीकरण-जहाँ किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हो वहाँ यह समझा जायेगा कि ऐसी सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ही गई है।

5. जबतक अध्यक्ष न दे नियम 148 एवं नियम के अधीन क्रमसः अधिसंविधीय संसद महाल के विषय तथा अल्पकालीन चारोंओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि किसी सत्र में किसी सदस्य की अधिकतम दो सूचनाओं पर ही चर्चा रखी जा सके।

6. नियमावली के नियम 54 के तहत प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की शालाता पर सदन में नियम से पूर्व उसी प्रस्ताव के विषय-वस्तु

का सहन में पहुँच जायेगा जो सूचना सुम्प्त एवं अधिक लघ्यात्मक हो, भले ही वह सर्वेत्रभ्यम् प्राप्त न हुई हो।

7. ऐसी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ जो विचारोपरात ध्यानाकरण के रूप में परिवर्तित कर प्राप्त की जाती है, उनमें भी उसी प्रस्ताव के विषय-वस्तु को दिया जायेगा जो सूचना अधिक लघ्यात्मक होगी और उस सूचना के प्रेषक का नाम प्रथम क्रम में दिया जायेगा।

8. यदि ध्यानाकरण के रूप में परिवर्तित स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकरण की सूचना के तथ्य लगभग एक ही प्रकार के हों, तो जिन माननीय सदस्यों को ध्यानाकरण की सूचना, स्थगन प्रस्ताव सूचना से पहले प्रस्तुत की गई हो, ऐसे सदस्यों के नाम वहाँ क्रम में दिये जायेंगे। प्रथम तीन के प्राप्त में यदि स्थगन प्रस्ताव के प्रेषणकर्ता का नाम आयेगा, तभी उसका नाम कार्यसूची में शामिल किया जायेगा अन्यथा नहीं।

9. किसी विषय पर ध्यानाकरण के सूचना ग्राह्य होने पर भी अधिक लघ्यात्मक सूचना के प्रेषणकर्ता का नाम पहले दिया जायेगा। अन्य दो ध्यानाकरण प्रेषणकर्ताओं के नाम बाद में दिये जायेंगे। दूसरे और तीसरे क्रम में भी अधिक लघ्यात्मक सूचना देने वाले सदस्यों को ही प्राप्तिमिकता दी जायेगी।

10. एक ही विषय पर स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकरण सूचना प्राप्त होने की स्थिति में यदि स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सम्भावना वहीं की गई और ध्यानाकरण सूचना ग्राह्य हो गई है तो मात्र ध्यानाकरण सूचना के प्रेषणकर्ताओं के नाम ही कार्य सूची में दिये जायेंगे, स्थगन प्रस्ताव प्रेषणकर्ताओं के नाम, भले ही ध्यानाकरण प्रेषणकर्ता एक ही हो।

11. किसी विषय पर ध्यानाकरण सूचना की ग्राहकता की जानकारी, सूचना पट्टि पर लगावे जाने के बाद उसी विषय पर प्राप्त ध्यानाकरण, स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के नाम कार्यसूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

## अध्याय-४

## विधान

**सरकारी**  
विधेयकों को  
पुरः स्थापित  
करने की  
अनुमति के  
लिए प्रस्ताव  
की सूचना

विधेयक  
पुरः स्थापित  
करने की  
अनुमति के  
लिए प्रस्ताव  
का कार्य  
मूली में  
समिलित  
किया जाना

उन सदस्यों

## (क) विधेयक का पुरःस्थापना और प्रकाशन

8.(1) विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने का इच्छुक मर्गी अपने उस अधिकार को लिखित सूचना देगा।

(2) इस निर्देश के अधीन विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना देने की अवधि सात दिन की होगी जब-तक अधिकार कम समय की सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।

9. पुरःस्थापन के लिये कोई विधेयक किसी दिन की कार्य मूली में तब-तक समिलित नहीं किया जायेगा जब-तक कि उसकी प्रतियोगी उस दिन से, जब कि विधेयक का पुरःस्थापन होनेवाला हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपर्योग के लिये सूचना कार्यालय में उपलब्ध न करा तो गई हो;

परन्तु यह कि जिन मामलों में भी यह चाहता हो कि प्रतियोगी उपलब्ध किये बिना अथवा उपलब्ध करने के पश्चात किन्तु उस दिन से यहले विधेयक पुरःस्थापित किया जाए, तो वह पूरे-पूरे कारण देते हुए अधिकार के विचार के लिए एक आपन द्वारा यह बतायेगा कि सदस्यों को यहले से प्रतियोगी दिने विधेयक क्यों पुरः स्थापित किया जा रहा है, और यदि अधिक अनुमति दे, तो विधेयक उस दिन की, जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विचार हो, कार्यमूली में समिलित कर दिया जायेगा, ज्ञापन में दर्शित कारण भी प्रकर के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाएंगे।

## (ख) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

10. (1) उन सदस्यों के नाम, जिन्होंने एक से विधेयक की

अलग-अलग सूचनाएं भी हों, कार्य सूची में विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति के प्रस्ताव के सामने एक साथ दिखाये जायें।

(2) ऐसे सदस्यों को नाम विधेयक के साथ उस ग्रन्थ में रखें जायें, जिसमें समय की दृष्टि से सूचनाएं प्राप्त हुई हों।

(3) जिस सदस्य का नाम पहले आता हो, वह विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा।

11. जिस सदस्य ने विधेयक के पुरःस्थापित करने की

अनुमति का प्रस्ताव करने के अपने अधिकार की सूचना दी हो, वह किसी दूसरे सदस्य को अपने और से प्रस्ताव करने का प्राधिकार दे सकेगा;

परन्तु ऐसा प्राधिकार लिखित होगा और उसमें वह स्पष्ट उल्लेख होगा कि किन विधिएँ कारणों से उक्त अधिकार दूसरे सदस्य को दीपा जा सका है;

परन्तु यह और भी कि विधेयक के ग्रन्थात् में प्रकाशित होने से पहले विधेयक के साथ सलान डैटेंशन्स और कारणों के विवरण पर उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जिसने उसे शास्त्राव में पुरःस्थापित किया हो।

12. अध्यक्ष, विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा इस बारे में आवेदन किये जाने पर तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि यह सदस्य ऐसे कारणों से जिनको अध्यक्ष पर्याप्त समझता हो, विधेयक को पुरःस्थापित होने की आगे की किसी या सभी प्रकारों की स्वयं आगे चलाने में असमर्थ है, विधेयक को प्रभारी सदस्य की विधेयक के उस प्रक्रम या प्रक्रमों की आगे चलाने के लिये जिनके संबंध में उसने आवेदन किया हो, दूसरे सदस्य का नाम विर्देशन करने की अनुमति दे सकेगा।

(ग) विधेयकों को शुद्ध करने की प्रक्रिया

13. किसी विधेयक के पुरःस्थापित रूप में या किसी विधेयक के प्रभार समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में सभा द्वारा स्वीकृत

को नामों का  
एक साथ  
रखा जाना  
जिन्होंने एक  
से गैर

सरकारी  
विधेयकों की  
सूचनाएं भी  
हों  
विधेयकों के  
पुरःस्थापन के  
लिये प्राधिकार

का दिया जाना  
पुरःस्थापन के  
बाब विधेयक  
को आगे  
चलाने के  
लिये दूसरे  
सदस्य को  
प्राधिकार का  
दिया जाना

विधेयकों को  
विधिन प्रक्रमों  
में शुद्ध करने  
की प्रक्रिया

संशोधन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

परन्तु अभ्यास शुद्ध-पत्र निकाल कर विधेयक के किसी भी प्रकार पर मुद्रण या लिपिकीय गलती को शुद्ध कर सकेगा।

**अन्तरावधि में प्राप्त विधेयकों को**  
जूँगानित करने की अनुमति के लिये अन्तर्वाचों के अधिकारियों को मुश्यम  
में अन्य प्रस्तावों की सूचनाओं के बारे में कार्रवाई

( च ) अन्तरावधि में प्राप्त विधेयक की सूचना

14. यदि किसी विधेयक के पुरामानन के वर्चात् उसके संबंध में नियम के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव की सूचना मध्य के साक्षात्कारों की विधि और अगले सत्र के लिये आहान-पत्र भेजने की विधि के बीच ग्रान हो, तो ऐसी सूचना की जगहमी सत्र के लिये दी गई सूचना समझा जाएगा।

#### ( छ ) विनियोग विधेयक

**विनियोग  
विधेयक की  
अविभाग**

15. ( 1 ) वह विधान सभा नियम, विनियोग विधेयक के संबंध में लागू न होगा, जिसके अनुसार किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव होने के कम से कम दो दिनों के पूर्व विधेयक को प्रतिमां सदस्यों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होता है।

( 2 ) कोई भाद्रस्य विधेयक को विचार में लाने के भूल प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में विधेयक के परिचालित करने का प्रस्ताव अथवा द्रवर समिति को सीधे जाने का प्रस्ताव जिस नियम के अनुसार कर सकता है, वह नियम विनियोग विधेयक के संबंध में लागू न होगा।

( 3 ) विनियोग विधेयक का परिचालन सभा-सचिवालय द्वारा सदस्यों के बीच किया जाएगा।

अध्याय-५  
याचिकाये

16. (1) जैशी ही कोई याचिका प्राप्त हो उसकी प्राप्ति तथा सभा की स्वीकृति जो सूचना परीक्षण-१ में दिये गये तत्त्व में भी जायेगी।  
 (2) प्रत्येक याचिका को उस सभा में उपस्थिति करने से बैठकें कब विधिवत् गठित होंगी:

- (क) समूचित रूप में है
- (ख) सम्मानपूर्ण, शिष्ट और सवत भाषा में लिखी गई है
- (ग) नियमों और विधियों के, जो समय-समय पर लिये जाए, अनुकूल है।
- (3) याचिका का परीक्षण हो जाने और उसके नियमनुकूल तथे जाने के बाद वह सभा में सदस्य या सभि कुछ याचिकायिति उपस्थिति या प्रतिवेदित की जायेगी;

परन्तु सभा के समझ विचाराधीन, विधेयक संबंधी याचिका को स्थिति में, या उसको प्राप्ति के बाद वह सभा संभव शीघ्र सभा में याचिकायिति, उपस्थिति या प्रतिवेदित की जायेगी;

परन्तु यह और भी कि प्रब्रह्म समिति के समझ विचाराधीन विधेयक संबंधी याचिका की स्थिति में याचिका सभा में उपस्थिति किये जिन ही समिति को विर्द्धि की जा सकती है।

17. यदि कोई याचिका प्रस्तुत किये जाने के बाद दोषपूर्ण पार्द जाये, तो वह अध्यक्ष के जारीहा से चारपास को जा सकेगी और याचिकाकार को तदनुसार सकारण सूचना दी जायेगी;

परन्तु इस प्रकार चारपास की गई सूचना दीप के परिमार्जन के उपरान्त अध्यक्ष अनुमति से प्रतिवेदितकर्ता सदस्य द्वारा पुनः प्रस्तुत की जा सकती है।

दोषपूर्ण  
याचिकाओं  
का चारपास  
किया जाना

**पारिकाओं  
की ग्राहता  
के आधार**

18. यदि पारिका भी ग्राहता का विश्वाय करने के लिये संबंधित विभाग से कुछ तथ्यों की जानकारी लेना आवश्यक समझा जाये, तो उसे संबंधित विभाग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, और तथ्य इकट्ठे किये जायेंगे अथवा उसके द्वारा उस पर जो कार्रवाई की गई होगी, उसका पता लगाया जायेगा।

अध्याय-6  
सभा समितियाँ

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क) सभा समितियों पर लागू होने वाले सामान्य आदेश</p> <p>19. इस आदेश में, जब-तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, समिति का तात्पर्य है और इसमें समिक्षित है नियम 2 के अंतर्गत में परिभासित सभा समिति या अधिक द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये गठित समिति।</p> <p>20. ऐसे मोलीं को छोड़कर निनके लिये किसी विशेष समिति के बारे में निर्देश में विशेष उपचार किया गया हो इस अध्याय के सामान्य निर्देश सभी समितियों पर लागू होगे और वहाँ तक किसी समिति संबंधी विशेष निर्देशों में कई उपचार सामान्य निर्देशों से असंगत हो, तो विशेष निर्देश लागू होगी।</p> <p>21. (1) किसी समिति की बैठक में कुछ कहने का इच्छुक सदस्य सभापति को संबोधित करेगा और सभापति को संबोधित करके ही अन्य सदस्यों से सारी चाहीं कहेगा;</p> <p>(2) जब तक सभापति न पुकारे, तब तक कोई सदस्य नहीं बोलेगा;</p> <p>(3) जब कोई सदस्य अन्य सदस्य के भाषण के बीच में कुछ कहना चाहे तो उसे ऐसा करने के लिये सभापति से अनुमति लेनी होगी।</p> <p>22. यदि सभापति यह समझे कि प्रश्न पर वर्णित चर्चा हो चुकी है तो वह आगे और चर्चा के बिना प्रश्न भवित्व के लिये रख सकेगा और उसके बारे में किसी विचार पर चर्चा सकेगा।</p> <p>23. यदि कोई सदस्य ऐसे प्रश्न पर पूछः विचार करना चाहे विषय पर समिति पहले ही निर्णय कर चुकी हो तो उसे वैसा करने</p> | <p>समिति में<br/>सभा समिति<br/>समिक्षित<br/>होना</p> <p>सभा<br/>समितियों पर<br/>सामान्य<br/>निर्देश का<br/>लागू होना</p> <p>समिति की<br/>बैठक में<br/>प्रक्रिया</p> <p>सभापति द्वारा<br/>भवित्व के<br/>लिये प्रश्न<br/>रखा जाना<br/>किसी प्रश्न<br/>पर पुनर्विचार</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

के इच्छुक  
सदस्य द्वारा  
सभापति को  
अनुज्ञा लेण  
समिति की  
कार्यवाही  
गोपनीय  
होगी

के लिये पहले सभापति की अनुज्ञा लेनी होगी:

24. (1) समिति की कार्यवाही गोपनीय समझी जायेगी और समिति के किसी सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी उस कार्यवाही तक पहुँच है, उसकी कार्यवाही और प्रतिवेदन या उसके अंतिम या अंतिम निष्काश के बारे में प्रतिवेदन के सभा में उपस्थिति से पहले किसी को भी प्रश्न या अप्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी देने की आज्ञा नहीं होगी।

(2) जब कभी "गुरु" या "गोपनीय" अकिञ्चन्नों पत्र या दस्तावेज जिसी समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाए तो किसी भी सदस्य द्वारा उस पत्र या दस्तावेज की विषय-बन्धु अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विभिन्न टिप्पणी में या सभा में या अन्य प्रकार में प्रकट न होकी जायेगी और जब ऐसी अनुज्ञा मिल जाये तो उस दस्तावेज में समिमिलित जानकारी भी प्रकट करने की रीत या सीमा के बारे में अध्यक्ष द्वारा लगाये गये बंधन का कठोरता के साथ पालन किया जायेगा।

उप समिति  
की नियुक्ति

25. (1) यदि कोई समिति विशेष बाहर पर विचार करने के लिये नियम के अधीन उप समिति नियुक्त करें तो उप समिति का प्रतिवेदन उप समिति की ओर से सभापति के समुचित हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया जायेगा और उसकी प्रतियां समिति के सभी सदस्यों को उसके उप समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये समर्पित होने से पहले उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) समिति का सभापति, उप समिति के लिए संयोजक नियुक्त करेगा।

(3) उप समिति में, किसी विषय पर विचार के तहम में व्यापार संभव, उसी प्रक्रिया का अनुकरण किया जायेगा जिसका सम्बूर्ध समिति में किया जाता है।

साक्षियों का  
परीक्षण

26. (1) समिति अपने तात्पर या अनुरोध किये जाने पर विशेषज्ञों या खाली रखने वाले पर्यावरण का साक्षय ले सकती है।

(2) जो साक्षी किसी समिति के समक्ष आने की इच्छा अवश्य करें वे पहले लिखित जापनों की पर्याप्त प्रतिक्रिया समिति के सदस्यों को वितरित करने के लिये बैठेंगे और फिर समिति अपनी बैठक में उन लिखित जापनों पर विचार करके यह निर्णय कर सकती है कि क्या उन साक्षियों को समिति के समक्ष साझे की लिये बुलाया जाये।

(3) मैं (नाम) \_\_\_\_\_ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सन्दर्भिता मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि इस भावले में मैं को साथ हूँगा, वह सत्य होगा तथा साथ का कोई अंश मिथ्या नहीं होगा।

27. जब कोई साक्षी किसी समिति के समक्ष साझे देने आये तो सम्पादित साक्षियों को यह सम्पर्क कर देता कि उसका साथ सार्वजनिक समझा जायेगा और उसे प्रकाशित किया जा सकता है जबकि कि मैं समझता; यह न चाहें कि उनको द्वारा दिये गये साक्ष्य का पूरा या जोई अंश गोपनीय समझा जाये किर भी साक्षियों को यह सम्पर्क कर दिया जायेगा कि भले ही मैं चाहें कि उनका साथ गोपनीय समझा जाये, साथ विधान सभा सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

28. (1) साक्षी बैठते समय द्वाकर समिति के समाप्ति एवं यथाविधि समिति/उप समिति का अधिकादन करेंगे और इस प्रकार उनके प्रति आदर प्रदर्शित करेंगे।

(2) साक्षी उस स्थान पर बैठेंगे, जो समाप्ति के आसन के बिलकुल सामने उसके लिए निश्चित किया गया हो।

(3) साक्षी को समाप्ति या संयोजक द्वारा कहे जाने पर शपथ लेनी चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए, ऐसी दशा में शपथ या प्रतिज्ञान सधिक द्वारा कराया जायेगा, साक्षी अपने स्थान पर खड़ा होकर शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और ऐसा करने से पहले और करने के तुरन्त बाद द्वाकर समाप्ति का अधिकादन करेगा।

(4) साक्षी को चाहिए, कि समाप्ति, संयोजक या समिति के किसी सदस्य या समाप्ति द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पूछे जाने वाले विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दे। साक्षी से समिति के समाने ऐसी अव्य वाले रखने के लिये कहा जा सकता है कि समिति को दिये गये ज्ञापन में न हों और जिन्हे साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझें।

शपथ के

मात्र साक्ष्य

साक्षियों का

साक्ष्य

सार्वजनिक

समझा जाना

साक्ष्य के

दीर्घन

पालनीय

नियम

(5) सभापति तथा समिति को किसी गया प्रत्येक निवेदन रिप्ट तथा नम्र भाषा में होना चाहिए।

(6) जब साक्ष्य पूरा हो जाये और साक्षी से छले जाने के लिये कहा जाये तो उसे जाते समय दृक्कार सभापति का अधिकादन करना चाहिए।

**समिति के सम्बद्ध सम्बादी अधिकारियों का साक्ष्य**

29. (1) ऐसे मामलों में जहाँ किसी सचिवालयीन अधिका अन्य विभाग या संस्थान को किसी मामले पर समिति के समझ साक्ष रेता है तो उस सचिवालयीन विभाग या अन्य विभाग या संस्थान की ओर से यथास्थिति उसका सचिव अवका विभागाभ्यस्त ही साक्ष देना।

परन्तु समिति का सभापति युलाए गए या साक्ष भेजूँ अल्हूत अधिकारी द्वारा इवर्य निवेदन किये जाने पर किसी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी को भी समिति के समझ सचिवालयीन अवका अन्य विभाग या संस्थान का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) समिति सचिवालयीन अवका अन्य विभाग या संस्थान से इस बात की याग कर सकती है कि वे चर्चावीन विषय पर उपने विचार प्रकट करते हुए लिखित ज्ञापनों की प्रतिव्यक्ति वर्णन संख्या में विभान सभा सचिवालय को भेजे ताकि वे समिति के सदस्यों को उस लिखि से पहले जिस लिखि की उस विभाग या संस्थान की प्रतिलिपि का समिति के समझ साक्ष देना हो, वितरित किये जा सकें।

**साक्षियों द्वारा लिये गये ज्ञापनों पर विचार**

30. साक्षियों द्वारा दिये गये ज्ञापनों की प्रतिव्यक्ति समिति के सभी सदस्यों को वितरित हो जाने के बाद समिति पहले तन पर विचार करेगी और फिर ज्ञापनों में शामिल बातें भी समष्टकीकरण या चर्चा से उठाने वाली किन्होंने दूसरी नई बातों के रूप में ज्ञाक्षियों से प्रश्न पूछ सकेगी।

**साक्षियों से प्रश्नों का पूछा जाना**

31. (1) पहले सभापति कोई प्रश्न पूछ सकेगा और उसके बाद वह एक-एक करके समिति के दूसरे सदस्यों से पूछने के लिये कड़ सकेगा।

(2) माली सभापति भी अनुमति से समिति के साथने ऐसी

दूसरी संगत जनकारी रख सकेगा जो पहले समिति के सम्बन्ध में रखी गयी हो।

32. किसी समिति के सम्बन्ध विचारधीन विषयों के बारे में साकार ये सही संदेश और अधिकारियों, संस्थानों और सार्वजनिक निकालों से प्राप्त होने वाले सारे सुझाव, जापन तथा अध्यावेदन इत्यादि सचिव विधान सभा के नाम से बेचे जायेंगे और यदि किसी मामले में कोई पत्र, जापन इत्यादि सभापति के नाम से अध्यका अन्यथा दीर्घे बेचा जाये तो उसे कार्यवाही तथा अधिकारियों के लिये विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा।

33. (1) यदि सभापति को राय में समिति के सम्बन्ध प्रस्तुत किये गये किसी दस्तावेज, अध्यावेदन, जापन इत्यादि में ऐसे शब्द वाक्यांश अथवा अधिकारियों हों, जो असंसदीय या असंगत हो अतिथि जो विनाश, शिक्षण और संघटन भाषा में न हो अथवा अन्यथा अनुचित हों, तो वह ऐसे शब्दों, वाक्यों अथवा अधिकारियों को उस दस्तावेज से निकालने का आदेश दे सकेगा।

(2) उपर्युक्त (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष को ऐसी ही अधिकारियों में किसी अंश को निकालने का आदेश देने अथवा इस प्रकार के दस्तावेजों से किसी अंश को निकालने गये उन सब विविध विषयों को पुनरीक्षण का अधिकार होगा और उसके संबंध में उसका विनियोग अतिम होगा।

34. (1) समिति को कार्यवाही शब्दः होगी और गोपनीय समझी जायेगी।

(2) अध्यक्ष के सम्मुचित आदेश से इसे पूर्ण रूप से अथवा अंशतः प्रकाशित किया जा सकेगा।

35. (1) समिति के निर्णय संसेप में समिति को कार्यवाही सारांश में अधिकारियों के लिये जायेंगे।

(2) कार्यवाही सारांश का प्रारूप विधान सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया जायेगा।

(3) प्रत्येक बैठक का कार्यवाही सारांश समिति के सदस्यों को भेजा

समिति के विचाराधीन विषयों के बारे में संवेदन सचिव के बारे में संवेदन सचिव के नाम भेजा जाना

समिति के सम्बन्ध प्रस्तुत किये गये वस्तावेजों में से असंसदीय शब्दों, वाक्यांश या अधिकारियों का निकाला जाना

शब्दः  
कार्यवाही

बैठकों की कार्यवाही का सारांश

जो सकोगा उनमें से संतु अंश यदि आवश्यक जाये तो फिसी सचिवालयीन विभाग अथवा प्रशिकारी को भी अभ्यक्ष को आदेश से भेजा जा सकेगा;

(4) यदि कोई मदरस्य कार्यवाही सारांश में इस आधार पर कोई रूप भेद करता चाहे कि वे किसी किये गये निर्णय को अनुकूल नहीं है तो वह मामला समिति को अगली बैठक में रखा जायेगा और उसके संबंध में समिति जो निर्णय करेगी उसको बैठक के कार्यवाही- सारांश में सम्बोधित कर लिया जायेगा।

(5) कार्यवाही सारांश, सामान्यतः, गोपनीय समझा जायेगा।

36. (1) समिति समय-समय पर सभा को अध्यक्ष अध्यक्ष के समक्ष जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन उपस्थापित करेगी।

(2) प्रतिवेदन का प्रारूप विभान सभा सचिवालय द्वाट तैयार किया जायेगा और सभापति द्वाट अनुमोदित किये जाने के बाद समिति के समक्ष रखा जा सकेगा।

प्रतिवेदन में  
साक्ष का  
उल्लेख  
37. समिति, प्रतिवेदन में चहों काही आवश्यक हो, उसके समक्ष दिये गये साक्ष का उल्लेख कर सकेगी।

नियम 217  
के अधीन  
समिति के  
प्रतिवेदन  
अध्यक्ष को  
प्रस्तुत किया  
जाना

(1) साधारणतया समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किया जायेगा परन्तु यदि समिति ऐसे समय अपना प्रतिवेदन पूरा कर से जब सभा का सत्र न हो रहा हो तो समिति का सभापति उसे अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) नियम 217 के उपबंधों के अधीन प्रतिवेदन के सभा में उपस्थापित किये जाने के पूर्व अध्यक्ष उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिये आदेश दे सकेगा।

(3) यदि प्रतिवेदन अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित किया गया हो अथवा उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिये अध्यक्ष द्वाट आदेश दिया गया हो तो इस बात को सूचना पत्रक (विवरणिका) भाग-दो के सामग्रम से दी जायेगी।

(4) अभ्यक्ष, प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन अथवा उसके सभा में

उपस्थापित किये जाने से पूर्व समिति द्वारा आवश्यक किये जाने पर निर्देश दे सकेगा कि तथ्यात्मक बातों अथवा प्रत्यक्ष गलतियों को सुधार दिया जाए।

(5) प्रतिवेदन आगते सप्त में प्रथम सुविधावानक अवसर पर समाप्ति द्वारा या उसकी अनुसीधति में समिति के किसी सदस्य द्वारा सभा में उपस्थापित किया जाएगा। प्रतिवेदन उपस्थापित करते समय समाप्ति या उसकी अनुसीधति में प्रतिवेदन उपस्थापित करने वाला सदस्य इस आशय का एक संबिल वक्तव्य देगा कि जब सभा का सत्र नहीं हो रहा था तभी समय यह प्रतिवेदन अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था और अध्यक्ष द्वारा उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिये विषय के अधीन आदेश दिया गया था।

(6) विरोग समितियों की स्थिति में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाने पर प्रतिवेदन का उपस्थापन सचिव द्वारा सभा में किया जाएगा।

(7) यदि प्रतिवेदन को अध्यक्ष के सम्मुख उपस्थापित किये जाने के बाद और सभा में उपस्थापित किये जाने से पूर्व विधान सभा विभागित हो जाये तो प्रतिवेदन सचिव द्वारा प्रथम सुविधावानक अवसर पर नवगठित विधानसभा के पटल पर रखा जायेगा। प्रतिवेदन के पटल पर रखते समय सचिव इस आशय का वक्तव्य देगा कि प्रतिवेदन विडली विधानसभा के विषट्टन के पूर्व अध्यक्ष के सम्मुख उपस्थापित किया गया था और यदि अध्यक्ष द्वारा नियम 217 के अधीन उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिये आदेश दिये गये हों तो सचिव इस बात की सूचना भी सभा को देगा।

39. समिति/उपसमिति के समाप्ति/संबोधक को समिति/उप समिति द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदन में उसके, व्यासिति, सभा अध्यक्ष अथवा सम्पूर्ण समिति को प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के पूर्व प्रत्यक्ष गलतियों अथवा तथ्य संबंधी विषयों को सुधार सकने को समिति होगी।

समिति/उपसमिति के समाप्ति/  
संबोधक को  
प्रतिवेदन में  
प्रत्यक्ष गलतियों  
अथवा तथ्य  
संबंधी विषयों को  
सुधार सकने की  
इच्छा

**प्रतिवेदन का  
मुद्रण तथा  
परिचालन**

40. (1) प्रतिवेदन, उसे संबंधित इस्तावें भहित, यदि कोई हो तो उसके सभा में अध्या अध्यक्ष, जैसी सिविल हो, उपस्थिति किये जाने से पहले अध्या बाद में मुद्रित किया जायेगा।

(2) जब तक प्रतिवेदन सभा में या अध्यक्ष के समझ उपस्थिति न किया जाये तब तक यह गोपनीय समझा जायेगा;

(3) सभा में प्रतिवेदन के उपस्थिति के बाद यथारौप्र प्रतिवेदन की छापी हुई प्रतिवेदन सभा के सरकारों और सरकार के संबंधित विभागों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों, एकाधिकारियों को भेजी जायेंगी, जिन्हें भेजने का समय-समय पर निर्णय किया जाये।

**समिति की  
विभागों पर  
को गई  
कार्यवाही**

41. (1) विभागों को विभान सभा सचिवालय को समझ-समय पर समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में दर्शाई गई विभागों पर कोई गई अध्या करने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विवरण प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत होने के पश्चात् अधिक से अधिक छः माह के अन्दर देने हों, समिति की विभागों द्वारा लिखित या भौतिक रूप में दिये गये आलोचनाओं के अनुसार कोई गई अध्या करने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी भी विभागों द्वारा विभान सभा सचिवालय को होप्र दी जायेंगी। इस उक्त से प्राप्त होने वाली जानकारी को विभानसभा सचिवालय द्वारा एक विवरण पत्र के रूप में समिति के समझ रखा जायेगा, समिति द्वारा इस विवरण के आधार पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन यथारौप्र सभा के समझ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) ऐसे नियमों में विभाग कोई विभाग समिति द्वारा कोई गई विभागों को कार्यान्वयन करने की विधियाँ में न हो अध्या उसको पूरा करने में कठिनाई अनुभव करता हो, तो विभाग अपने विचार यदि कोई हो तो उपर्युक्त निर्धारित अवधि में समिति के समझ रखेगा, समिति यदि ठीक समझे तो उस सम्बन्ध में विभाग के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद सभा के समझ प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यान्वयन प्रतिवेदन में शामिल करेगी।

**विशीक  
समितियों के  
सम्भापनि या**

42. (1) जब कोई प्रावक्तव्यन समिति या लोक लेखा समिति अध्या सरकारी उपकारों संबंधी समिति के किसी सदस्य या सभापति को सरकार द्वारा गठित किसी समिति, योई अध्या नियम की सदस्यता

के लिये अधीक्षित किया जाये तो नियुक्ति स्वीकार करने से पूर्व वह मामला अध्यक्ष के सामने रखा जायेगा।

(2) यदि अध्यक्ष वह बात ठीक न समझे कि प्राक्कलन या लोक लेखा अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का कोई सदस्य या सभापति सरकार द्वारा गठित समिति, और अथवा निगम में काम करे जब तक कि वह प्राक्कलन या लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य रहता हो तो वह सदस्य या सभापति सरकार द्वारा बनाई गई समिति को सदस्यता की नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा।

(3) जहाँ संसदीय कार्य के हित में अध्यक्ष प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य या सभापति को, जैसी भी स्थिति हो, सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति, और अथवा निगम को सदस्यता स्वीकार करने की अनुमति दे दी जाये तो अध्यक्ष वह निर्देश दे सकेगा कि सरकारी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व वहा-स्थिति, प्राक्कलन या लोक लेखा अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष ऐसी टिप्पणी के लिये जैसा कि समिति ठीक समझे रखा जायेगा।

43. (1) जब कभी और वह सदस्य, जो सरकार द्वारा गठित किसी समिति का सदस्य हो, प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य नियुक्ति दी जाये तो इस विषय को अध्यक्ष के समक्ष इस बात का निर्णय करने के लिये रखा जायेगा कि वह उस सदस्य को पहली समिति का सदस्य बने रहने की अनुमति होगी;

(2) जहाँ अध्यक्ष किसी सदस्य के योग्यताएँ प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये नियुक्त हो जाने पर उसका सरकारी समिति के सदस्य के रूप में काम करना अनुपयुक्त समझे, तो यदि अध्यक्ष ऐसा चाहेगा, तो उस सदस्य को सरकार द्वारा गठित समिति की सदस्यता से त्वागपत्र देना होगा।

सदस्यों की  
सरकारी  
समितियों के  
सदस्यों के  
रूप में नियुक्ति

सरकारी  
समिति के  
सदस्यों की  
विचार  
समितियों के  
सभापति या  
सदस्यों के  
रूप में  
नियुक्ति

## ( च ) विधेयको संबंधी प्रवर समितियाँ

प्रवर समितियों  
को भेजे गये  
झापन/  
अभ्यावेदन

44. जब किसी विधेयक संबंधी प्रवर समिति को भेजा गया कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन समिति की बैठक के बाद किसकी समय विभानसभा सचिवालय में प्राप्त हो, तो वह समिति को अधिलेखों का अंत तक जायेगा और जब तक कि उस समिति के प्रतिवेदन के साथ या अलग से सभा में उपस्थापित न कर दिया जाये, कोई व्यक्ति अभ्यक्ष करे अनुमति के लिए उसमें से उद्धरण नहीं दे सकेगा या किसी और को उसकी प्रतिक्रिया नहीं भेज सकेगा।

विधेयक पर  
सामान्य चर्चा  
नहीं होगी।

प्रवर समिति  
की बैठक में  
संशोधन प्रस्तुत  
किये जाने की  
प्रक्रिया

45. विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार करके सभा द्वारा उसका सिद्धांत मंग्रु किये जाने के बाद समिति में समूचे विधेयक पर आगे सामान्य चर्चा करने की आज्ञा नहीं होगी।

46. (1) जो सदस्य उपर समिति की बैठक में संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हो उसे एक दिन पहले संशोधन प्राकृप सहित सूचना की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भेजनी होगी; संशोधन की प्रतियाँ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रवर समिति की बैठकों में चर्चा की सुविधा के लिए प्रवर समिति के सभी सदस्यों को बैठक प्रारंभ होने से पूर्व उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) यदि कोई प्रश्न उठे कि क्या कोई विशेष संशोधन विधेयक को शोध में है? तो इस प्रश्न का निर्णय प्रवर समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा।

विधेयक पर  
खण्डण; चर्चा  
रहेगा; चर्चा

47. सभापति सामान्यतः विधेयक को प्रवर समिति के समष्ट खण्डण; रहेगा और सदस्यों से उनको टिप्पणीय भारी कोई हो, तो करने के लिये कहेगा और उसके बाद सदस्य अपने संशोधन, यदि कोई हो तो प्रस्तुत कर सकेगा।

प्रवर समिति के  
काम में प्रगति

48. (1) सभापति प्रवर समिति के काम की प्रगति के बारे में अभ्यक्ष को समय-समय पर सूचित करता रहेगा।

को सूचना  
अभ्यक्ष को देना

(2) जब कभी किसी प्रवर समिति में उसके समष्ट विधेयक के बारे में प्रगति ऐसी हो, जिससे प्रतिवेदन के सभा में उपस्थापन में देर हो जाने की संभावना हो, तो जैसे ही सभापति को

वह स्पष्ट हो जाये कि देर होने की समस्या है, वैसे ही उस मामले की अध्यक्ष के भवन में लापा जायेगा। असमान्य वित्तन की दशा में सम्बद्धि उन परिस्थितियों को, जो इस दौरे के लिये किम्बेहार है। तथा काम पूरा होने में लगने वाले समय के आपने अनुमान की ओर किसी दूसरे मामले को जो उसके विचार से अध्यक्ष की भवन में लापा जाना चाहिए संशोधन में बतायेगा।

49. समीक्षा या उसकी अनुसन्धिति में समिति का कोई सदस्य, प्रब्रह्म समिति के प्रतिवेदन विस्तृत विषय हो, इस्यारी आदेश क्रमांक 48 (2) के अनुसार अध्यक्ष को शुचित करने के बाद सभा में प्रस्ताव करेगा कि प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय प्रस्ताव में डिलीखित किसी का समय बढ़ाना

50. (1) प्रब्रह्म समिति द्वारा विधेयक पर अतिम भूमि से विचार समाप्त किये जाने के पूर्ण किसी समय समिति को कोई सदस्य कोई आपने अपना विषयों विस्तृत उसमें विधेयक के संबंध में अपने विचार विश्वाकार दिये ही, प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। विधेयक पर झापन प्रस्तुत करना

(2) सम्भास्ति यदि डिलीखित समझे तो वह निर्देश रे. सकेगा कि विषयों या उसके उद्दरण्यों को प्रतिवा समिति के सदस्यों में परिचालित की जाये,

51. सभी वाचिकाएँ जो विभान सभा सचिवालय में प्राप्त हुई हों और जो नियमों के अधीन आहु भागी जाये उस विधेयक विस्तृत उनका संबंध हो संबंधित प्रब्रह्म समिति को निर्विट समझी जायेगी। समिति द्वारा उन वाचिकाओं का परीक्षण किया जायेगा और आवश्यकतानुसार वाचिकाओं को सुनवाई भी की जा सकेगी। विधेयकों संबंधी याचिकाएँ विधेयक संबंधी प्रब्रह्म समितियों को निर्विट समझा जाना

52. जब कियको प्रब्रह्म समिति को, कोई वाचिका, अप्पत्वेदन अपना आपन प्राप्त हो, तो समिति के प्रतिवेदन में ऐसे दस्तावेजों की संलग्न चलाई जायेगी और उसके साथ एक परीक्षण भी जोड़ा जायेगा विसमय संघेय में उनका ज्योत्तर और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण दिया जायेगा। याचिकाओं द्वारा जारी की गई वाचिकाएँ को प्रब्रह्म समिति के प्रतिवेदन में वर्णित जाना

53. वाचाक अन्यथा निर्देश न दिया जाये तो किसी विधेयक संबंधी प्रब्रह्म समिति के प्रतिवेदन में प्रत्येक सम्बले को देखते हुए प्रतिस्थापन के प्रतिवेदन का प्रतिस्थापन

आवश्यकतानुसार प्राक्कलनात्मक कॉडिकार्ट होंगे, जैसी कि गोरिशाल  
2 में दी गई है।

**प्रब्र समिति  
के प्रतिवेदन  
पर विभाति  
टिप्पणी**

**विभाति  
का विभाति  
टिप्पणी**

54. यदि कोई सदस्य प्रब्र समिति के प्रतिवेदन में विभाति टिप्पणी जोड़ना चाहे तो वह अपना विभाति टिप्पणी समिति के सभापति द्वारा निरिचत को नहीं लिखि और समय तक या उससे पहले समिति को दे देगा।

55. यदि सदस्य द्वारा ऐसे गये किसी विभाति टिप्पण में लिखि व वीरुद्ध हो तो विभाति को वह विभान सभा संचिवालय में प्राप्त हो वह लिखि हस्ताक्षर करने वाले के नाम के आगे विभ रूप में दिखाई जायेगी;

(....., 2001..... को प्राप्त हुआ)

**समिति की  
बैठकों से  
अनुपरिषत  
सदस्य का  
विभाति  
टिप्पणी**

**प्रतिवेदन पर  
विचार हो जाने  
तथा उसके  
स्वीकृत हो जाने  
के एव्वात् सदस्य  
द्वारा विभाति  
टिप्पणी दिया  
जाना**

**प्रब्र समिति  
के प्रतिवेदनों  
का सुनान**

56. कोई सदस्य, जो किसी समिति की उस बैठक का बैठकों में जिसमें समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त रूप पर विचार किया गया हो और उससे संतोषित अभाव उसके बिना, जैसी भी विभाति हो, अनुमोदित किया गया हो, अनुपरिषत था, विभाति कप से यह प्रमाणित करने के बाद ही कि उसने प्रतिवेदन को पढ़ लिया है, विभाति टिप्पणी है सकेगा।

57. विभाति टिप्पणी समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्राप्त रूप पर विचार और उसके स्वीकृत हो जाने के बाद ही दिया जायेगा।

58. जैसे ही प्रब्र समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थिति किया जाये प्रतिवेदन को विभातिकृत पत्रों के साथ भुक्ति किया जायेगा और सभा के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा—

(क) विभाति टिप्पणी, यदि कोई हो।

(ख) विभेदक प्रब्र समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(ग) वाचिका समिति

59. सभा के समक्ष याचिका को उपस्थापन के बाद याचिका समिति उस पर विचार करने के लिये यथारौप्र समझें होंगी:

परन्तु यदि कहें याचिका ऐसे विधेयक के संबंध में हो जो सभा के विचाराधीन हो, तो सभा में उसके उपस्थापन अवश्य प्रतिवेदन के बाद याचिका समिति यथारौप्र समझें होंगी और सभा में विधेयक के लिये जाने से पर्याप्त फहले यथास्थिति सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी जो सदस्यों को उस याचिका के परिचालन का निर्देश देंगी;

परन्तु यह और भी कि पहले से ही सभा के चारोंभाँग किसी विधेयक पर याचिका की स्थिति में याचिका समिति उसकी प्राप्ति के परवान उसके उपस्थापित किये जाने पर तुरन्त उस पर विचार किये जाने के लिये समझें होंगी और सभा द्वारा उसको पारित किये जाने से पर्याप्त पहले, यथास्थिति, सीधा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी जो सदस्यों के बीच उस याचिका के परिचालन का निर्देश देंगी।

60. समिति विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों, पांच, छह से प्राप्त अभ्यावेदनों आदि पर भी जो याचिकाओं से संबंधित नियमों के अंतर्गत नहीं जाते हैं विचार करने के लिये बिली बार जावयवक्ता हो, और उसके निपटारे के लिये निर्देश देंगी:

परन्तु निम्नस्थित होणियों के अंतर्गत आने वाले अभ्यावेदनों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु सचिवालय में प्राप्त होने पर उन्हें याचिकाकालद किया जायेगा-

( 1 ) जब रहित पर जिन पर भेजने वाले के नाम और/या पते नहीं दिये गये हों या अपलॉड हो, और

( 2 ) अच्छा या विधान सभा के अंतरिक्ष अन्य प्राधिकारियों को संबोधित पांच की पृष्ठाकृत प्रतियां, जब-तक कि ऐसी झड़ि पर मामले के विवारणार्थ प्रार्थना करते हुए विशेष विवेदन न किया गया हो।

प्रतिवेदन के  
उपलब्धान के  
बारे याचिकाकार  
को सुनिश्चित किया  
जाना

विभागों के  
अनुसारों के  
परीक्षण के  
संबंध में  
प्रक्रिया

61. प्रतिवेदन के उपलब्धान किये जाने के बाद प्रधम याचिकाकार  
को इसके बारे में सुनिश्चित किया जायेगा।

(४) प्रावक्तव्य समिति

62. (१) समिति सम्म-सम्मय पर वह विभाग या विभागों का  
वह वर्ग चुनेगी जिसके प्रावक्तव्यों का परीक्षण दर्शे करना हो।

(२) प्रायोक विज्ञीय वर्ष के प्रावर्ष में समिति उस विभाग या  
उन विभागों के प्रावक्तव्यों के किसी भाव से संबंधित विषयों का  
चुनाव करेगी जिनका परीक्षण उस सम्बोधित वर्ष के दौरान करना  
हो, विभाग या विभागों से इर्दगिर्द समय पूर्व कहा जायेगा कि वे उसमें  
संबंधित सम्मत मुसंगत जानकारी समिति को प्रस्तुत करने के लिये  
एकत्रित करें।

(३) जिस विभाग या विभागों के प्रावक्तव्यों का परीक्षण  
समिति द्वारा किया जाने चाहा हो उससे विभाग सभा समिति, जिसे  
इसके पश्चात् अधिक काह रखा है, हिस्सित रूप से गृहीत कि वे  
समिति को जानकारी के लिये प्रावक्तव्यों को अधारधात आवश्यक  
सामग्री प्रदान करें। समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री का स्वरूप  
निम्नलिखित होगा:-

(एक) विभाग का संगठन और उससे संलग्न तथा उसके अधीन  
कार्यालय (संवित व्याख्यात्मक दिव्यांशों द्वारा पुष्टि करते हुए जानकारी  
दी जानी चाहिए)।

(दो) विभाग और इससे संलग्न तथा उसके अधीन कार्यालयों  
के कार्य

(तीन) स्थूल व्यंगे विन पर प्रावक्तव्य अधारित हो,

(चार) विभाग और उससे संलग्न तथा उसके अधीन कार्यालयों  
में प्रावक्तव्यों की अधिक की रीतन कार्य की मात्रा तथा तुलना हेतु  
गत तीन वर्षों के तट्टवशब्दक आंकड़े देते हुए,

(पांच) में योजनाएँ अवका परियोजनाएँ जो विभाग द्वारा हाथ  
में ली गई हों (योजना का नाम और व्याप्र, व्यय का प्रावक्तव्य, वह

अधिक जिसके भीतर उसके पूर्व होने की संभावना हो, प्राप्ति, यदि हुई हो अद्याधिप्रगति दी जानी चाहिए।

(८) पूर्वकी तीन बारों के दैशन प्राप्तकालनों के प्रत्येक उपरोक्तक के बीचे विवाह गण वास्तविक रूपमें

(सात) गण बारों के वास्तविक आकारों और चालू प्राप्तकालनों में यदि कोई विभिन्नता हो तो उसके कारण

(जाड) विवाह द्वारा अपने कार्य के संबंध में जारी किये गये प्रतिवेदन यदि हों।

(नौ) कोई अन्य जानकारी जिसे समिति मंगावे, अथवा जिसे देना विभाग आवश्यक अद्यावचित समझो।

जब समिति को यह प्रतीत हो कि किसी विशिष्ट विषय के विचारार्थ उपर दिये गये समलै मुद्रदो पर जानकारी की आवश्यकता नहीं है अथवा किसी अन्य रूप से जानकारी की आवश्यकता है तो समिति उस इवाहन में परिवर्तन कर सकता है।

(५) संबंधित विभाग निर्दिष्ट प्रतिवेदन बीम-बीम की संख्या में विभान सभा सचिवालय को प्रस्तुत करेगा।

(६) ज्योही विभान सभा सचिवालय में प्रतिवेदन प्राप्त हो ज्योही उनका परिचालन सदस्यों को किया जायेगा।

(६) प्रतिवेदन को पूरा घट लेने के पश्चात् सदस्य वैसे प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं जिन पर वे अधिक जानकारी चाहते हों, ये प्रश्न या भूमि वैठक की तिथि से बाहर से बाहर तीन दिन वहाँ विभान सभा को भेज दिये जावेंगे। यदि अल्प सूचना पर समिति की वैठक हो तो कापर निर्दिष्ट तीन दिन की अवधि सभार्थियों के जावेश से कम की जा सकती।

(७) इसी भाँति सदस्याणा अपने सुझाव, यदि कोई हो, वैठक की तिथि से एक दिन पूर्व समिति के विचारार्थ भेज सकते हैं।

(८) उपरोक्त परिच्छेद (६) तथा (७) में उल्लिखित विषयों तथा सुझाव का परिचालन सदस्यों में वैठक प्रारंभ होने से पूर्व

समय-समय पर किया जायेगा। विषयों और सुझावों की अधिक प्रतिशत भी आवश्यक हउतर तैयार करने के लिये संबंधित विभाग को भेजी जायेगी। विषयों और सुझावों को एक प्रति वित विभाग के बाहर से भेजी जायेगी।

(9) समिति जिस तिथि या जिन तिथियों को संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को बुलाने का नियमन करे उस दिनको या उन दिनोंको विभाग का सचिव या विचाराधीन तथा वित विभाग का प्रधिकृत प्रतिनिधि प्राक्कलन का अद्यता समझाने तथा ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित होंगे जैसी समिति उचित समझे।

(10) समिति का समाप्ति एक को पश्चात एक छम में दिये गये विषय या प्रश्न पुकारेगा तथा संबंधित विभाग तथा वित विभाग के प्रतिनिधि तिथित को स्पष्ट करेंगे। यदि विषय को अधिक विषद करने की आवश्यकता ही तो समाप्ति अव्य सदस्यों को मौखिक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है। संबंधित विभाग अध्यक्ष वित विभाग का प्रतिनिधि ऐसे प्रश्नों का जलार या तो उसी समय दे सकता है या बाद में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यक कर सकता है।

(11) सचिव ऐसे मुद्रे लिख लेगा जिन पर समिति अधिक जानकारी चाही गई है तथा समाप्ति के निवेदा के अधीन ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी आवश्यक हो।

(12) समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का अभिवेद सचिव द्वारा रक्खा जायेगा।

(13) सचिव: तैयार की गई कार्यवाहीयां गोपनीय रूपी जायेगी तथा ऐसी किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखलाई जायेगी जो समिति का सदस्य नहीं होगा। वितरण हेतु अध्यक्ष उल्लेख करने के लिये केवल वे ही पत्र उपलब्ध होंगे जो सदन के पालन पर रखे गये हैं।

(14) सचिव गोपनीय समिति की बैठक के कार्यकृत का प्राक्कल समाप्ति के अनुमोदन तथा हस्ताक्षर के लिये तैयार करेगा।

(15) जब प्राक्कलन के किसी भाग का परीक्षण दूर्घ हो जाए तब समिति आगे सिफारिशें (अभिप्रसाप) तैयार कर सकत है।

(16) प्रत्येक "प्रारूप" प्रतिवेदन अध्यक्ष उसके किसी भाग

पर समिति की बैठक में विचार किया जायेगा तथा उपर्युक्त और यत्नमण करने वाले सदस्यों के बहुमत से किये जाने वाले विर्यप उसमें समिक्षित किये जायेंगे।

(17) यह सम्म्य की सिवाति में सभापति अपने निर्णयक या द्वारा उस विषय का निर्णय करेगा।

(18) उसमें विभिन्न दियान न होंगा।

(19) जब समिति प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार कर रही हो अथवा किसी विचार पर अपने भल निर्धारित कर रही हो तब ऐसा कोई भी अधिकृत उस बैठक में उपर्युक्त नहीं रहेगा जो समिति का शास्त्र या विभान सभा समिक्षालय का अधिकारी नहीं है।

(20) प्रतिवेदन को एक अधिक प्रति "गोपनीय" अंकित करके सम्बिति विभाग को तथा संबंधी अधीन के सम्बालन के लिये और ऐसी कार्यवाही के लिये भेजी जायेगी जैसा आवश्यक हो तथा उसकी प्रतिवाचित विभाग को भी भेजी जायेगी। प्रतिवाच या तो मूलतात्व या कार्यवाही के लिये ऐसे अन्य पदाधिकारियों को भी दी जा सकेगी जैसा कि सम्बिति निर्दित हो। सम्बिति विभाग को हितापास रे दी जायेगी कि वे प्रतिवेदन के बीतर दी गई बातें तब-तक गोपनीय रहें जब तक कि वह विभान सभा के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाये।

(21) प्रतिवेदनों को विभान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले सभापति सम्बिति विभाग द्वारा सूचित किए गये प्रारूप प्रतिवेदन में ऐसे तथा संबंधी परिवर्तन कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(22) सभापति समिति की ओर से प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर करेंगा।

(23) ज्योही प्रत्येक प्रतिवेदन पूर्ण हो जाए, उसे विभान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मुक्ति कराया जायेगा। यदि अन्येतिहासिक समिक्षितियों के कारण मुक्ति प्रतिवाच प्रस्तुत के लिये विषय तक उपलब्ध न हो तो प्रतिवेदन को घक्खालित (साइक्लोस्टिल) प्रति

विधान सभा के समस्य प्रस्तुत की जायेगी और मुक्ति प्रतिवेदनों द्वारा यहां में ही जायेगी।

(24) प्रतिवेदन या कार्यवृत्त सापारण्णः सभा के समस्य सभापति द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे परन्तु यह विस्तीर्ण कालण्डश यह ऐसा करने में असमर्थ हो जो समिति के सदस्यों में से कोई भी उसकी ओर से प्रतिवेदन या कार्यवृत्त प्रस्तुत कर सकता है।

(25) समिति को बैठक ऐसे समय और इतनी अधिक के लिये ही सकेगी जितना कि सभापति समय-समय पर निर्धारित करे।

(26) यदि समिति उप-समितियों में विभाजित हो जाये तो प्रत्येक उप समिति को प्रक्रिया वही होगी जो सम्पूर्ण समिति को होत है।

(27) सभापति के निर्देश से सचिव यह प्रबन्ध करेगा कि बनता की सूचना के लिये समिति के कार्यकलाप का प्रकाशन हो जाए।

(28) सचिव समिति को बैठकों के लिये किये गये खालीयों का हिसाब रखेगा।

(29) इनके अतिरिक्त प्रक्रिया संबंधी जो और चाहें समय-समय पर निर्धारित की जाये तो इन विषमों में समाविष्ट की जायेगी।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन

63. (1) सलकारी प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद यथावृत्त समसे पहले समिति को प्रतिवेदन में विविध सिफारिशों पर जीवी गई कार्यवाही का विवरण देगी। विवरण में सिफारिशों को बारे में, जिसमें सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों भी सम्मिलित होंगे, सरकार के विचार निहित होंगे।

(2) उत्तर प्राप्त होने के बाबतीप्र पश्चात् समिति उन पर विचार करेगी और अलिम रूप से यह विविधत करेगी कि उसे उत्तर स्वीकार है या नहीं शासन द्वारा जो सिफारिशों स्वीकार न की गई हो उनके उल्लंघन के बारे में समिति अपने विचार व्यक्त कर सकती है यदि यह सरकार के उत्तरों को स्वीकार न करे। तापश्चात् समिति सभा को यह अलाने के लिये समिति की मूल सिफारिशों पर कम कार्यवाही की गई

है, सभा पर एक विवरण रखेगी। विवरण के निम्नलिखित तीन भाग होंगे :-

- भाग (1) - सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें,
- भाग (2) - सरकार के उत्तर जो यद्यपि सिफारिशें से भिन्न हों किन्तु समिति द्वारा स्वीकार कर लिये गये हों, और
- भाग (3) - ऐसे घटनाएँ जिनमें समिति की सिफारिशें सरकार को स्वीकार्य न हो और सरकार के उत्तर पर समिति के विचार।

#### ( क ) प्रत्यायुक्त विधान समिति

64. प्रत्यायुक्त विधान समिति उन सारे आदेशों का परीक्षण समिति का कर सकेंगी जो सविधान अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकार को इस द्वारा प्रकार के 'आदेश' बनाने की शक्ति प्राप्तयोगिक करने वाली किसी सविधि के उपबंधों के अनुसारण में बनाए गये हों।

65. समिति को उपर्योग के लिये विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को 20 प्रतिशत देनी होगी;	विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा सामग्री का दिया जाना
(एक) सविहित उथा संवैधानिक आदेश;	
(दो) ऐसे आदेश के संशोधन।	
(तीन) ऐसे आदेशों के पुर्वमुद्रित संस्करण, जब भी वे मुद्रित किये जायें।	

66. (1) प्रत्यायुक्त विधान समिति उन सारे आदेशों का परीक्षण कर सकेंगी जो सविधान अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकार को इस प्रकार के आदेश बनाने की शक्ति प्राप्तयोगिक करने वाली किसी सविधि के उपबंधों के अनुसारण में बनाये गये हों, जाहे सभा पट्ट पर रखे गये हों अथवा नहीं।

(2) समिति ऐसे विवेयकों के उपबंधों को परीक्षा कर सकेंगी, जिससे -

(एक) "आदेश" देने की शक्तियों का प्रत्यायोजन होता हो,

अथवा

(२) ऐसी शक्तियों को प्राप्तिकरण करने वाले पहले अधिकारियों में संशोधन होता हो, ताकि वह देख सके कि उनसे सभा पटल पर "आदेश" रखने के लिये उपयुक्त उपबन्ध कर दिये गये हैं।

(३) शक्ति "आदेश" से संबंधित जिसी अन्य घामले अथवा उसमें उठने वाले अधीनस्थ विभाग को किसी प्रश्न पर विचार कर सकेगी।

**आदेश के पटल पर रखे जाने के पश्चात् विभाग द्वारा आदेश से संबंधित साहित्य का प्रशास्य**

67. किसी "आदेश" की संघर्ष में प्रशासकीय विभाग द्वारा:

(अ) एक टिप्पणी विसमें आदेश या संशोधन के संबंध में स्पष्टकीरण लिया जायेगा कि उस नियम या संशोधन के बनाये जाने के उद्देश्य और कारण क्या है, तथा

(आ) एक उपबन्ध जिसमें निम्नांकित उपयुक्त उद्देश दिये जाते;

(१) नियम बनाने संबंधी धारा का, संचढ़ पद जिसके अधीन नियम बनाये गये हैं;

(२) यदि संबद्ध पद में किसी धारा का उल्लेख किया गया है, तो वह धारा;

(३) नियम अथवा उपनियम, जिसके स्वाम पर दूसरा नियम अथवा उपनियम प्रतिस्पृशित किया गया है;

(४) नियम अथवा उपनियम विसे नियम किया गया है;

(५) नियम अथवा उपनियम में संशोधन जिसका आदेश में उल्लेख किया गया है;

(६) जब किसी नियम अथवा उपनियम के पश्चात् कोई परन्तुक अथवा स्पष्टीकरण दोइा गया है तो वह नियम अथवा उपनियम यदि उपर्युक्त विनापरन्तुक अथवा स्पष्टीकरण को न समझा जा सका हो;

(७) जब किसी स्पष्टकीरण का संशोधन किया गया है तो संबद्ध नियम अथवा उपनियम को बीम प्रतिवर्ती शक्ति के उपयोग के लिये विभाग सभा नियमित्य को भेजी जायेगी।

68. (1) किसी "आदेश" के सम्बल पर रखे जाने के बाद विधान सभा सचिवालय वह विश्वाय करने के लिये उसका चरीकण करेगा कि उसको नियम में दिये गये किसी आधार पर अवश्य समिति को किसी प्रथा अथवा नियम के अनुसार समिति के व्याप में लाना आवश्यक है।

(2) यदि किसी "आदेश" के सबपत्र में प्रस्तुति होने अविवाकीकृत होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण आवश्यक समझा जाए हो, वह संबिति विधान को विदेश विधा जायेगा और उस विधय पर, यदि आवश्यक हुआ तो इस उत्तर को दूसिंह में रखते हुए दुर्विचार किया जायेगा।

(3) यदि किसी "आदेश" पर विचार करने के बाद कोई बात समिति के व्याप में लाना आवश्यक समझा जाए हो तो उस विधय पर एक परिषूर्ण ज्ञापन तैयार किया जायेगा और सभापति के अनुमोदन के पश्चात् समिति के समस्त रुपों जायेगा।

69. संग्रह "आदेश" के उद्घारणी सहित अनुमोदित ज्ञापन की प्रतियाँ, जहाँ आवश्यक हों, सम्भव होने पर छहते से समिति के सदस्यों को परिचालित की जा सकेंगी।

70. प्रतिवेदन के साथ सभा में विभिन्निकृत दस्तावेज भी उपस्थित किए जायेंगे :-

- (एक) प्रतिवेदन में कोई गई सिफारिशों का सारांश,  
(दो) ऐसी अन्य सामग्री, जो आवश्यक समझी जाए।

71. (1) विभागों को विधान सभा सचिवालय को सम्बन्ध-समय पर समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में कोई गई सिफारिशों तथा समिति को साथ चढ़ावहार में विभागों द्वारा दिये गये आवासों पर उनके द्वारा कोई गई अथवा प्रस्तुति कार्यवाही के विवरण देने होंगे। इस प्रकार से प्राच यूनियन समिति के समस्त रुपों जायेगी।

(2) ऐसे मामलों में जिनमें कोई सचिवालयीन विधाय समिति द्वारा कोई गई सिफारिशों को, कार्यवित्त करने की सिविल में न हो, अथवा उसको पूर्ण करने में कोई कठिनाई अनुभव करता हो, सचिवालयीन

परीक्षण की प्रक्रिया

ज्ञापनों का परिचालन

प्रतिवेदन के साथ अन्य दस्तावेजों का उपस्थापन

समिति की सिफारिश

विभाग अपने विचार समिति के समक्ष रखेगा और यदि समिति ऊपर समझे तो उस गठबंधने में सचिवालयीय विभाग के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद सभा के समक्ष एक और प्रतिवेदन उपस्थिति कर सकते हैं।

(च) सरकारी आश्वासन समिति

72. सदन में महिलों द्वारा आश्वासन दिये जाने पर संबोधित विभागों के अधिकारीगण तत्त्वज्ञ आश्वासन नोट करेंगे तथा उस पर कार्यालयी प्राप्ती कर कार्यालय के संबंध में अद्वितीय प्रतिवेदन सरकार द्वारा अगले सत्र में सभा में उपस्थिति किया जायेगा।

(छ) सरकार द्वारा गठित समितियों तथा अन्य निकाय जिनमें विधान सभा प्रतिनिधित्व होता है।

73. (1) जब सरकार द्वारा किसी अधिनियम के उपलब्धों के अंतर्गत अधिका अन्यथा गठित किसी समिति, आयोगों अथवा अन्य निकाय के लिये सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश है, सदस्यों के निर्वाचन का विनाम्र उपबन्ध होता है, निर्वाचन, यदि अध्यक्ष जन्मथा न हो, अध्यक्ष द्वारा समितियों के निर्वाचन के लिये बनाये गये विनियमों के अनुसार एकत्र संकलनामूल्य मात्र के द्वारा होता है।

(2) सभा द्वारा प्रभिकृत किये जाने पर अध्यक्ष कार्डिका (1) में वर्णित समितियों, आयोगों अथवा अन्य निकायों सहित सभा समितियों के लिये सदस्यों का मनोनयन स्वयम् भी कर सकते हैं।

आश्वासन  
का  
कार्यालयीनवयन

समिति तथा  
अन्य  
निकायों के  
लिये  
निर्वाचन  
नियम  
विधानसभा  
का  
प्रतिनिधित्व  
होता है।

अध्याय-७

### विधान सभा के स्थानों का त्वाग और रिक्ति

74. (1) नियमावली के नियम 316 के अधीन त्वागपत्र अध्यक्ष द्वारा उसके स्वीकार कर लिये जाने पर ही प्रभावी माना जाएगा;

सदन के स्थानों का त्वाग

(2) त्वागपत्र, उस लाईच में प्रभावी होगा जिस लिंग को वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाये तथा किसी सदस्य को वह अधिकार नहीं होगा कि वह त्वागपत्र को अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार लिये जाने के पश्चात् बापस ले जाए।

(3) ऐसा प्रायोक विविश्वय, जिसमें किसी सदस्य को संविधान की दसवीं अमृसूबी के अधीन निर्वाचित में इन्हें घोषित किया गया, सदन को बढ़ जड़ सत्र में है, तुरन्त अवकाश कराया जायेगा और यदि सदन राज में नहीं है तो सदन के पुनर्बन्धन होने के तुरन्त पश्चात् मूर्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोक विविश्वय पत्रक (विवरणिका) में प्रकाशित किया जायेगा और गोपनीय में अधिसूचित किया जायेगा तथा सचिव, उस विविश्वय की प्रतिष्ठा भारत के निर्वाचन आयोग को और फ़ारम्यांड सरकार के संबंधित विभाग और अप्रसारित करेगा।

## अधिकार-४

## सामान्य

(क) उस सदस्य को सूचना के बारे में कार्रवाही जो बाद में मंत्री नियुक्त हो जाये

उस सदस्य की  
सूचनाओं के  
बारे में  
कार्रवाही जो  
बाद में मंत्री  
नियुक्त हो  
जाए।

सूचनाएं दिये  
जाने के लिये  
समय-सीमा

75. यदि कोई सदस्य नियमों के अंतर्गत किसी विषय के बारे में लिखित सूचना देने के बाद मंत्री नियुक्त हो जाये, तो यह सूचना उस नियुक्ति की तिथि से व्यवस्त तापशीली जायेगी।

76. मीटिंगरिचर् भी अधिकारास के प्रस्तावों और विशेषाधिकार के प्रस्तावों की सूचनाएं अथवा अन्य कोई सूचना जो कि उस दिन की सभा के बैठक के अधिक होने से पूर्व ती जानी चाहिए, विस दिन के विषय को सभा में डाया जाना है, उस दिन 10.00 बजे ती जायेगा।

परन्तु ऐसी सूचनाएं यदि 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होंगी तो उन्हें आगामी बैठक के लिये दो गई सूचनाएं जाना जायेगा।

(ख) विधायक दल/विधायक समूह को मान्यता

विधायक  
दल/  
विधायक  
समूह को  
मान्यता देने  
की प्रक्रिया

77. (1) अध्यक्ष, सदस्यों की किसी संसद्या को सदन में कार्य करने हेतु विधायक दल/विधायक समूह के रूप में मान्यता दे सकता है और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) किसी विधायक दल/विधायक समूह को मान्यता देने के लिये अध्यक्ष निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगा:-

(क) जो सदस्य विधायक दल/विधायक समूह बनाना चाहते हों उनकी संसद्या ने सामान्य विधायक के समय संसदोंय कार्य की एक विशिष्ट विचारधारा और कार्यक्रम घोषित किया जो, विधायक

आधार पर ही सदन में चुनकर आये हैं।

(ख) सदन के भीतर और उसके बाहर उस संस्था का एक संगठन हो।

(3) उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार मानवता प्राप्त संसारीय दलों में से विस प्रतिपक्षी दल को सदस्य संख्या सभवे अधिक होती उस दल को मुख्य विरोधी दल और उस दल के नेता को नेता, विरोधी दल में जापेगा परन्तु वह संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के दुसरे भाग से कम नहीं होती।

(ग) सभा भवन का परिसर

78. प्रक्रिया नियमों में प्रमुखता "सभा के परिसर" शब्दों में जब सभा भवन इन शब्दों का प्रयोग नियम 2(1) के प्रायोजन के लिये न हो, का का परिसर नियम में डिस्टिंग्विशन रखने के साथ-साथ निम्नलिखित स्थान भी सम्मिलित होंगे:-

- (1) सदस्य काला
- (2) समिति काला
- (3) विधान सभा पुस्तकालय
- (4) सदस्यों के जलालान घृण
- (5) विधान सभा भवन तथा विधान सभा भवन के निकटस्थित इमारतों में स्थित विधान सभा के कार्यालय
- (6) उपर (1) से (5) में बताये गये विभिन्न कमरों को बिलाने वाले अधिका उन तक जाने वाले गतियारे तथा उपर, और
- (7) विधान सभा भवन की भूमि

79. (1) विधानसभा की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी विधान सभा परिसर में अवश्यक बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे सुरक्षा और वह सुनिश्चित करने के लिये वह हर संभव कार्रवाई करेंगे कि अधिकारी क विधान सभा सदस्यों को विधान सभा भवन में आने अथवा वहाँ से उत्तरदायित्व जाने में कोई वापर या अद्वेष न हो।

(2) विधान सभा का भव्यपूर्ण शोज और सभी भाग विधान सभा सदस्यों के लिये किसी बाधा अथवा अद्यतन से मुक्त और खुले रखने के लिए विधानसभा चम्प चरिसर में निम्नलिखित गतिविधियाँ निषिद्ध हैं :-

(क) अध्यक्ष की अनुमति के बिना सार्वजनिक सभा का आयोजन;

(ख) किसी प्रदर्शन, आन्दोलन या ऐसे किसी कार्य कियासे विधान सभा कार्य में व्यवहार संभवित हो, के लिये एकत्र होना डच्छा, ईंट, पापर आदि लेकर चलना;

(ग) आमेय अस्त्र, स्नादा, इस्तहार, ताढ़ी, पाला, उत्तवार, डण्डा, ईंट, पापर आदि लेकर चलना;

(घ) नारे लगाना या नौर-शराब करना;

(ङ) भाषण आदि देना;

(च) जुलूस अथवा प्रदर्शन,

(छ) प्रवेश रोधन अथवा धारना, तथा

(ज) कोई अन्य ऐसी गतिविधि अथवा आवश्यक विधान सभा या उसके सदस्यों को बाधा अथवा अद्यतन उपस्थित होती है, या होने की संभावना हो।

(3) विधान सभा चरिसर में अवैध प्रोसेस, अवैध कम्बल या अविक्रम को हटाने या अध्याय के नामेश द्वारा आविटिट परिसर/भवन इत्यादि को रिक्त करने के लिये अध्यक्ष के अनुदेश पर सुरक्षा से जुड़े अधिकारी आदेशों के पालनार्थ समर्त आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) विधानसभा चरिसर में व्यवस्था बनाये रखने के लिये सुरक्षा से जुड़े अधिकारी अध्यक्ष के अनुदेशों अथवा अनुद्धा से आवश्यकतानुसार पुलिस से भी सहायता ले सकते हैं।

विधानसभा  
के समिति  
काल का  
उपयोग

80. विधानसभा चरिसर के समिति काल अथवा अन्य कालों का उपयोग विधान सभा कार्य से अलग कार्य के लिये निषिद्ध होग, किन्तु अध्यक्ष की अनुद्धा से इन कालों का उपयोग एवं सकाल द्वारा अवैधित होता है, मानवा प्रबन्ध विधायक दरबंगे को बैठकों तथा सार्वजनिक हित के

कार्यों के लिये किया जा सकेगा।

**विधान सभा परिसर में सचिव के आदेश से प्रवेश पत्र जारी किया जाना**

81. (क) विधान सभा परिसर में अध्यक्ष द्वारा जारी समाचारों में वर्णित प्रक्रिया के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्रवेश सचिव के आदेश से जारी प्रवेश पत्र पर दिया जायेगा।

(ख) विधान सभा के नियमित कर्मसारियों और अधिकारियों हेतु "फोटो बुक्स पहचान पत्र" सचिव के हस्ताक्षर रो उस अवधि के लिये जारी किया जायगा, जो पहचान पत्र में अंकित है।

(ग) दैनिक बैठक भोगे कार्यिक तथा सदस्यों/योजनों के साथ आने वाले कार्यिकों हेतु नियोजक बोर्ड अनुशंसा पर अस्थायी सेवा प्रवेश-पत्र जारी किया जा सकेगा।

(घ) उप कार्डिका (ख) में वर्णित सेवा प्रवेश-पत्र के बाहर उन सभी देशी शाही का प्रत्यक्ष करना अनिवार्य होगा जो सेवा-प्रवेश पत्र वर्णित नहीं जाए।

(ङ) सेवा प्रवेश पत्र धरी व्यक्ति को परिसर में रहने के दौरान उन सभी देशी शाही का प्रत्यक्ष करना अनिवार्य होगा जो सेवा-प्रवेश पत्र वर्णित नहीं जाए।

(च) सेवा प्रवेश-पत्र किसी भी समय बिना कोई कारण व्यक्ति ने नियमित किया जा सकेगा और सबकीमात्र व्यक्ति को परिसर छोड़ने के लिये आदेश दिया जा सकेगा।

82. (क) विधान सभा परिसर में प्रवेश-पत्र की लाजवाब रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ललाशी सुनका में जुड़े अधिकारियों के निर्देश पर जो जा सकेंगे।

(ख) उपर्युक्त ललाशी के दौरान बरामद किये गये किसी भी भागित्य जनका आपरित्यजनक बद्दु को अध्यक्ष के आदेश से अधिग्रहित कर लिया जायेगा और उस संबंध में यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

**विधानसभा परिसर में सचिव के अदेश में प्रवेश-पत्र जारी किया जाना**

**परिसर में प्रवेश-पत्र धारक की तलाशी**

## ( ४ ) विभाजन द्वारा मतदान

विभाजन  
द्वारा मतदान  
की प्रक्रिया

83. ( १ ) विभाजन की मांग किये जाने पर सचिव विभाजन की घटी बजाए जाने का निर्देश देगा। घटी लगतार तीन मिनट तक बजाई जायेगी।

( २ ) समस्त सदस्यगण अपना-अपना आमन शहन करेंगे। तीन मिनट बीत जाने पर सभा कक्षों में जाने के दखाने बढ़ कर दिये जायेंगे और फिर न तो किसी भी सदस्य को सभावैशम में जाने की अनुमति नी जायेगी और न सभावैशम के भीतर की सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य सदस्य को विभाजन में छोग लेने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु अध्यक्ष के निर्देश से तीन मिनट की अवधि को दो मिनट और बदला जा सकता।

( ३ ) उपर के पैरा ( २ ) में बताई गई कार्रवाही हो चुकने पर अध्यक्ष प्रश्न को दूसरी बार रखेंगे और घोषित करेंगे कि उनके मतानुसार “हाँ” वालों की जीत हुई या “न” वालों की।

( ४ ) यदि इस प्रकार घोषित किये गये मत पर विभाजन की मांग तुष्टार्थ जोय तो अध्यक्ष निर्देश देंगे कि “विभाजित हो जाइये।”

( ५ ) तब मत देने के इच्छुक सदस्यगण अध्यक्ष के उमसा; याँ और याँ और वाले दरकारे में से अपनी स्थिरियों, ३ ( उपवैशम ) में जाना आवंट करेंगे।

( ६ ) “हाँ” तथा “न” वाले सभाकक्षों में नेत्रों पर रखे हुए मतदान पत्रों पर सदस्यगण अपने हस्ताक्षर करेंगे और फिर वे सभावैशम में लौट सकते हैं।

( ७ ) विभाजन की प्रक्रिया चालू रहते समय कोई भी ऐसा सदस्य जो नियम ( ५ ) में वर्णित रीति में किसी सभाकक्ष में जा चुका हो अध्यक्ष जी अनुमति के बिना अपने हिपरीत सभाकक्ष में नहीं जा सकता।

( ८ ) हल्लपचात् सचिव “हाँ” पहले और “न” पहले के मत निर्णयों और इनमें उपरिक्षित विन्तु मतदान में उठाये रखने वाले सदस्यों को संख्या चहित, अध्यक्ष को विभाजन का परिणाम देगा। अध्यक्ष

हीनों पक्षों में भाती या संखा की घोषणा करेंगे तथा प्रस्तावित प्रबन्ध सभा का निर्णय सुनायेंगे। बलदान में तटस्थ रहने वाले सदस्यों का पृष्ठकतः नामोल्लेख सदन के कार्यवाही चुनाव में शुद्धित किया जायेगा।

( उ ) मंत्री अध्यक्ष सदस्यों के बचतावधों में गलती या

अध्यक्षाद्यता बतलाना।

84. ( 1 ) जो सदस्य, मंत्री या फिरी अन्य सदस्य द्वारा दिये गये बकलाव्य में कोई गलती या अवधारणा बतलाना चाहे वह सदस्य में उस विषय का डाल्सेल करने के पूर्व गलती का विषय देते हुए अध्यक्ष या लिखेगा और उनसे सदन में विषय उपस्थित करने की अनुमति दीजेगा।

( 2 ) अपने अधिकाधन के समर्थन में सदस्य के पास ही सदन ही उसे अध्यक्ष के बाहर में तथ्याभक्त विधि जानने के उद्देश्य से उस विषय को संबोधित मंत्री या सदस्य के भ्यान में ला सकते हैं।

( 3 ) यदि अध्यक्ष को उचित प्रतीत हो तो वे फिरे गये अधिकाधन के बाहर में तथ्याभक्त विधि जानने के उद्देश्य से उस विषय को संबोधित मंत्री या अन्य सदस्य को उसका उत्तर देने की अनुमति दे सकते हैं।

( च ) पत्रों को पटल पर रखा जाना

85. ( 1 ) सभा पटल पर रखने के लिये विधिवत् प्रमाणीकृत कार्य से विहीन मंत्री से प्राप्त प्रायोक पत्र या दस्तावेज के संबंध में कार्यमूली में प्रविधि

( 2 ) यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई विशिष्ट विधि न सुझाया गया हो तो पटल पर रखने के लिये विचारों से प्राप्त पत्र सामान्यता या अपले दिन को कार्य-सूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

( 3 ) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों, अधिसूचनाओं, विविधों और प्रतिवेदनों आदि की 250 प्रतिर्या विचार में एक

प्रति संबंधित मंजी द्वारा प्रभागित होगी एवं अधिविषयम की संबंधित धारा को दो प्रतियों के सम्बन्धित विचारों द्वारा साधारणतया उस दिन से जिस दिन के उन्हें रखने का विचार हो, दो दिन पूर्व सेक्टी जायेगी तथा विशेष परिवर्तनालिङ्ग में अध्यक्ष, किसी भी मंजी को प्राप्तना करने पर कम समय की मूला पर पत्र पटल पर रखने की अनुमति दे सकेगा।

गैर सरकारी  
सदस्यों द्वारा  
पत्र पटल पर  
रखा जाना

36. अध्यक्ष द्वारा अधिकृत होने पर कोई गैर सरकारी सदस्य सभा पटल पर कोई पत्र रख सकेगा।

सरकारी  
सदस्यों द्वारा  
पत्र पटल पर  
रखने की  
प्रक्रिया

87. (1) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य सभा पटल पर कोई पत्र अध्यक्ष दस्तावेज रखना चाहे, तो वह पहले से उसकी एक प्रति अध्यक्ष को ऐसा ताकि वह वह निष्पत्र कर सके कि वह पत्र अध्यक्ष दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए, यदि अध्यक्ष सदस्य को पत्र अध्यक्ष दस्तावेज को पटल पर रखने की अनुमति दे तो सदस्य उसे उचित समय पर सभा पटल पर रख सकेगा।

(2) (क) यदि कोई सदस्य अपने आपने को मध्य अध्यक्ष को किसी पत्र अध्यक्ष दस्तावेज की प्रति देने के पूर्व ही उसे सभा पटल पर रखना चाहे, तो वह उसे पटल पर दे सकता है, किन्तु वह तब तक वह सभा पटल पर रखी गई नहीं रखनी जायेगी तब तक अध्यक्ष उसका परीक्षण करने के बाद आवश्यक अनुमति न दे दे।

(ब) यदि अध्यक्ष जावश्यक अनुमति न दे, तो वह पत्र अध्यक्ष दस्तावेज सदस्य को आपस कर दिया जायेगा और इस बात का उल्लेख कार्यसाही में कर दिया जायेगा।

## अध्याय-१

**विधान सभा की विभिन्न दीर्घीओं में दर्शकों का प्रवेश विनियमित करने हेतु विनियम**

88. दीर्घीओं के प्रकार : दीर्घीए मुख्यतः निमानुसार होगी,  
अर्थात्

(क) राजक दीर्घी जो निम्नलिखित उपलब्धों में विभाजित की गई है:-

विशिष्ट दर्शक दीर्घी

साधान दर्शक दीर्घी

(ख) अधिकारी दीर्घी - अधिकारी वर्ग के उपयोग के लिये

(ग) पत्रकार दीर्घी - पत्र प्रतिनिधियों के उपयोग के लिये

विशिष्ट दर्शक दीर्घी

89. (क) सार्वजनिक वीच में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों, विभिन्न निकायों के प्रदापिकारणों, विदेशों से आये प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा इसी कठोरि के अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिये है।

(ख) इस दीर्घी में निम्नलिखित व्यक्तियों जो भी प्रवेश-पत्र दिये जा सकेंगे, अर्थात्

(1) राज्यपाल के परिवार के सदस्य तथा उनके अतिथि

(2) अध्यक्ष के परिवार के सदस्य तथा उनके अतिथि

(3) अन्य राज्यों के मुख्य अधिकारी तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी

(4) संसद के सदस्य अधिकारी अन्य राज्य विधान बड़तों के सदस्य

(5) संसद तथा विधान सभा के भूत्यूर्ण सदस्य

(6) अन्य कोई व्यक्ति किसके लिये अध्यक्ष निदेश है।

90. इस दीर्घी में प्रवेश अधिकार को विशेष या सामान्य निर्णयानुसार जारी किये प्रवेश पत्रों द्वारा दिया जायेगा।

91. इस दीर्घी में प्रवेश को लिये आवेदन परिशिष्ट 3 में दिये गये प्रपत्र में दिया जायेगा।

92. इस दीर्घी में प्रवेश को लिये आवेदन-पत्र सचिव को पास नितना पहले संभव हो सके उनका पहले दिवा जाना चाहिए, किंतु भी दशा में ऐसा आवेदन एक बालित दिवम् को पहले जाले दिन के 3.00 बजे अपराह्न तक उड़ा जाना चाहिए तथापि यदि इसमें उपलब्ध हो तो विहित अधिकार के बाद आप आवेदन पत्रों पर भी प्रवेश-पत्र जारी किये जा सकेंगे।

93. अध्यक्षीय आदेशों को अधीन संचिव इस दीर्घी में किसी विशेष दर्शक या किन्हीं विशेष दर्शकों को लिये स्थान सुरक्षित रख सकेंगे।

#### सामान्य दर्शक दीर्घी

94. इस दीर्घी में प्रवेश को लिये आवेदन परिशिष्ट-4 में दिये गये प्रपत्र में दिया जायेगा।

95. इस दीर्घी में प्रवेश सचिव को आदेशानुसार जारी किये गये प्रवेश-पत्रों द्वारा निर्णय, प्रवेश पत्र उन्हीं अधिकारियों को लिये जानेंगे जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप से जानते हों अथवा जिनका परिचय सदस्यों में ऐसे व्यक्तियों द्वारा कराया गया हो, जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हों।

96. विभान सभा संविधालय को किसी कर्मचारी के संबंधी के नाम पर भी इस दीर्घी के लिये प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा।

97. साधारणतः प्राप्तक सदस्य को कर्वत तो प्रवेश-पत्र दिये जायेंगे और उससे अधिक प्रवेश-पत्र आवेदनकर्ता को स्थान उपलब्ध होने पर ही दिये जायेंगे।

98. व्यान्य विभाग संस्थाओं के नियमित विद्यार्थियों अथवा सरकारी विद्यालयों या अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के समूहों इत्यादि को इस दीर्घी में प्रवेश उस संस्था या संविधित विभाग के प्रमुख के

आवेदन पर दिया जा सके।

99. इस समूह के व्यक्तियों के बारे में आवश्यक विवरण संबंधित संस्कार या विचार के प्रमुख द्वारा उस दिन से पूर्ण तीन दिन पहले विस दिन भी बैठक के लिये प्रवेश-पत्र भीगे जाये संचित को लिखित रूप में दिया जाना चाहिए, प्रवेश-पत्र दीर्घी में स्थान छाली होने पर ही दिये जा सकेंगे। स्थानांतरण एक दिन में इस प्रकार के एक से अधिक समूह को प्रवेश न दिया जायेगा।

100. साधारणतया विद्यार्थियों के समूहों को तब तक कोई प्रवेश पत्र न दिया जायेगा जब तक उनके अध्यापक उनके साथ न हो।

#### अधिकारी वीथी

101. इस दीर्घी में अधर सचिव के पद से अनिम्न सरकार के वे अधिकारी बैठ सकते हैं। विनाको सदन में चलने वाले कार्य के संबंध में उपचालित रहना अवैधित है।

102. इस दीर्घी के लिये प्रवेश-पत्र अनुरोध किये जाने पर सरकार के समस्त विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार दिये जा सकेंगे।

पान्तु इस दीर्घी हेतु संपूर्ण सत्र अध्ययन उसके किसी भाग के लिये प्रवेश-पत्र भीग सत्र प्रारम्भ होने एक सप्ताह पूर्व सचिव विधान सभा की लिखित सूचना देकर की जा सकेंगी।

103. इस दीर्घी के लिये प्रवेश-पत्र विरीचिति के अनुसार या तो संपूर्ण सत्र अध्ययन किसी भाग के लिये अध्ययन किसी विशेष दिन के लिये दिये जा सकेंगे।

#### प्रश्नकार वीथी

104. प्रश्नकार दीर्घी, सामान्यतः ईंशक पत्रों, मान्य समाचार उपचोर अधिकारी, आकाशवाणी, दूरध्वनि, जनसम्पर्क विभाग, ड्रग्सग्राफ सरकार तथा पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.डी) आदि के प्रतिनिधियों के उपचोर के लिये है।

## संरचना

105 (1) प्रत्यक्ष दीर्घी में प्रवेश देने हेतु परामर्श देने को लिये अध्यक्ष, समय समय पर समाचार पत्रों, अधिकारणों के प्रतिविधियों की एक समिति का गठन कर सकते।

(2) अध्यक्ष विभान सभा समिति को पदेन सम्भापति होगे।

(3) अध्यक्ष को विवेक से सचिव, उप-सचिव या अवर सचिव विधान सभा समिति को पदेन सचिव होंगे।

(4) सचिव, अन्यस्थार्थ विभाग, इन्स्पेक्टर सरकार समिति के पदेन सदस्य होंगे।

गठन एवं  
कार्यकाल

106. (1) समिति का गठन समान्यतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किया जायेगा जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

परन्तु विधिवत होनेवाली समिति अनुबर्ती समिति के गठन तक कार्यकाल होगी।

(2) समिति का सदस्य उसी प्रकार को नामांकित किया जा सकेगा जिसको संसदीय रिपोर्टिंग का पर्याय अनुपात हो।

बैठक तथा  
कानून

107. (1) समिति की बैठक प्रत्येक सत्र के आरंभ होने के पूर्व अक्षय एवं दिन और समय पर होगी जो समिति का सम्भापति नियत करे।

परन्तु यदि समिति का सम्भापति तत्काल उपलब्ध न हो तो बैठक की तिथि और समय पदेन सचिव नियत कर सकता।

(2) समिति की बैठक गतित करने को लिये गणपूर्ति समिति की सदस्य मंडल के यथार्थपन एक विहार होगी।

(3) समिति के कार्य नियन्त्रित होगे :-

(क) अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये गये मामलों त्रैसे, समाचार पत्र, समाचार अधिकारणों आदि के प्रतिविधियों को प्रवेश-पत्र उपलब्ध कराने के मामले पर प्रमाणन देना;

(ख) ऐसे मामलों, जिसे प्रत्यक्ष-दीर्घी समिति आवश्यक समझे, जो विषय में समय-समय पर अध्यक्ष को अभ्यावेदन देना, उसकी सम्पत्ति ग्रान्त करना तथा अध्यक्ष अवकाश उसके प्राधिकार के

अनांत समिति को निर्विष्ट किये गये मामले में परमार्थ देना

(ग) पत्रकार-दीर्घों में समाचार पत्रों तथा समाचार अधिकारों आदि के प्रतिनिधियों को बिन्दे आसन निर्विष्ट किया जाना हो उक्त दीर्घों में आसन प्राप्त एवं पत्रकारों से संबंधित अन्य मामलों पर सलाह देणा।

(घ) पत्रकार दीर्घ समिति द्वारा उप समिति गठित की जा सकेगी जिसमें 6 से अधिक सदस्य होंगे यह समिति द्वारा सौंपे गये कार्यों को सम्पन्न करेगी।

108. (1) पत्रकार दीर्घ में प्रवेश पाने के लिये विहित दीर्घ में प्रवेश अधिकार-पत्र जिसमें नाम, उमा, अनुभव आदि को जानकारी दी गई प्रक्रिया हो समाचार पत्र अधिकार समाचार अधिकार के संघरणक अधिकार भूमि प्रमुख के हस्ताक्षर से सत्र प्रारम्भ होने से मात्र दिन पूर्व सचिव को दिया जायेगा।

(2) किसी भी समाचार पत्र अधिकारण को ऐसे प्रतिनिधि को ही प्रवेश पत्र दिया जायेगा जिसका पत्रकारिता का अनुभव कम से कम दोन वर्ष का रहे हो।

परन्तु ऐसे कारणों से बिन्दे अधिलिङ्गित किया जायेगा, आपत्तिक प्रकारणों में या समिति की अनुशंसा से किसी अन्य पत्रकार को भी प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा।

(3) प्रवेश-पत्र अधिकार के सम्मत अधिकारियों के अधीन सचिव द्वारा जारी किये जायेंगे, जिसे संबंधित प्रतिनिधि विधानसभा सचिवालय में रखी गई "पत्रकार पंडी" में अपने हस्ताक्षर करके स्वयं प्राप्त कर सकेगा।

(4) पत्रकार दीर्घ में प्रवेश हेतु प्रत्येक सत्र में निर्विष्ट किये अनुमति आवेदन (परिचालन-5) में देना अनावश्यक है।

(5) पत्रकार दीर्घ में किसी भी समाचार-पत्र अधिकार समाचार अधिकारण को एक से अधिक स्थान नहीं दिया जायेगा।

(6) यदि एक ही समाचार पत्र अधिकार समाचार अधिकारण आदि के एक से अधिक प्रतिनिधि पत्रकार दीर्घ के प्रवेश-पत्र वाले

तो उन्हें इस आवाय का लिखित आवेदन-पत्र संबिल के पास देना होगा, जो संबिल प्रतिनिधियों वो अलग वैकल्पिक प्रवेश-पत्र दे सकेगा ताकि वास्तव में किसी स्थान विशेष के लिए एक ही समय में एक समर्चन-पत्र अथवा समावर अधिकारण के केवल एक ही प्रतिनिधि को पत्रकार दीर्घ में स्थान दिया जा सके।

(8) सच की कार्यकारी का गलत बये से प्रकाशन, प्रह्लाने तथा उसमें का पूर्ण प्रकाशन, ऐसे विषय का प्रकाशन जो संवैसाम्भाव के लिये न हो, योडासीन अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश आदि का यातन व करना आदि कारणों से दीर्घ के लिये दिया गया प्रवेश-पत्र निरस्त करने का अधिकार अधिक्ष को होगा।

(9) गम्भीर स्तर के ऐसे सापाहिक/सालिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों को प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा जिनकी प्रसार संख्या एक लाख से अधिक होगी।

(10) दीर्घी के बाहर से अने वाले ऐसे अतिरिक्त पत्रकार जो विधानसभा की कार्यकारियों देखने के इच्छुक हों उन्हें पत्रकार दीर्घ समिति के किनी वो सदस्यों की लिखित अनुरोध संपर्क पर पत्रकार दीर्घ के लिये अवश्यक प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा जो सामान्यतः एक दिन के लिये होगा, एक दिन में अधिकतम घौष अतिरिक्त पत्रकारों को पत्रकार दीर्घ प्रवेश-पत्र जारी किये जा सकेंगे।

#### सामान्य

109. (1) सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा यांत्र जाने पर प्रवेश-पत्र दियाजा अधिकार होगा।

(2) प्रवेश-पत्र के खाली जाने पर उसकी लिखित सूचना तुरन्त संचिव को देनी ढौंगी तथा दूसरे प्रवेश-पत्र हेतु आवेदन-पत्रज्ञ होने पर नया प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा।

110. कोई भी दर्शक विका प्रवेश-पत्र के किसी भी दीर्घ में प्रवेश नहीं करेंगे।

111. प्रवेश-पत्र पाने के लिये सदस्यों का अधिकार समर्पणम होगा, संचिव चाहे तो विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी विहित प्रपत्र पर अनुरोध करने का प्रवेश-पत्र दे सकेंगे।

112. मध्ये प्रवेश-पत्र कोशल उसी लिख के लिये मान्य होंगे जिसके लिये वे जारी किये गये हों।
113. प्रत्येक दिव के लिये आवश्यक एक दीर्घा-प्रवेश-पत्रों के लिये अलग-अलग आवेदन-पत्र देता होगा।
114. अनुरोध करने पर प्रवेश-पञ्चालय से आवेदन-प्रपत्र की मुहित प्रतिबद्ध हो जायेगी।
115. आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र पर न होने पर अधिका विनम्रे आवश्यक जानकारी न दी गई होगी तब पर विचार नहीं किया जायेगा।
116. दीर्घाओं में आने के लिये निर्भीत मार्ग का प्रयोग करें एवं अन्य मार्गों का प्रयोग नहीं करें।
117. विधानसभा की बैठकों के समय सदन के भीतर, विधानसभा कक्षों में अधिका बोलत मदम्बन्धों के लिये सुरक्षित अन्य कक्षों में किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं जाने दिया जायेगा तब तक कि वह उस आशय को अनुमति सचिव से प्राप्त न कर ले।
118. किसी दर्शक को संबंध में पूछ उत्तरदायित उस सदस्य या अधिक पर ही रहेगा, जिसने उसे प्रवेश-पत्र दिये जाने की अनुशंसा की हो और जब तक वह दर्शक किसी दीर्घा में अधिका विधानसभा के आगामी में उपस्थित रहे तब तक उनके आचरण के लिये वही सदस्य या अधिक उत्तरदायी होगा।
119. प्रवेश-पत्र अहसाननदीय है, प्रवेश-पत्र चार लिखी हुई शहरी तथा इन विनियमों में विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन ही ये दिये जाते हैं।
120. दीर्घाओं में प्रवेश-पत्र सचिव के आदेश से ही सचिव को मुहर लगाकर जारी किये जायेंगे तथा उन पर विधानसभा के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे जिसे इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो।

121. किसी दिन के लिये आवश्यक प्रवेश हंतु आवेदन एक दिन पहले 12.00 बजे होनार में लिये जायेंगे। यदि उसके बाद भी स्थान खाली रहे तो उसी दिन भी प्रवेश-पत्र दिये जा सकेंगे जिस दिन लिये जैसे गये हों।

122. प्रवेश-पत्र उसी पूर्णाङ्कम से दिये जायेंगे जिस पूर्णाङ्कम में उनके लिये आवेदन-पत्र संचित के पास आये हों।

123. प्रवेश-पत्र को लिये दिये गये आवेदन अस्वीकृत होने के दूसरे दिन के लिये प्राप्त नहीं किये जा सकेंगे। जब तक कि वे नये प्रपत्र पर तुरः न दिये जायें।

124. साधारणतया प्रवेश-पत्र आवेदन करने जाने सदरमत्ते या व्यक्तियों को स्वयं प्रवेश-पत्र को प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर लेकर प्रवेश-पत्रालय में दिये जायेंगे।

125. (क) दर्शकों को दीर्घियों में जाति कायम रहनी चाहिए तथा ऐसी कोई बेचा नहीं करनी चाहिए जिसमें कार्यकारी में किसी भी भाँति बाधा पहुँचने की संभावना हो।

(ख) दर्शकों को अपने साथ दीर्घियों में सुरक्षा अधिकारी द्वारा निपिद्ध बस्तुएं जैसे शस्त्र, विस्टोटक, फैमट, लकड़ी, छाता, अटेंची, फैस, हैन्डबैग, पुस्तक और उपर्युक्त गोपनीय जादि ले जाने की अनुमति न दी जायेगी।

(ग) दीर्घियों में किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या एवं बौद्धना नियन्त्रण चरित है।

(घ) दीर्घियों को किसी भी पारा में कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा।

(ङ) 12 वर्ष से कम उम्र वाले बाकल/वालिकाओं को प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।

126. दीर्घियों के भीतर दर्शकों को पुस्तक या पत्र पढ़ाने-नियन्त्रण या वित्र बनाने या अपिरा गतासेवा का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

127. प्रवेश-पत्र भारणकर्ता को अपना प्रवेश-पत्र द्वारे पर हैमात् सुरक्षाकर्मियों को दिखाया होगा। सुरक्षा प्रहरी वर्ग के किसी भी व्यक्ति के कापी भी अनुरोध करने पर प्रवेश-पत्र तुरन्त प्रस्तुत करना होगा।

128. अधिक, किसी भी समय बिना कोई कारण बतलाये किसी भी दौर्घट का कोई प्रवेश-पत्र रद् कर सकता है अपना किसी भी दरोक को दीर्घ से या परिसर से बाहर जाने को कह सकता है भले ही उसके पास प्रवेश-पत्र हो।

129. जब दीर्घ से बाहर जाने का आदेश हो तो उस काम के लिये हैमात् सुरक्षाकर्मी को यह देखना होगा कि दरोकगण आदेशों का तुरन्त पालन करें।

130. ये विनियम समय-समय पर परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार अधिक के आदेश से परिवर्तित किये जा सकते हैं।

## परिशिष्ट-1

[ देविय स्थायी आदेश नंबर 31 (1) ]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

प्रेषक,

अवर सचिव

झारखण्ड विधानसभा

सेवा में,

श्री.....

रौधो दिनांक : .....

विषय:

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपको दिनांक ..... को चाचिका  
प्राप्त हुई।

भवदीय

अवर सचिव  
झारखण्ड विधानसभा

## परिशिष्ट-2

[देखिय स्थायी अदेश क्रमांक 68]

प्रबार समिति के प्रतिवेदन की प्रारंभिक कठिनिकाएँ

मैं, उस प्रबार समिति का सचापति, जिसे.....(यहाँ  
विधेयक का पूरा नाम लिखिए) विधेयक "सौना गया था, उसको और से प्रतिवेदन  
प्रस्तुत करने के लिये प्राप्तिकृत किए जाने पर उसका प्रतिवेदन जिसके साथ समिति द्वारा  
संशोधित रूप में विधेयक संलग्न है, प्रस्तुत करता हूँ।

2. यह विधेयक विभानसमा मे..... तिथि को पुरस्थापित किया  
गया था। विधेयक को उच्चार समिति को सौंपने का प्रस्ताव थी.....  
(जाम) द्वारा ..... (तिथि) को प्रस्तुत किया गया था।

3. समिति की कुल ..... (संख्या) बैठकें हुईं।

4. समिति की पहली बैठक..... (तिथि) कार्यक्रम  
हैपार करने के लिए हुई थी। इस बैठक में समिति ने उन संवाहाओं का साक्ष मुनाफे का  
विणीय लिया, ..... (तिथि) तक इस अधिग्राम की प्रारंभना करे।  
समिति ने ..... (टैरे का प्रयोजन) के लिए, ..... (तिथियों) का थी..... (स्थान का दौरा करने का विषय किया।

5. समिति के तदनुसार ..... (कोन्टॉ के नाम) का.....  
(तिथियों) को दौरा किया।

6. समिति ने निम्नलिखित संघाजों के प्रतिनिधियों का साक्ष उन तिथियों को  
जो उनके नाम से सामने थी हुए हैं, मुना:-

(1) .....

(2) ..... इत्यापि।

दिये गये साक्ष का सक्षेप इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। (समिति ने संविस्तार  
दिये गए साक्ष की एक जटिल सभा पटल पर रखने का निश्चय किया)

7. समिति ने ..... (तिथियों) की बैठकों में विधेयक पर  
खण्डण: विचार किया।

8. समिति ने ..... (तिथि) को.....

(उद्देश्य पर) विचार करने के लिये.....(संख्या सदस्यों की) एक उपसमिति नियुक्त की। उप समिति का प्रविद्वन ..... (तिथि) को समिति को प्रस्तुत किया गया था। (प्रतिवेदन परिचयट के रूप में दिया जाएगा)

9. प्रबल समिति का प्रारंभिक ....., (तिथि) तक प्रस्तुत किया जाना था। समिति को ..... (तिथि) को ..... (तिथि) तक और समय दिया गया था। दो या इससे अधिक बार समय बढ़ाए जाने के चालहों में समिति को ..... (दो या तीन बार आदि) और समय दिया गया था। पहली बार..... (तिथि) को.....

(तिथि तक और बाद में..... (तिथि) को.....  
(तिथि) तक।

10. समिति ने..... (तिथि) को प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

11. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के बारे में समिति के विचार आणारी कठिकाऱ्हां में दिये गये हैं।

"विधेयक..... (तिथि) के'..... राजपत्र" (असाधारण)  
में प्रकाशित।

## परिशिष्ट-३

[देखिये स्थानी आदेश क्रमांक 123, 129, 130]

प्रता-।

इतारथण्ड विधान सभा  
 विशिष्ट दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र

प्रेषक,

सचिव

इतारथण्ड विधानसभा

महाराज,

कृपया निम्नलिखित व्यक्ति को दिनांक..... के लिये  
 विशिष्ट दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र बाटे कीजिए;

1. पूर्ण नाम.....

2. निम्नलिखित में से किस हैसियत काले व्यक्ति के लिये अवधेन किया गया  
 है:

(i) अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व भगवी.....

(ii) संसद के चारोंनां व चूतपूर्व सदस्य अवश्य अन्य राज्य विधान मण्डलों के सदस्य

(iii) भूतपूर्व विधानसभा सदस्य.....

(iv) अन्य .....

3. अन्य .....

4. स्वाधीन पत्र .....

5. प्रबोधन का पत्र .....

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि उक्त व्यक्ति को मैं स्वयं चलाता हूँ और इसके लिये  
मैं पूर्णतया उत्तराधीन हूँ।

स्वप्न हस्ताक्षर .....

असाम छान्दोलक .....

प्रबोधन पत्र प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर .....

यह अवधन-पत्र जिस रित लिये प्रबोधन-पत्र चाहिये उसके 24 घंटे पहले विभागभारा  
के कार्यालय में देना होगा।

परिशिष्ट-4

243-2

सारांशपत्र विभागभाषा

सामान्य वर्णक दीर्घा में प्रवेश के लिए आयोग-पत्र

संक्षिप्त

四三

प्राचीन विभासिका

四百四

मैं, भिन्नतिहृषि व्यक्ति के लिए दिनांक ..... को लिये प्रतिवित दर्शक दीप/दर्शक दीप प्रवेश-पद जारी करने की सिफारिश करता हूँ।

१. पूर्ण नाम .....
  २. जन्मस्थान .....
  ३. आयु .....
  ४. स्वकारी पता .....
  ५. प्राचीनता का पता .....

मैं ..... (किन्तु उस व्यक्ति की सिफारिश की है), वह जानता हूँ। उस व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है, मैं उसके लिए पूर्णतया दोषी हूँ।

#### सामग्री को इस्तेवार

ଆମ୍ବନ କୁମାର

प्रयोग यह प्राप्त होता।

कृष्णाभार

### परिशिष्ट-५

[देखिए स्थानीय आदेश क्रमांक 145 (4)]

इतारथुपड़ विधानसभा

प्रबकार दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

सचिव

इतारथुपड़ विधानसभा

महाशय,

कृपापा विधानसभा के आणारी सज..... के लिये हमारे  
प्रतिनिधि..... जिनके संबंध में जानकारी निम्नलिखित है, को  
प्रबकार दीर्घा का प्रवेश-पत्र प्रदान करें -

1. पत्र -प्रतिनिधि का नाम .....
- ..... जापु व पिता का नाम .....
2. पत्र नाम और मासिक वेतन.....
3. प्रबकारिता का अनुभव.....
4. स्थानीय पता.....
5. सूरभाष : (अ) कार्यालय..... (ब) निवास .....
6. पत्र/संस्थान का नाम और डाक का पूरा पता.....
7. पूर्व में प्राप्त प्रवेश-पत्र संबंधी विवरण (यदि तो तो) .....
8. अन्य जानकारी.....

मैं, डर्क जानकारी को प्रमाणित करता हूँ और इनके लिये मैं पूर्णतया उल्लङ्घी

(६)

संपादक/ख्वारी चीफ के हस्ताक्षर